PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

जुलाई-2019 | अंक-2

समुद्री डकैती का बढ़ता खतरा

एक वैश्विक चुनौती

- बैक टू विलेज कार्यक्रम : ग्रामीण जनसमस्या का आकलन
- बासेल-III मानक एवं भारत की तैयारी
- राजकोषीय संघवाद के पुनर्गठन की आवश्यकता
- भारत-मालदीव संबंधों में नया आयाम
- जी-20 सम्मेलन 2019 और भारत
- भारत-अमेरिका के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

FELICITATION PROGRAMME FOR UPSC TOPPERS 2018

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक – राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

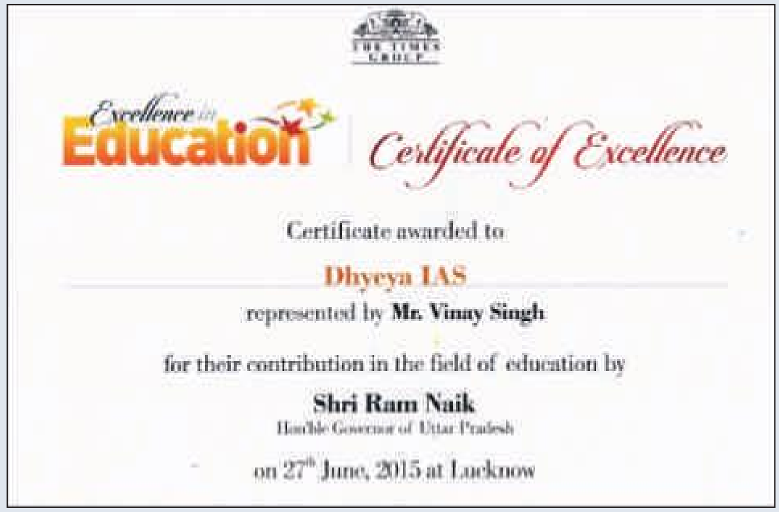

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

जुलाई-2019 | अंक-2

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- समुद्री डकैती का बढ़ता खतरा : एक वैश्विक चुनौती
- बैक टू विलेज कार्यक्रम : ग्रामीण जनसमस्या का आकलन
- बासेल-III मानक एवं भारत की तैयारी
- राजकोषीय संघवाद के पुनर्गठन की आवश्यकता
- भारत-मालदीव संबंधों में नया आयाम
- जी-20 सम्मेलन 2019 और भारत
- भारत-अमेरिका के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव, गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह, लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन, प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम, अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Our other initiative

UDAAN TIMES ©
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. समुद्री डकैती का बढ़ता खतरा : एक वैश्विक चुनौती

चर्चा का कारण

हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने और दुनिया के देशों के साथ समुद्री सूचना को साझा करने के लिए भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम स्थित नौसेना के 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन' (आईएफसी-आईओआर) में दो दिनों का समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला (एमआईएसडब्ल्यू) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में दिन-प्रतिदिन उभर रही समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए लगभग 29 देशों के 41 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने भारत पहुँचे।

इस कार्यशाला में नौसेना ने बताया कि हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) की सुरक्षा, विश्व व्यापार और अनेक देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस बैठक में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मानवीय सहायता और आपदा राहत, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कानूनी पहलुओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

समुद्री डकैती क्या है

संयुक्त राष्ट्र के 'कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की धारा 101' के मुताबिक समुद्री डकैती से आशय है किसी देश की समुद्री सीमा से दूर सुदूर में किसी निजी जहाज या विमान के क्रू या उसमें सवार लोगों से किसी भी तरह की हिंसा, किसी को बंधक बनाना या उन्हें नुकसान पहुँचाना साथ ही उस जहाज या विमान और उसमें सवार लोगों को निजी फायदे के लिए किसी तरह का नुकसान पहुँचाना।

समुद्री डकैती करने वाले अपराधियों को समुद्री डाकू या जलदस्यु कहा जाता है। ऐसे अपराध की रोकथाम करना अकसर मुश्किल होता है क्योंकि समुद्र का क्षेत्रफल विशाल है (पूरे भूमि के क्षेत्रफल से लगभग तीन गुना अधिक) और ऐसे समुद्री डाकू अकसर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करते हैं, यानि किसी एक देश की पुलिस या सेना उन्हें रोक नहीं पाती। मसलन पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया देश के अड्डों से आने वाले समुद्री डाकुओं ने कई बार भारत के तट के पास से समुद्री जहाजों का अपहरण किया है।

वर्तमान स्थिति

कोलराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन (One Earth Foundation) नाम की संस्था की रिपोर्ट कहती है कि समुद्री लुटेरों की वजह से दुनियाभर के देशों को हर साल 7 से 12 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसमें उन्हें दी जाने वाली फिरौती, जहाजों का रास्ता बदलने के कारण हुआ खर्च, समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए कई देशों की तरफ से नौसेना की तैनाती और कई संगठनों के बजट इस अतिरिक्त खर्च में शामिल हैं।

इंडोनेशिया का जल क्षेत्र समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में दुनिया की एक-तिहाई समुद्री डकैतियाँ होती हैं।

समुद्र में अवैध गतिविधि के क्षेत्र

समुद्र में अवैध गतिविधियों के लिए दो समुद्री इलाके सबसे ज्यादा बदनाम हैं। पहला है अदन की खाड़ी से पूर्वी अफ्रीका तक का इलाका और दूसरा है पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी का इलाका। आज के दौर में समुद्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों में सबसे अहम है हथियारबंद बदमाशों का किसी जहाज को लूटना। इन दोनों ही खाड़ियों में जहाजों को अगवा कर लूट-पाट कर लिया जाता है। साथ ही लोगों को बंधक बनाया जाता है, फिर उनसे फिरौती वसूली जाती है। इससे तमाम देशों को तो नुकसान होता ही है और ये विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा माना जाता है। आर्थिक नजरिए से देखें, तो समुद्री डकैती क्षेत्रीय और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इसकी वजह ये है कि अफ्रीका के बड़े समुद्री रास्ते (यानी संचार के समुद्री रास्ते) इस समस्या के बड़े शिकार हैं। अफ्रीका का 90 फीसद आयात और निर्यात समुद्र के रास्ते ही होता है। हालाँकि, इस बात का अनुमान लगाना तो कठिन है कि समुद्री डकैती का इस पर कितना असर होता है। लेकिन ये तय है कि इससे अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है। साथ ही उन देशों का भी काफी नुकसान होता है जो अफ्रीका को निर्यात सामग्री भेजते हैं।

अध्ययन से पता चला है कि समुद्री डकैती मूल रूप से अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका पर असर डालती है। जहाजों पर हमले की घटनाएँ कैरेबियाई समुद्र और लैटिन अमेरिका में कम ही होती हैं। 1990 के दशक के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी समुद्री जहाजों पर हमले की हिंसक घटनाएँ होती थीं लेकिन अब इनमें लगातार कमी आ रही है।

2013 के बाद से सोमालियाई समुद्री डकैतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद से पूर्वी अफ्रीकी समुद्री तटीय इलाकों में भी समुद्री डकैती की घटनाएँ कम हुई हैं। तमाम देशों ने मिलकर इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए थे और इस इलाके में गश्त भी बढ़ा दी थी। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक संगठनों ने मिलकर अदन की खाड़ी में समुद्री अपराध रोकने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है।

लेकिन, पश्चिमी अफ्रीका के समुद्री तट पर इसके ठीक उलट हो रहा है। यहां समुद्री डकैती की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। आज की तारीख में ये इलाका दुनिया में समुद्री अपराध का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया है। 2015 में 54 आपराधिक घटनाएँ हुई थीं, 2016 में 95 और 2017 में समुद्री डकैती के 97 मामले दर्ज किये गये थे। 2018 में ये और भी बढ़कर 118 तक

पहुँच गईं। पश्चिमी अफ्रीकी के समुद्री इलाके में समुद्री लुटेरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2019 में भी इनमें कोई कमी नहीं आई है। खासतौर से गिनी की खाड़ी में। जहां राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की वजह से आपराधिक गिरोह बड़ी तेजी से सक्रिय हो गए हैं और समुद्र में हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती का खतरा इतना ज्यादा क्यों है?

चूँकि सेनेगल से अंगोला तक, गिनी की खाड़ी का इलाका 6 हजार किलोमीटर की समुद्री सीमा में फैला हुआ है। इसके किनारे 20 देश स्थित हैं। इनमें द्वीप भी हैं और चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए देश भी। इस समुद्री बेसिन की सामरिक और आर्थिक नजरिए से भी बहुत अहमियत है। ये मध्य और दक्षिणी अफ्रीका से समुद्री कारोबार का अहम रास्ता भी है। साथ ही इसके अलावा अफ्रीका के ऊर्जा कारोबार का ये वो इलाका है, जहां से नाइजर डेल्टा से निकला हुआ तेल निर्यात होता है। पश्चिमी अफ्रीका में कारोबारी जहाजों पर होने वाले हमले के निशाने पर नाइजीरिया का नाइजर डेल्टा क्षेत्र होता है। इसके अलावा बेनिन, घाना, कोट डे आइवरी, गिनी, टोगो और सिएरा लियोन भी समुद्री डकैती के शिकार होते रहे हैं।

गिनी की खाड़ी

नाइजर डेल्टा, पश्चिमी अफ्रीका के समुद्री अपराधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। इसकी कई वजहें हैं। तटीय इलाकों में भारी तादाद में गैस और तेल के भंडार मिलने से यहां समृद्धि आने के बजाय गरीबी बढ़ी है। इससे सामाजिक तनाव बढ़ा है। पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तेल और गैस के भंडारों से केवल केंद्रीय सरकार, तेल कंपनियों और स्थानीय बड़े लोगों को फायदा हो रहा है। इसलिए इस इलाके में टैंकरों और पाइपलाइन से कच्चा तेल चुराने की घटनाएँ बहुत हो रही हैं। इस चुराए हुए कच्चे तेल को अवैध रूप से चलाई जाने वाली रिफाइनरी में साफ किया जाता है।

इस इलाके में समुद्री लूट-पाट बढ़ने के कारण

नाइजीरिया में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। भ्रष्ट अधिकारियों और अनियमित तेल व्यापार की वजह से आपराधिक संगठन चुराए हुए तेल और शोधित तेल को आराम से बाजार में बेच लेते हैं। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की वजह से नाइजीरिया के तेल व्यापार के क्षेत्र में हालात ये हैं कि वैध और अवैध के बीच का फर्क ही मिट गया है। नाइजर डेल्टा क्षेत्र में कई आतंकवादी संगठन जैसे नाइजर डेल्टा एवेंजर्स, नाइजर डेल्टा ग्रीनलैंड मैंडेट, बकासी स्ट्राइक फोर्स और मूवमेंट फॉर द इमैन्सिपेशन ऑफ नाइजर डेल्टा जैसे संगठन सक्रिय हैं, जो इस इलाके में अपहरण और फिरौती वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अपहरण की ज्यादातर घटनाएँ समुद्र तट से 15 से 20 समुद्री मील के दायरे में होती हैं। ऐसे जुर्म को अंजाम देने वालों का मकसद अपने लिए आर्थिक इंसाफ हासिल करना होता है क्योंकि ये अफ्रीका का सबसे समृद्ध इलाका है, उसके बावजूद ये अविकसित और प्रदूषित है।

भ्रष्टाचार के अलावा, यहां बेरोजगारी भी गिनी की खाड़ी और खासतौर से नाइजर डेल्टा क्षेत्र में समुद्री डकैती की बड़ी वजह है। अकसर, जहाज अगवा कर लिए जाते हैं, ताकि उनसे वसूली की जा सके। रोजगार की कमी की वजह से जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता, तो वो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो किसी न किसी तरीके से उन आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं जिनसे देश को आर्थिक लाभ होता है।

कुछ जहाजों की खूबियाँ, जैसे कि उनकी रफ्तार और उन पर चढ़ाई के नीचे के बोर्ड, जहाजों को डकैतों का निशाना बनाते हैं। हालांकि ऐसे सारे जहाज, जिन पर समुद्री डाकू आराम से चढ़ सकते हैं, वो डकैतों के निशाने पर रहते हैं। गिनी की खाड़ी में हर तरह के जहाज पर हमले होते हैं। यहां जहाज के क्रू को अगवा किया जाता है। मछली मारने वाले ट्रॉलर्स से लोगों का अपहरण होता है। मालवाहक जहाज और तेल के टैंकर भी लूटे जाते हैं।

नाइजीरिया का भूगोल भी समुद्री अपराधियों को भागने और अपनी नावें छुपाने का मौका मुहैया कराता है। यहां का इलाका ऐसा है कि लूटा हुआ माल भी आराम से छुपाया जा सकता है क्योंकि, ये दलदली इलाका है। यहां सैकड़ों छोटी नदियाँ बहती हैं और जंगल भी हैं। इन कारणों के अलावा जो प्रमुख कारण है, वो है कि लोग समुद्री लूट-पाट की शिकायतें भी कम करते हैं। ये भी यहाँ समुद्री डकैतों की सक्रियता का बड़ा कारण है। इसीलिए यहां हर जहाज से अपील की जाती है कि वो लूट-पाट की घटनाओं की जानकारी जरूर दें। इससे निपटने के लिए फिर तमाम देशों की नौसेनाओं से अपील की जाती है। गश्ती जहाजों और इलाके में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

समुद्री डकैती रोकने के वैश्विक प्रयास

समुद्री डकैती और हथियारबंद हमले, पश्चिमी अफ्रीका के लिए कोई नई बात नहीं हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। याउंडे कोड ऑफ कंडक्ट, गल्फ ऑफ गिनी कमीशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाए गए हैं ताकि समुद्री लूट-पाट से निपटा जा सके। लेकिन, पिछले साल और इस साल यानी 2019 में समुद्री अपराध की घटनाओं में बहुत बढ़त देखी गई है।

इसीलिए, समुद्री डकैती रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि इससे प्रभावित देशों को ये जानकारी साझा करनी चाहिए कि उनके तटीय इलाकों में और उनके पड़ोसी देशों के तटीय इलाकों में क्या हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो भी देश समुद्री अपराध और डकैती की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें इससे निपटने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे, ताकि इसके अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई हो सके। तीसरी बात ये है कि तमाम देशों के गश्ती संगठनों को आपसी तालमेल के लिए साझा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो मिलकर निगरानी और आपसी सहयोग को बढ़ा सकें। आखिर में इस इलाके के तमाम देशों को स्थानीय स्तर पर इस चुनौती से निपटने के लिए एक तयशुदा फंड बनाना चाहिए। समुद्री सुरक्षा और विकास का प्रशासनिक मॉडल, दोनों ही पैसों की कमी से पटरी से उतर जाते हैं। इसलिए, ये जरूरी है कि अफ्रीकी देश मिलकर चुनौती का

सामना करें और इससे निपटने में आड़े आ रही राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दूर करें और समुद्री अपराध से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाएं। आपसी सहयोग से प्रभावी कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है।

भारत सरकार के प्रयास

- अदन की खाड़ी में भारतीय नौ सेना के जहाजों को नौ सेना के एस्कॉर्ट उपलब्ध कराए गए हैं।
- भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और पश्चिम की ओर देशान्तर रेखा से 65 डिग्री पूर्व तक भारतीय नौ सेना ने चौकसी बढ़ा दी है।
- भारतीय व्यापारिक जहाजों में सशस्त्र गार्ड तैनात करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
- हाल ही में नौसेना ने ओमान के सलालाह (Salalah) से समुद्री डकैती को रोकने हेतु 'P-8I' लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट' (P-8I Long-range Maritime Surveillance Aircraft) तैनात किया है।
- वर्ष 2008 से ही भारत व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी (Anti-Piracy) गश्त कर रहा है।
- समुद्री डकैती की उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (HRA) को 78 डिग्री पूर्व से भारत के पश्चिमी समुद्र तट से 65 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थानांतरित किया गया है। इस संबंध में निर्णय सोमालिया (सीजीपीसीएस) के तट से संपर्क समूह के यूरोपीय संघ के अध्यक्ष द्वारा लिया गया था और 1 दिसंबर, 2015 से यह लागू हो गया।
- HRA सीमा को 65° E से 78° E देशांतर में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि 2008 के बाद से 2013 तक अदन की खाड़ी में सोमालिया के पूर्वी तट यानी 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' (पूर्वी अफ्रीका) के पास समुद्री डकैती के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

चुनौतियाँ

- अफ्रीका के दो सबसे बड़े तेल निर्यातक देश नाइजीरिया और अंगोला इसी इलाके में पड़ते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे यहां से चीन और यूरोप को तेल का निर्यात बढ़ रहा है। वैसे-वैसे यहां समुद्री डकैती की घटनाएँ भी बढ़ेंगी। जो कि क्षेत्रीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों के लिए चुनौती है। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका के 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' इलाके में जहाँ दुनिया की ताकतवर नौ सेनाएँ गश्त लगाती हैं। वहीं, पश्चिमी अफ्रीका में ऐसा नहीं है। गिनी की खाड़ी वाले देशों की अपनी नौ सेनाएँ तो हैं लेकिन वो बहुत कमजोर हैं।
- समुद्र के जरिए पैदा होने वाले खतरे ने अब भी क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति तथा स्थिरता को खतरे में डाल रखा है। सोमालियाई समुद्री लुटेरों की ओर से भारत सहित अन्य देशों के व्यापारिक पोतों को निशाना बनाए जाने की पृष्ठभूमि में समुद्री डकैती भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- हिंद महासागर क्षेत्र विश्व व्यापार और कई देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के 75% से अधिक समुद्री व्यापार और 50% वैश्विक तेल खपत आईओआर से होकर गुजरता है। इसके बावजूद समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध और अनियमित रूप से मछली पकड़ना, हथियार चलाना और अवैध शिकार करना इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को चुनौती देता है।
- समुद्र के रास्ते जब व्यापार होता है और अगर उस दौरान डकैती जैसी घटनाएँ होती हैं तो इससे जान-माल की हानि तो होती ही है साथ ही दो देशों के बीच व्यापारिक विश्वास भी कम होता है।
- समुद्री डकैती के कारण सुरक्षित रास्ते को खोजना पड़ता है जिससे कि व्यापारिक दूरी बढ़ जाती है परिणामस्वरूप उत्पाद महँगा हो जाता है।
- चूंकि समुद्री क्षेत्र काफी बड़ा है इसलिए समुद्री रास्ते की सुरक्षा बड़ी मुश्किल कार्य है। इसके लिए सभी देशों के बीच आम सहमति का भी अभाव है क्योंकि विश्व के सभी तटीय देश समुद्री संसाधन का दोहन करना चाहते हैं। अत: समुद्री नियमन को वे अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं।
- समुद्री डकैत किसी खास स्थान पर नहीं रहते हैं इसलिए उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल कार्य है। वे समुद्र के व्यापक क्षेत्रों पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं इसलिए उन्हें रोक पाना इतना आसान नहीं है।
- कई बार किसी देश के नागरिक जो समुद्र में मछली पकड़ते हैं वो डकैती जैसे कार्यों को अंजाम देते हैं। अत: उनकी पहचान करना टेढ़ी खीर है जब तक वे पकड़े नहीं जाते हैं।
- समुद्री क्षेत्र के बारे में उनकी पूर्ण जानकारी भी उन्हें डकैती में मदद प्रदान करती है जबकि सरकार या सेना के पास इसकी पर्याप्त जानकारी न होने के कारण इसके रोकथाम में रूकावट पैदा करती है।
- तटीय देशों के पुलिस के पास अपर्याप्त प्रशिक्षण भी इनके रोकथाम में एक कारण है। जब तक उस देश या प्रभावित देश की नौसेना उस भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से पूर्णत: प्रशिक्षित नहीं होगी तब तक समुद्री डकैती को रोकना मुश्किल कार्य है।

आगे की राह

समुद्री सीमा की सुरक्षा, कारोबार के अहम समुद्री रास्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री संसाधनों का उचित इस्तेमाल होना जरूरी है। इसके लिए कानून को सही तरीके से लागू करना जरूरी है। तमाम देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने और समुद्री सीमाओं के प्रबंधन को बेहतर करने की जरूरत है। इसके लिए तमाम देशों, क्षेत्रीय ताकतों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर अफ्रीका में समुद्री डकैती की चुनौती से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बहुत से क्षेत्रीय संगठन भी बनाए गए हैं। जैसे कि जिबूती कोड ऑफ कन्डक्ट, अफ्रीकी संघ का लोम चार्टर और याउंडे कोड ऑफ कन्डक्ट। समुद्र में लूट-पाट की घटनाएँ रोकने के लिए अफ्रीकी महाद्वीप के देशों ने ये कदम उठाए हैं। इसके अलावा विश्व के सभी देश जो समुद्री डकैती से प्रभावित हैं उन्हें एक साथ मिलकर एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि डकैती को रोका जा सके। भारत सरकार को भी अपनी नौसेना को अत्यधिक मजबूत करना होगा ताकि समुद्री व्यापार को सुरक्षित कर सके। सरकार को विदेश से उन्नत तकनीकी का आयात करना होगा जिससे रात के समय में भी गश्ती की जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।

■

2. बैक टू विलेज कार्यक्रम : ग्रामीण जनसमस्या का आकलन

चर्चा का कारण

हाल ही में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले या राज्य स्तर पर बन रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को अंतिम गाँवों तक पहुँचाना है। इस कार्यक्रम के तहत जिला स्तर के अधिकारी हर पंचायत में दो दिन और एक रात बिताएंगे और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। अधिकारी पंचायत के पंचों और सरपंचों के साथ बैठक करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उनके गाँवों तक क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा महिला सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा ताकि महिलाओं से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण हो सके।

कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य एवं रूपरेखा

- इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास के प्रयासों को दिशा देना है।
- इन सभाओं और बैठकों के दौरान अधिकारी डाटा जमा करेंगे और उन कठिनाइयों को भी जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता है। अधिकारियों को इसके लिए 20 पेज का एक बुकलेट दिया गया है, जिसमें वे कुछ सवालों के आधार पर बुकलेट में डाटा भरेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
  - पंचायतों को सशक्त करना।
  - सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रतिफल के विषय में जानकारी का संग्रह करना।
  - विशिष्ट आर्थिक संभावनाओं का पता लगाना।
  - गाँवों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।

परिचय

संवेदनशील प्रशासन का दायित्व होता है कि वह जन समस्याओं को सुनें तथा इसके व्यक्तिगत अथवा संस्थागत कार्य में शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो उसका निराकरण करे ताकि जनसामान्य हेतु तैयार योजनाओं का लाभ उन्हें मिले तथा उनका शासन एवं प्रशासन पर विश्वास कायम रह सके। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस कर सके कि शासन उनकी समस्याओं के निराकरण में उनके साथ है। जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरपूर्वी राज्य आजादी के समय से ही पिछड़े रहे हैं। ये क्षेत्र कृषि प्रधान व ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण स्थानीय स्तर पर प्रशासन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे- सरपंच व पंच के सहयोग से ही स्थानीय समस्याओं का निवारण होता रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य के गठन के उपरांत से ही राज्य की भौगोलिक सीमा दुर्गम रही है जिससे आम नागरिक और अधिकारियों के बीच सामंजस्य का अभाव रहा है। परिणामस्वरूप आदमी के पहुँच में न होने से वह शासन स्तर पर भी अपनी समस्याओं को रखने में असमर्थ रहा, इसलिए शासन स्तर पर प्रस्तुत जनसमस्याओं एवं उनके निराकरण से शासन को अवगत कराना आवश्यक है।

जनसमस्या का आकलन

जनसमस्या प्रथम दृष्टि में जनता को शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं या संसाधनों के मुक्त प्रवाह के बाधित होने से उत्पन्न होती है तथा उस बाधा को हटा देना निराकरण का तरीका होता है।

हैराल्ड लास्की का मत है कि- हम लोकतंत्रीय शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम न मान लें कि सभी समस्याएँ केन्द्रीय समस्याएँ नहीं हैं और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगों के द्वारा हल किया जाना चाहिए जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।

भारत जैसे देश में जहाँ तीन चौथाई से भी अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है वहाँ पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वत: सिद्ध है।

महात्मा गांधी आधुनिक भारत में स्वराज के लिए ग्राम पंचायत के सशक्त पक्षधर थे। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा। प्रत्येक के पास पूर्ण सत्ता और शक्ति होगी। इससे प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकेंगे तथा समस्याओं की छाया से भी दूर रहेंगे।

जनसमस्या जब सतह पर आती है अर्थात् यदि वह व्यक्तिगत समस्या हो तो व्यक्ति आवेगवश अपनी बात स्थानीय तथा उच्च दोनों स्तर पर करता है। किन्तु इन दोनों के अतिरिक्त यदि कोई समस्या क्षेत्र के सभी व्यक्तियों की हो अर्थात् सामान्य (आम) हो तब यह शासन तथा प्रशासन स्तर पर ज्यादा सुनी जाती है।

जनसमस्या तथा सामाजिक विकास के अभाव के कारण

जनसमस्या किसी भी प्रकार की हो उसकी प्रस्तुति का साहस व्यक्ति या समूह नहीं जुटा पाते थे इसके पीछे निम्नलिखित कारणों को समझा जा सकता है-

- भय
- सरकारी तंत्र पर अविश्वास
- भविष्य की चिंता
- अज्ञानता
- इच्छाशक्ति की कमी

हालांकि आज स्थिति विपरीत है अर्थात् समस्याओं को सरकारी अधिकारियों के समक्ष रखा जाना अत्यंत सामान्य बात हो गई है। वास्तव में सहजता के साथ समस्याओं की प्रस्तुति व्यक्ति समूह एवं समाज के समग्र विकास को भी रेखांकित करता है कि कम से कम जागरूकता तो विकसित हुई है। लोग अपने अधिकारों को अब जानते हैं तथा उसे पाने में विलंब होना कष्टदायक लगता है।

विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था

लोकतंत्र मूलत: विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। शासन की ऊपरी सतहों पर (केन्द्र एवं राज्य) कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएँ एवं मूल्य शक्तिशाली न हों। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करके ये स्थानीय जन प्रतिनिधि ही कालांतर में विधानसभा एवं संसद का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं। अत: पंचायती राज संस्थान राष्ट्र को नेतृत्व उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभाती है।

किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र का उन्नयन तभी संभव है जब स्थानीय स्तर से लेकर केन्द्र तक के शासन में सामान्य जन की सक्रिय भागीदारी हो। यह भागीदारी ही लोकतंत्र का मापदंड निश्चित करती है। यह सब पंचायती राज के सफल कार्य संपादन एवं क्रियान्वयन से ही संभव है।

गाँवों में जनसंख्या के अधिक संकेन्द्रण की वजह से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधुनिक भारत में ग्राम स्वराज के लिए पंचायत के सबसे बड़े पक्षधर थे। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार, प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना चाहिए ताकि वो संपूर्ण प्रबंध स्वयं चला सकें।

अत: ग्राम पंचायतें भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद हैं। हमारी महान भारतीय संस्कृति में पंच परमेश्वर की अवधारणा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एकात्मक मानववाद के प्रवर्तक पं. दीनदयाल उपाध्याय ने भी समाज के अंतिम छोर के आदमी के उत्थान के लिए गाँव में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। ग्राम स्वराज और पंचायती राज व्यवस्था वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसकी तुलना एक ही रथ के दो पहियों से की जा सकती है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में 'बैक टू विलेज कार्यक्रम' की महत्ता

भारत के उत्तरी और पूर्वी छोरों पर स्थित आठ राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम को भारत की सात बहनें और एक भाई (Seven Sisters and one brother) कहा जाता है।

भारत सरकार विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है, किन्तु फिर भी नीतियों का कार्यान्वयन धरातल पर न हो पाने की वजह से यह अहम क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र।

यह क्षेत्र 2,63,179 वर्ग किमी में फैला है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8 प्रतिशत है और देश की कुल जनसंख्या का करीब 3.76 प्रतिशत हिस्सा यहीं रहता है। भाषा, जातियों, सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों के बीच और प्रत्येक राज्य के भीतर भी बहुत अधिक अंतर है।

यह क्षेत्र अद्भुत नैसर्गिक सौन्दर्य, वनस्पतियों एवं पशुओं की जैव विविधता, प्रचुर मात्रा में खनिज, जल एवं वन संसाधन तथा पर्यटन की संभावना से भरपूर होने के बावजूद शेष देश से अलग-थलग होने, पलायन, कम निवेश, कम राजस्व सृजन, उद्योगों के कम प्रसार तथा पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक-राजनीतिक उपद्रव होने जैसे कई पहलुओं ने इन राज्यों की प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संभावनाओं का ठीक से दोहन नहीं होने दिया है।

कई बार देखा गया है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ दूर दराज या दुर्गम इलाकों तक नहीं पहुँच पाया है, ऐसे में शासन, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे शीर्ष अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दल समूचे क्षेत्र में होने वाली मूलभूत समस्याओं की सूची बनाकर उसे राज्य सरकार को सौंपे ताकि ग्रामीण जनसंख्या विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें।

यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में गरिमामयी मानव जीवन के लिए बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं का अभाव है। राज्य विकास के स्तर में भी बराबर नहीं है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि घाटी तथा पहाड़ों के बीच गरीबी की प्रकृति काफी अलग है। इस क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर आबादी आदिवासी हैं और आदिवासी समाजों की बुनियाद समतावादी होने के कारण भारत के शेष हिस्सों की तरह यहाँ दीन-हीन दरिद्रता नहीं दिखती। मगर इस सुंदर क्षेत्र के निवासी विकास के लाभों से वंचित ही हैं।

हालाँकि पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार सृजन अपेक्षाकृत कम है और कई राज्यों में तो रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या भी काफी कम है। उचित योजना एवं क्रियान्वयन नहीं होना, कार्यक्रमों से होने वाले लाभों की जानकारी नहीं होना, निष्प्रभावी पंचायती राज संस्था, पहाड़ी भू-भाग, स्वीकृत कार्य यहाँ के अनुकूल नहीं होना, राज्यों का आकार एवं आबादी का घनत्व इसके कारण हैं। इसलिए 'बैक टू विलेज' जैसे कार्यक्रम यहाँ सफल हो सकते हैं, साथ ही यहाँ के लोगों में जो प्रशासन के प्रति अविश्वास है, वह भी वापस लौट सकता है।

प्रशासन के प्रयास से लाभ

प्रशासन द्वारा जनसमस्याओं के निवारण हेतु जो भी प्रयास राज्य सरकार एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ तथा ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाते हैं उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ लोकतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। प्रशासन की छवि संवेदनशील प्रशासन की बनती है जो जन सामान्य की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं एवं उसका निवारण करते हैं।

राजनैतिक रूप से जनसामान्य को यह महसूस होता है कि जनप्रतिनिधि को उनके द्वारा चुना गया है एवं जिनके माध्यम से शासन कार्य कर रहा है वह उसकी समस्याओं के प्रति गंभीर है। इस प्रकार जनसामान्य की समस्याओं का निराकरण होता है। वहीं राजनेताओं को राजनैतिक लाभ भी प्राप्त होता है। कभी-कभी किसी गंभीर समस्या का निवारण सार्वजनिक विकास के लिए काफी लंबे समय से अपेक्षित होता है। राजनैतिक लाभ हेतु जनप्रतिनिधयों द्वारा विशेष रुचि लेकर कराया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ भी प्राप्त होते हैं-

- संवेदनशील शासन/प्रशासन की छवि बनती है।
- राजनेताओं का जनाधार बढ़ता है।
- शासन की योजनाओं का लाभ जन सामान्य को मिलता है।
- क्षेत्रीय विकास को गति मिलती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के संभावित क्षेत्र

डेयरी और पशुपालन क्षेत्र : जम्मू कश्मीर सहित देश के पिछड़े राज्यों की बात करें तो राज्य सरकार को अमूल या मदर डेयरी जैसे लोकप्रिय डेयरी ब्रांडों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम करके राज्य में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने का प्रयास करना चाहिए ताकि राज्य इस क्षेत्र में सरप्लस बन जाए।

पोल्ट्री क्षेत्र की संभावना: भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के अधिकारियों से पोल्ट्री क्षेत्र में संभावनाओं का पता लगाने का भी आग्रह किया है क्योंकि राज्य बड़ी मात्रा में पोल्ट्री उत्पादों का आयात कर रहा है और राज्य को पोल्ट्री क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र सबसे गरीब लोगों की आजीविका में सुधार करता है। केंद्र सरकार को इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से रोजगार: हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र जम्मू कश्मीर के आर्थिक परिदृश्य के सबसे शानदार क्षेत्रों में से एक है। राज्य को इस क्षेत्र में सुधार के लिए केद्र सरकार के खादी और ग्रामोद्योग, एमएसएमई और कपड़ा विभागों की मदद लेनी चाहिए। इस क्षेत्र की वृद्धि से गरीब घरों की आजीविका और रोजगार में वृद्धि होगी।

पंचायतों का सशक्तिकरण: राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नव स्थापित पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय प्रणाली गहरी जड़ें जमा लें और सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित हों। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को दिए गए धन को खर्च करने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले।

महिला विकास योजनाओं पर केंद्रित कार्यक्रम: राज्य सरकार को महिला विकास के लिए योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसी भी विकास प्रक्रिया की कुंजी महिलाएँ हैं और महिलाओं को सभी कार्यक्रमों का केंद्र बिन्दु होना चाहिए। राज्य को इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि महिलाओं को बेहतर रोजगार के अवसर और आजीविका मिल सकें।

चुनौतियाँ

- भारत सरकार देश भर में राज्य सरकारों के साथ मिलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, किसान फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना जैसे कल्याणकारी कार्य कर रही है। किन्तु इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में स्थानीय प्रशासन उदासीन दिखाई देता है।
- स्थानीय लोगों में जागरूकता का अभाव पाया जाता है जिससे जनकल्याणकारी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती है।
- प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत आम जनता, शीर्ष अधिकारियों से नहीं कर पाती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में संपर्क के माध्यम नदारद हैं, इसलिए कई बार स्थानीय समुदायों की समस्या की जानकारी प्रशासन के समक्ष नहीं पहुँच पाती हैं।
- जहाँ तक जम्मू एवं कश्मीर की बात है तो वहाँ प्रशासन और राजनीति में अलगाववादियों का दखल होता है, जिसे विफल करने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार अपेक्षाकृत उचित कदम नहीं उठा पा रही हैं।

सरकारी प्रयास

- आजीविका सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए भारत सरकार देशभर में राज्य सरकारों के साथ मिलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) क्रियान्वित कर रही है ताकि निर्धन ग्रामीण महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल कर स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही उन्हें तब तक आर्थिक गतिविधियों से जोड़े रखने के लिए सहायता दी जाती है, जब तक उनकी आय में ठीकठाक वृद्धि न हो जाए, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके और वे नितांत गरीबी से बाहर आ सकें। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को निश्चित समय के भीतर महिला स्वयं सहायता समूहों और उन्हें महासंघों में शामिल किया जाए।
- कौशल विकास के जरिए रोजगार को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आरंभ की गई है, जो एनआरएलएम (National Rural Livelihood mission) के अंतर्गत निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए काम यानी रोजगार दिलाने वाला कौशल विकास कार्यक्रम है।
- बैक टू विलेज कार्यक्रम जमीनी हकीकत को देखकर शासन को मजबूत करने के लिए सरकार की एक विशेष पहल है। प्रशासन पंचायत सदस्यों से गाँव की हर विकासात्मक गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेने और सामाजिक कार्यो का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने की अपील कर रहा है।
- बैक टू विलेज परियोजना के दौरान कई पंचायतों में बच्चों को स्कूल बैग और वर्दी, प्रधानमंत्री आवास योजना में आने वाले लोगों को चेक, बच्चों के खेलने की किट तथा जिन महिलाओं के बच्चे पाँच साल के थे उनको बेबी किट और हेल्थ कार्ड, लाडली बेटी योजना चेक भी वितरित किए जा रहे हैं।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं का जमीनी सतह पर लाभ न मिलने से राशन, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के अभाव के कारणों की सूची बनायी जा रही है।

आगे की राह

जम्मू कश्मीर एवं देश की अन्य राज्य सरकारों को विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अन्य धांधलियों से निपटने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास और समृद्धि का लाभ राज्य के सबसे गरीब लोगों तक पहुँचे। विकास कार्यक्रमों की समीक्षा आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। सरकार को समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर और ऐसे पिछाड़े राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, उन्हें रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के साथ जुड़े मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया करना चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हकदार हैं उनके पास वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा पेंशन समयबद्ध तरीके से पहुंचे इत्यादि।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस -अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

3. बासेल–III मानक एवं भारत की तैयारी

चर्चा का कारण

हाल ही में बासेल कमेटि ऑन बैंक सुपरविजन (BCCS) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक बासेल–III के द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाया है।

पृष्ठभूमि

बासेल–III या बासेल मानकों को 3 दिसंबर 2010 को जारी किया गया था और यह बासेल समझौते की श्रृंखला का तीसरा चरण है। ये समझौते बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन पहलुओं से जुड़े हैं (बासेल–I और बासेल–II इसके पूर्व संस्करण थे लेकिन कम कठोर थे)। ये मानदंड 31 मार्च 2015 से कई चरणों में लागू हो चुके हैं। बासेल–III सुधार उपायों का एक व्यापक सेट है जिसे बासेल समिति ने, बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर तैयार किया है।

गौरतलब है कि 'बासेल–III' बासेल समिति द्वारा बासेल–I और बासेल–II के तहत बैंकिंग नियामक रूपरेखा में सुधार हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर शुरू किए गए प्रयासों का अगला कदम है। यह नवीनतम समझौता वित्तीय एवं आर्थिक तनाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता और जोखिम प्रबंधन में सुधार एवं बैंक की पारदर्शिता को मजबूत बनाना चाहता है।

बासेल मानक क्या है

बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए उन्हें 'बासेल मानक' कहा जाता है। इन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। इन्हें पूरा करने से बैंकों को वित्तीय जोखिमों से बेहतर ढंग से निपटने और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। इन मानकों को 'बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति' (BCBS : Basel Committee on Banking Supervision) जारी करती है। चूंकि इस समिति का सचिवालय स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में स्थित 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' (BIS)में विद्यमान है, इसलिए इन्हें बासेल मानक की संज्ञा दी गई है।

बासेल मानक का विकास क्रम

वर्ष 1974 में G-10 देशों द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' के तत्वावधान में 'बासेल समिति' का गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1988 में ऋण जोखिम के संबंध में बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी की जरूरत हेतु नियम दिए जिसे 'बासेल–I मानक' कहा जाता है। बासेल–I पूर्णतः ऋण जोखिम (Credit Risk) पर केंद्रित था। जून, 2004 में पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल–II मानकों का निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में धनराशि को अपने पास सुरक्षित रखने के मानक तय किए गए थे। बेसेल–II के अंतर्गत तीन श्रेणी (3-Tier) पूँजी संरचना की बात की गयी है, जिसमें श्रेणी–1 पूँजी सर्वाधिक स्थायी तथा अनपेक्षित हानियों के विरुद्ध तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध होती है। इसको 'कोर कैपिटल' कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सांविधिक संचित निधियाँ, शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम, आस्तियों की बिक्री से प्राप्त पूँजी तथा प्रारक्षित निधियाँ आदि होती हैं। द्वितीय श्रेणी की पूँजी के अंतर्गत घोषित न की गई संचित निधियाँ तथा हाइब्रिड ऋण पूँजी प्रपत्र आदि होता है। बासेल–II में दी गई श्रेणी–3 पूँजी के अंतर्गत अल्पकालीन अधीनस्थ ऋण रखा जाता है। श्रेणी–3 पूँजी का उद्देश्य बाजार जोखिम की पूँजी आवश्यकता के कुछ भाग को पूरा करना है। पूँजी पर्याप्तता मानक निर्धारण के संदर्भ में यह ध्यान रखा जाता है कि श्रेणी–2 की पूँजी किसी भी दशा में किसी भी समय श्रेणी–1 के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा अधीनस्थ ऋण इंस्ट्रूमेंट्स श्रेणी–2 पूँजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 2009 तक सभी भारतीय बैंकों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक बासेल–II के सभी मानक पूरे कर लिए गए हैं।

दिसंबर, 2010 में बासेल–III मानक 'बासेल–III : ए ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेसिलिएंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह बैंकों की पूँजी पर्याप्तता अनुपात का नया अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अंतर्गत जोखिम कम करने के लिए बैंकों को ज्यादा पूँजी रखनी होगी। बासेल–III मानक के अनुसार, 'कॉमन इक्विटी' का नया वर्गीकरण किया गया है जो कॉमन शेयर तथा अवितरित आय के योग से संबंधित है। इसके अंतर्गत बैंकों को कॉमन इक्विटी का 4.5 प्रतिशत श्रेणी–1 पूँजी के रूप में रखना होगा। बासेल–III के अनुसार, पर्याप्त पूँजी के संबंध में बफर की व्यवस्था भी की गई है, जो आकस्मिक स्थितियों में आघात वहन कर सके। इसके लिए न्यूनतम 8 प्रतिशत कुल पूँजी के ऊपर 2.5 प्रतिशत पूँजी प्रतिरक्षण बफर की व्यवस्था की गई है। प्रतिरक्षण बफर के अलावा बैंकों को पूँजी के 2.5 प्रतिशत तक प्रति चक्रीय बफर भी रखना होगा जिसका उद्देश्य अत्यधिक साख सृजन की अवधि में बैंकों की रक्षा करना है। बासेल–III में लीवरेज रेशियो की भी व्यवस्था है जो बैंकों के ऋण-संपत्ति अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह अनुपात जितना ऊँचा होगा, बैंक की ब्याज देयता भी उतनी ही अधिक होगी। बासेल–III मानक को 1 जनवरी, 2013 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक धीरे-धीरे लागू करना था जिसके लिए बैंकों के पास 3.5 प्रतिशत की कॉमन इक्विटी, 4.5 प्रतिशत की श्रेणी–1 पूँजी तथा 8 प्रतिशत की CRAR (Capital to Risk Assets Ratio) की कुल पूँजी होनी चाहिए थी।

वर्तमान परिदृश्य

27 मार्च, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बासेल–III मानकों को पूरी तरह लागू करने की समय-सीमा को 31 मार्च, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया गया था। इन मानकों का कार्यान्वयन 1 वर्ष तक बढ़ा दिए जाने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तुरंत अतिरिक्त पूँजी प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बासेल–III के कठोर मानकों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंकों को कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता होगी।

इसमें 1.75 लाख करोड़ रुपये की पूँजी कोर कैपिटल तथा 3.25 लाख करोड़ रुपये 'इक्विटी कैपिटल' के रूप में होगी। वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान बासेल–III मानकों के अनुपालन के लिए बैंकों को लगभग 26,000 करोड़ रुपये की मिश्रित श्रेणी–1 पूँजी (Hybrid Tier-1 Capital) की आवश्यकता पड़ती है।

बासेल–III मानकों के अनुपालन की अवधि बढ़ जाने से सरकारी बैंकों को नई पूँजी की आवश्यकता केवल 10,000 करोड़ रुपये की ही है। ऐसी स्थिति में सरकार से अतिरिक्त राशि मिलने से बैंकों का पूँजी पर दबाव काफी कम हो

जाएगा। साथ ही, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 13,400 करोड़ रुपये की मिश्रित श्रेणी-1 पूँजी (Hybrid Tier-1 Capital) जुटाने का भी निश्चय किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2012 में बासेल-III पर दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसमें बैंकिंग व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बैंकों के लिए पूँजी की न्यूनतम सीमा तय की गई थी।

बैंकों की श्रेणी-1 पूँजी उनकी जोखिमपूर्ण संपत्तियों के 7 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती है। साथ ही, उनकी कुल पूँजी भी जोखिमपूर्ण संपत्तियों के 9 फीसदी से कम नहीं हो सकती है। इसके अलावा बैंकों को जोखिमपूर्ण संपत्तियों के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिरक्षण बफर पूँजी भी रखनी पड़ेगी।

भारतीय बैंकों में कुल पूँजी और जोखिम-पूर्ण संपत्तियों का अनुपात 30 जून, 2010 को 11.7 प्रतिशत था जबकि बासेल-III नियमों के अनुसार इसे 10.5 प्रतिशत होना चाहिए। भारतीय बैंकों के पास प्रथम श्रेणी (टियर-1) पूँजी 9 प्रतिशत है जबकि बासेल-III नियमों के अनुसार, श्रेणी-1 पूँजी की उपलब्धता 8.5 प्रतिशत होनी चाहिए।

इस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने तथा इसमें व्यापक सुधारों के संबंध में बासेल-III मानक तैयार किया गया है जो वित्तीय अस्थिरता से निपटने में सहायक है।

बासेल-III का उद्देश्य

- वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से पैदा हुए उतार-चढ़ाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाना।
- जोखिम प्रबंधन क्षमता और बैंकिंग क्षेत्र के प्रशासन में सुधार लाना।
- बैंक की पारदर्शिता एवं खुलासे को मजबूत बनाना।
- वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
- निवेशकों को वित्तीय परिसंपत्तियों की समस्त श्रेणियों का एक सिंगल व्यू उपलब्ध कराने के लिए एक रिपोजिटरी स्थापित करना।
- बासेल-III विनियमों और पर्यवेक्षीय पूँजीगत अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अगले पाँच वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की पूँजीगत आवश्यकताएँ सुझाने के उपाय करना।
- वित्तीय क्षेत्र के लिए एक कारगर समाधान तंत्र स्थापित करना।

गौरतलब है कि बासेल-III दिशानिर्देश का लक्ष्य आर्थिक एवं वित्तीय तनाव की अवधि में बैंकों की क्षमता में सुधार लाना है क्योंकि नए दिशा-निर्देश बैंकिंग क्षेत्र में पूँजी एवं तरलता की पूर्व आवश्यकताओं के मुकाबले अधिक सख्त है।

बासेल-III की आवश्यकता क्यों

- **पूँजी की बेहतर गुणवत्ता:** पूँजी की बेहतर गुणवत्ता का अर्थ है नुकसान भरपाई की उच्च क्षमता। इसका अर्थ है बैंक तनाव की अवधि को सहन करने के लिए अधिक मजबूत बनेंगे।
- **पूँजी संरक्षण बफर:** गौरतलब है कि अब बैंकों को 2.5% पूँजी संरक्षण बफर रखना होगा। बैंकों से संरक्षण बफर बनवाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पूँजी की एक निर्धारित मात्रा अपने पास रखें ताकि वित्तीय और आर्थिक तनाव की अवधि में वे नुकसान की भरपाई में उसका इस्तेमाल कर सकें।
- **काउंटरसाइक्लिकल बफर (Countercyclical Buffer):** इसे अच्छे समय में पूँजी जरूरतों में बढ़ोतरी करने और बुरे समय में उसमें कम करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर बफर बैंकिंग गतिविधि को धीमा कर देगा और बुरे समय में उधार देने को बढ़ावा देगा। बफर 0% से 2.5% के बीच होगा। इसमें सामान्य इक्विटी या पूरी तरह से नुकसान की भरपाई करने वाली अन्य पूँजी होगी।
- **न्यूनतम सामान्य इक्विटी:** सामान्य इक्विटी के लिए न्यूनतम आवश्यकता, नुकसान की भरपाई करने वाली पूँजी का सर्वोच्च रूप, को बासेल-III में कुल जोखिम- भारित परिसंपत्तियों का 2% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है। समग्र टीयर 1 पूँजी आवश्यकता जिसमें न सिर्फ सामान्य इक्विटी होती है बल्कि अन्य योग्य वित्तीय उपकरण भी होते हैं, में भी बढ़ोतरी की जाएगी और वर्तमान न्यूनतम 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। हालाँकि न्यूनतम कुल पूँजी आवश्यकता वर्तमान में 8% के स्तर पर बनी रहेगी, फिर भी आवश्यक कुल पूँजी को जब संरक्षण बफर के साथ मिलाया जाएगा तो यह बढ़कर 10.5% हो जाएगा।
- **लीवरेज अनुपात:** 2008 के आर्थिक संकट की समीक्षा में पाया गया कि अतीत में हुए अनुभवों के आधार पर लगाए गए अनुमानों के मुकाबले कई परिसंपत्तियों का मूल्य बहुत तेजी से कम हुआ। इसलिए अब बासेल-III नियमों में सुरक्षा तंत्र (safety net) के तौर पर लिवरेज रेशियो (Leverage Ratio) को शामिल किया गया है। लिवरेज रेशियो पूँजी और कुल परिसंपत्ति (जोखिम के बगैर) की मात्रा के सापेक्ष मात्रा है। इसका उद्देश्य वैश्विक आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना है।
- **तरलता अनुपात (Liquidity Ratio):** बासेल- II के तहत, तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। नई तरलता कवरेज अनुपात (LCR) और नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (NSFR) को क्रमशः 2015 और 2018 में लागू किया गया है।

चुनौतियाँ

माइक्रो-प्रूडेंशियल रूपरेखा के हिस्से के तौर पर, प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों से बासेल-III के पार नुकसान भरपाई की क्षमता की उम्मीद की जाती है। कार्यान्वयन के लिए विकल्पों में पूँजी अधिभार, आकस्मिक पूँजी और जमानत-ऋण शामिल हैं।

बासेल-III, जिसे समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, न सिर्फ बैंकों के लिए बल्कि भारत सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। एक अनुमान के अनुसार भारत के बैंकों को 2020 तक बाहरी पूँजी को 6,00,000 करोड़ रुपयों करने की जरूरत होगी। इस हद तक पूँजी का विस्तार इन बैंकों खास कर निजी क्षेत्र के बैंकों की इक्विटी रिटर्न्स को

प्रभावित करेगी। हालाँकि, भारतीय बैंकों के लिए सिर्फ यही राहत की बात है कि ऐतिहासिक दृष्टि से उन्होंने न्यूनतम नियामक की पहुँच में अपने मूल और समग्र पूँजी तक पहुँच को बनाए रखा है।

आगे की राह

बैंकिंग क्षेत्र ने संरचना, विकास और नवाचार में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। बैंकिंग परिचालन जटिल है और पर्यवेक्षकों के लिए निगरानी एवं नियंत्रण करना मुश्किल होता है। गौरतलब है कि काफी जटिलताओं के कारण, बैंकिंग क्षेत्र विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना कर रहा है। बासेल मानदंड एक अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश है जो जोखिम प्रबंधन पहलुओं से जुड़े हुए हैं और बैंकों को अपनी जोखिम प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और उन्नत करने का अवसर प्रदान करते हैं। विदित है कि बासेल-III दिशानिर्देश का लक्ष्य आर्थिक एवं वित्तीय तनाव की अवधि में बैंकों की क्षमता में सुधार लाना है क्योंकि नए दिशा-निर्देश बैंकिंग क्षेत्र में पूँजी एवं तरलता की पूर्व आवश्यकताओं के मुकाबले अधिक सख्त हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बासेल-III मानदंड भारतीय बैंकों को घरेलू और वित्तीय समस्याओं से मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय बैंकों को मजबूत, अत्यधिक कुशल और भविष्य के लिए प्रामाणिक संगठनों के रूप में उभरने के लिए इसे एक अवसर के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

4. राजकोषीय संघवाद के पुनर्गठन की आवश्यकता

चर्चा का करण

हाल ही में केंद्र व राज्यों के बीच बढ़ते वित्तीय तनाव के चलते नीति आयोग द्वारा राजकोषीय संघवाद को नया स्वरूप देने पर बल दिया गया है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि राजकोषीय संघवाद का एक बार समीक्षा करना आवश्यक है।

परिचय

भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में सहयोगी संघवाद की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत संघ और राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया गया है। संविधान के भाग 12, अनुच्छेद 264-300क के तहत संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघ सरकार को सातवीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की शक्ति है जबकि राज्य सरकारों को राज्य सूची पर कर आरोपित करने की शक्ति है।

भारतीय संविधान में राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए जिस संस्थागत ढाँचे की परिकल्पना की गयी है, वह है वित्त आयोग। वित्त आयोग केन्द्र एवं राज्यों के बीच केन्द्रीय कर राजस्व के विभाजन का उल्लेख करता है।

भारत में राजकोषीय संघवाद

- भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघवाद और राजस्व साझेदारी के सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय व राजकोषीय संबंधों की व्याख्या संविधान के भाग-12 के अध्याय (1) में किया गया। इस अध्याय में संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का भी विभाजन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि विभाजन के तहत कुछ कर केवल राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। राज्य सरकारें अपने द्वारा लगाए गए इन करों को स्वयं एकत्रित करती हैं और स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उस धन का व्यय करती हैं।
- वहीं अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत और राज्यों की संचित निधियों तथा लोक लेखाओं की स्थापना की गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 273, 275 एवं 282 के अंतर्गत राज्यों को तीन प्रकार का सहायता अनुदान प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद-280 एवं 281 के तहत राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के लिए वित्त आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-

- उन सिद्धांतों की सिफारिश करना जिनके तहत अनुच्छेद-275 के अधीन भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाता है।
- करों की शुद्ध प्राप्तियाँ केंद्र तथा राज्यों में किस तरह वितरित किया जाना चाहिए तथा राज्यों का अंश विभिन्न राज्यों के मध्य किस अनुपात में बाँटा जाएगा, इसकी सिफारिश करना।

ध्यान देने योग्य बात है कि वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती हैं, लेकिन अनुच्छेद-281 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। इसके अतिरिक्त इसे स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है जिसके तहत इस बात की पुष्टि होती है कि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। ऐसे में वित्त आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करना सरकार के लिये कठिन हो जाता है।

राजकोषीय संघवाद को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों

केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में कर से ज्यादा आय होती है, जिससे उसके पास वित्तीय शक्ति का संकेन्द्रण होता है लेकिन उनकी जवाबदेहिता कम होती है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार कुल करों का लगभग 60% एकत्र करती है, जबकि इसकी व्यय जिम्मेदारी (रक्षा, आदि के रूप में संवैधानिक रूप से अनिवार्य जिम्मेदारी निभाने के लिए) कुल सार्वजनिक व्यय का केवल 40% ही है।

संविधान में जो वित्तीय प्रावधान मौजूद हैं उससे भी राजकोषीय असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है। नतीजतन राजकोषीय संघ को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि राजकोषीय असंतुलन दो तरह से बढ़ा है-

1. ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन
2. क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन

1. ऊर्ध्वाधर (लंबवत) राजकोषीय असंतुलन- यदि केन्द्र सरकार की आय उसके व्यय से अधिक हो जबकि राज्यों की आय व्यय से कम हो तो इसे ऊर्ध्वाधर असंतुलन कहते हैं।

2. क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन- भारत के 29 राज्यों के बीच भी राजकोषीय असंतुलन की स्थिति मौजूद है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी राजकोषीय क्षमता अधिक है। वह सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के तौर पर गुजरात और तमिलनाडु लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी राजकोषीय क्षमता कमजोर है। उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे सार्वजनिक सेवाओं को अच्छे से उपलब्ध करा सकें। उदाहरण के तौर पर बिहार एवं यूपी। उपरोक्त स्थिति को क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन कहते हैं।

यहाँ हम क्षैतिज असंतुलन को और गहराई से समझ सकते हैं। विभिन्न राज्यों के बीच जो राजकोषीय असंतुलन होता है, वह सामान्यत: दो प्रकार का है-

टाइप-I : अलग-अलग राज्य की अलग-अलग क्षमता होती है, जिसके तहत वे बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं। सार्वजनिक सेवाएँ, जैसे- स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।

टाइप-II : इसके अन्तर्गत बुनियादी संरचना (Infrastructure) को मजबूत बनाने, पूँजीगत घाटा हस्तांतरण को कम करने आदि पर ध्यान दिया जाता है।

- ऊर्ध्वाधर (लंबवत), क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन के अतिरिक्त वर्तमान समय में अन्तरराज्यीय असन्तुलन भी एक अन्य चुनौती पेश कर रही है। उदाहरण के लिए देखा गया है कि कर्नाटक के उत्तर में विकास का स्तर कुछ है, जबकि दक्षिण में कुछ होता है। इसी तरह, महाराष्ट्र में अलग-अलग इलाकों में विकास अलग-अलग स्तर का पाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में हालात अलग हैं जबकि पूर्वी यूपी में अलग हैं। नतीजतन राज्यों के अन्दर भी विकास को लेकर तनाव बढ़ा है।
- जीएसटी के शुरू होने से भी राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हुई हैं क्योंकि राज्यों के पास जीएसटी दरों के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। इसकी दरें केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से तय की जाती हैं।
- राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा हेतु संविधान में उल्लिखित संस्थाओं ने ऊर्ध्वाकार असंतुलनों को ठीक करने में सहायता नहीं दी है।
- भारतीय संविधान में निहित उत्तरदायित्वों एवं शक्तियों के वितरण में बड़े पैमाने पर असंतुलन है।

सरकारी प्रयास

केन्द्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- सरकार ने संघ व राज्यों के मध्य किये जाने वाले राजस्व वितरण में तनाव को कम करने के लिए 80वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, वर्ष 2000 में परिवर्तित किया। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्कों का विभाजन संघ और राज्यों के बीच किया जाएगा।
- ठीक इसी तरह डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग ने जब राज्यों को राजस्व के 42% विचलन की सिफारिश की तो केंद्र सरकार ने इसे भी स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि इससे 2015-16 में राज्यों को 50% से अधिक राजस्व अंतरित हुआ।
- सरकार द्वारा सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने की दिशा में एक अन्य कदम नीति आयोग की स्थापना करना रहा है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघशासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। नीति आयोग राज्यों की आपसी सहमति से योजनाओं का निर्माण करता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में नीति आयोग राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिये (स्वास्थ्य, शिक्षा और जलप्रबंधन) एक सूचकांक लेकर आया है ताकि राज्यों के सामाजिक कार्यक्रमों के परिणामों को जानने, एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने और नवाचारों को साझा करने में मदद मिल सके।
- सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम पर गठित एन.के. सिंह आयोग की सिफारिशों को गत वर्ष राजकोषीय संबंध में मजबूती लाने के लिए स्वीकारा है। विदित हो कि एफआरबीएम (FRBM) के बारे में एन.के. सिंह समिति ने एक राजकोषीय परिषद के गठन का सुझाव दिया है जो कि एक स्वतंत्र निकाय होगा। यह किसी भी दिये गए वर्ष के लिये सरकार की राजस्व घोषणाओं की निगरानी करेगा। नतीजतन राजकोषीय नीतियों में राज्यों की स्थिति और भी सशक्त होगी क्योंकि कर्जमाफी और इस तरह की योजनाओं का भार अब केंद्र के ऊपर डालने की परंपरा धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।
- सरकार ने राजकोषीय संघवाद को मजबूती प्रदान करने की अगली कड़ी के रूप में वस्तु और सेवा कर या जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया। उल्लेखनीय है कि जीएसटी में 'एक राष्ट्र, एक बाजार' की परिकल्पना के कारण अप्रत्यक्ष करों जैसे- उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर इत्यादि को एक ही नियम के अंतर्गत ला दिया गया है। इसके क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जीएसटी परिषद को अनुच्छेद 279क के तहत केंद्र और राज्यों से संबंधित एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया।
- गौरतलब है कि वित्त आयोग के द्वारा सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गयी है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं को बंद करने की आवश्यकता है, साथ ही कई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा होने वाले अंशदान में भारी कटौती करने की भी सिफारिश की है। इन योजनाओं में शामिल हैं- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, स्वच्छ भारत मिशन, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण इत्यादि। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग ने राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए सामान्य राज्यों और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करने की सिफारिश की है।

आगे की राह

भारतीय संविधान में केन्द्र को राज्य से ज्यादा शक्ति दी गई है लेकिन पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति में काफी फर्क आ गया है। आज भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था व समाज में व्यापक परिवर्तन आ गया है। ऐसे में आवश्यकता राजकोषीय संघवाद को पुनर्परिभाषित करने की

है। इस संदर्भ में निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- राजकोषीय संघवाद की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को समाप्त करने के लिए वित्त आयोग, नीति आयोग, जीएसटी परिषद और विकेंद्रीकरण जैसे चार स्तंभों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- विकास के असंतुलन को कम करके व राज्यों के बीच क्षेत्रीय और उप-असमानताओं को दूर करने के लिए नीति आयोग को विशेष प्रकार के दायित्व देने की आवश्यकता है।
- नीति आयोग को एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाना चाहिए जो राजस्व और पूँजीगत अनुदान के उपयोग की प्रभावकारिता की निगरानी और मूल्यांकन कर सके।
- वित्त आयोग को बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी घाटे के प्रावधान से निपटने के दोहरे कार्य से राहत दिया जाना चाहिए। इसे बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं के असंतुलन (टाइप I) को हटाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीमित किया जाना चाहिए।
- विदित हो कि नीति आयोग बुनियादी ढाँचे और पूँजीगत घाटे (टाइप II) के दायरे में काम करने के लिए दूसरे स्तंभ के रूप में काम कर सकता है।
- राज्य वित्त आयोगों को केंद्रीय वित्त आयोग के समान दर्जा मिलना चाहिए और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (धन, कार्य और कार्यवाहियों) की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।
- वस्तु और सेवा कर की संरचना को सरल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए जीएसटी परिषद को अपने स्वयं के सचिवालय और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा एक पारदर्शी तरीके को अपनाना चाहिए।
- विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि विकेंद्रीकरण स्थानीय वित्त और राज्य वित्त आयोग को मजबूत करके नए राजकोषीय संघवाद के तीसरे स्तंभ के रूप में काम कर सकता है।
- पंचायती राज और नगर निगम के लिए अलग से संचित निधि की व्यवस्था करनी चाहिए। हालाँकि इसके लिए अनुच्छेद 266, 268, 243ज, 243भ इन सभी में संशोधन करना होगा। इससे रुपया सीधे संचित निधि में आयेगा जिससे राज्य व केन्द्र पर इनकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी।
- केंद्र और राज्यों को अपने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह को बराबर के अनुपात में योगदान करना चाहिए।
- राजकोषीय परिषद की स्थापना करना चाहिए जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बँटवारे की प्रक्रिया के मूल भावना पर आघात न हो।
- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रभावी विकेंद्रीकरण, पारदर्शी जीएसटी शासन, स्वतंत्र वित्त आयोग और प्रभावी नीति आयोग के आधार पर नए वित्तीय संघीय व्यवस्था का निर्माण भारत के अद्वितीय सहकारी संघवाद को मजबूत कर सकता है।
- केन्द्र को वास्तविक संघीय स्वरूप में अपने समन्वयकारी, सुधारात्मक और नेतृत्व संबंधी कार्यो का निर्वहन करना चाहिए।
- 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि केन्द्र से राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के बाहर का कोई भी हस्तांतरण एक नई संस्थागत व्यवस्था (आदर्श रूप से अंतर्राज्यीय परिषद के तत्वावधान में) के माध्यम से होना चाहिए। इस व्यवस्था में केन्द्र राज्य क्षेत्र विशेषज्ञों को सम्मिलित होना चाहिए।
- एफआरबीएम (FRBM) मानदंडों के प्रवर्तन को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए।
- एक समान्य जीएसटी दर तय किया जाना चाहिए तथा निर्यात पर जीएसटी को हटाया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ।

■

5. भारत-मालदीव संबंधों में नया आयाम

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव में नये सरकार के गठन के बाद अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान 'रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन' से नवाजा। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव के संसद को संबोधित करते हुए कहा कि ''आतंकवाद हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद रखते हैं।''

पृष्ठभूमि

भारत और मालदीव के बीच दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं। प्राचीन समय में मालदीव पर भारतीय हिंदू संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव रहा है। मालदीव को ब्रिटिशों से 26 जुलाई 1965 में आजादी मिली थी। भारत मालदीव को एक सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक है। चीन ने तो मालदीव में 2011 में अपना दूतावास खोला है जबकि भारत ने वर्ष 1972 में ही मालदीव में अपना दूतावास खोल दिया था।

लम्बे समय तक दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। मालदीव और भारत के बीच राजनैतिक संबंध के अलावा सामाजिक, धार्मिक और कारोबारी रिश्ता भी रहा है। मालदीव में करीब 25 हजार भारतीय भी निवास करते हैं। भारतीय समुदाय मालदीव में निवास करने वाला दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है।

मालदीव और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध सदैव द्विपक्षीय रहे हैं। अपनी आपसी समुद्री सीमाओं का आधिकारिक निर्धारण दोनों देश ने 1976 में ही सौहार्दपूर्ण तरीके से कर लिया था। हालाँकि 1982 में एक मसला आया जब तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गय्यूम के भाई ने दावा किया कि भारत के लक्षद्वीप का मिनिकाय द्वीप मालदीव का हिस्सा है। परन्तु मालदीव ने तुरंत ही आधिकारिक रूप से इस दावे को नकार दिया। दोनों देशों ने अपने व्यापार के लिए भी 1981 में समझौता कर लिया था। दोनों देशों ने साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। दोनों ही देश सार्क (SAARC) और साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन के संस्थापक सदस्य हैं।

वर्तमान स्थिति

भारत की नई सरकार के गठन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मालदीव को पहली विदेश यात्रा के रूप में चुनना भारत की 'पड़ोसी प्रथम' की नीति और मालदीव द्वारा 1970 के दशक में अपनाई गई 'इंडिया फर्स्ट पॉलिसी' को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से प्रेरित है। मालदीव भारत के भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक, और भू-सामरिक हितों के लिए अति महत्वपूर्ण देश है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम मित्र तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। यह वक्तव्य मालदीव के महत्व को व्यक्त करता है। 8 जून, 2019 का दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की संसद मजलिस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

यहाँ यह जानना जरूरी है कि 1972 में माले में भारत ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन की शुरूआत की थी, इससे अभिभूत होकर मालदीव ने भारत प्रथम की नीति अपनाई थी। इसी नीति को ऊर्जा देने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के साथ दक्षिण एशिया में राज्य प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए मिलजुल कर कार्य करने की बात की। इसके साथ ही भारत ने हाइड्रोग्राफी, हेल्थ सेक्टर, समुद्री मार्ग से पैसेंजर और कार्गो सेवाएँ, कस्टम्स के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और सिविल सेवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और असैन्य जहाजों के आवाजाही के बारे में सूचना के आदान प्रदान के लिए व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के विनिमय के लिए तकनीकी समझौता हुआ है। इसका महत्व भारत अमेरिका के सैन्य सूचना विनिमय हेतु हुए कामकोसा पैक्ट जैसा है। दोनों देशों के प्रमुखों ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के लिए कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम और एक ट्रेनिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है।

मालदीव के सतत, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मार्च, 2019 में हुए 800 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते का दोनों देशों ने स्वागत किया। मालदीव और केरल के कोच्चि के बीच फेरी सर्विसेज शुरू करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। मालदीव में रूपे कार्ड लॉन्च किया गया है जो उसके पर्यटन को नई दिशा प्रदान करेगा। भारत मालदीव में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, विभिन्न द्वीपों पर पानी और सफाई की व्यवस्था, छोटे और लघु उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था, बंदरगाहों का विकास, कॉंफ्रेंस और कम्युनिटी सेंटर का निर्माण, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, स्टूडेंट्स के लिए फेरी की सुविधा आदि में मदद करेगा जिससे लोगों को सीधा फायदा पहुँचेगा।

मालदीव की 'फ्राइडे मस्जिद' के संरक्षण में भारत की ओर से मदद का ऐलान किया गया है। यह मस्जिद बेहद खास मूंगा पत्थरों से बनी है। इस मस्जिद को 'हुकुरु मिस्की' के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार, ''दुनिया में कहीं भी ऐसी मस्जिद नहीं है, यह ऐतिहासिक मस्जिद मूंगा पत्थरों से बनी है। भारत सरकार के अनुसार विभिन्न द्वीपों पर पानी और सफाई की व्यवस्था, छोटे और लघु उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्त, बंदरगाहों का विकास, कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी सेंटर का निर्माण, क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, एम्बुलेंस सेवा, तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि और मत्स्यपालन, पर्यटन जैसे अनेक भारतीय सहयोग के प्रोजेक्ट से मालदीव के लोगों को सीधा फायदा पहुँच रहा है।

दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भारत में कोच्चि और मालदीव में कुल्तुफुशी और माले के बीच नौका सेवा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से मालदीव डिफेंस फोर्सेज के कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर और तटीय निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। यह मालदीव की समुद्री सुरक्षा को और बढ़ाएगा। भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को सबसे अधिक महत्त्व देता है। एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मालदीव पूरे क्षेत्र के हित में है। अत: भारत सरकार मालदीव की हरसंभव सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है।

मालदीव भारत के लिए बेहद अहम क्यों है

हिन्द महासागर में मालदीव की सामरिक अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय सागरीय मार्ग वाले तेल व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण है। अदन की खाड़ी, मलक्का और हॉर्मुज जलसंधियों के मध्य हिन्द महासागर में मालदीव की केंद्रीय स्थिति को देखकर ही भारत ने एक प्रस्ताव पारित कर नवंबर 2018 में मालदीव को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वाँ सदस्य बनवाया है।

हिन्द महासागर में मालदीव की सामरिक अवस्थिति भारत के हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिन्द महासागर में मालदीव के क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज मार्ग भारत, जापान और चीन की ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक दृष्टि से भारत का 97 प्रतिशत से अधिक और मूल्यात्मक दृष्टि से 75 प्रतिशत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिन्द महासागर में बैठे मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शिपिंग लेन्स के जरिए होता है।

मालदीव भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी अथवा सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है।

2008 में पहली लोकतान्त्रिक सरकार के मुखिया मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी के बाद अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने चीन के साथ भारत विरोधी गठजोड़ किए। 2015 में यामीन ने संसद में किसी विदेशी फर्म द्वारा एक बिलियन डॉलर में एक द्वीप खरीदने तक का कानून पास कर दिया था। 2017 में मालदीव, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद दूसरा देश बना जिसने मुक्त व्यापार समझौता किया। यह मालदीव का किसी भी देश के साथ पहला ऐसा समझौता था।

वर्ष 2018 के शुरूआती महीनों में चीन ने मालदीव के माकूनूढू द्वीप में ज्वाइंट ओसियन ऑब्जर्वेशन स्टेशन लगाने का निर्णय किया था। इसके अलावा लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एवाहांढू, सारांधू, मरानढू द्वीपों पर चीन ने सैटेलाइट मॉनिटरिंग प्रणाली लगाने का निर्णय कर चुका है। उल्लेखनीय है कि मालदीव चीन से अपने कुल ऋण का 60 प्रतिशत से अधिक ऋण लेता है जिसके लिए चीन को उसे 92 मिलियन डॉलर हर साल भुगतान करना होता है जो उसके कुल बजट का 10 प्रतिशत है। इस तरह चीन मालदीव की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और उसे ऐसे ही डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत उलझा कर रख दिया है।

चीन नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भी यही खेल खेल रहा है। ऐसे में सोलिह सरकार को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत जैसा साथी नहीं मिल सकता। ऐसा साथी कहाँ मिलेगा जिसने 1987 में ऑपरेशन कैक्टस के जरिए मालदीव की राजनीतिक अस्मिता बचाने का साक्ष्य दे रखा हो, सुनामी आने पर सबसे पहले राहत दी हो, जल आपातकाल लगने पर घटना के चार घंटे के भीतर माले में एयरक्राफ्टों के जरिए जल पहुंचा दिया हो, ध्रुव हेलीकाप्टर देकर मदद की हो। वर्तमान सरकार की नई सोच मालदीव के भारत प्रथम नीति को साकार करने की दिशा में अग्रसर है।

मालदीव सार्क का भी सदस्य है। ऐसे में इस इलाके में भारत को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मालदीव को अपने साथ रखना

जरूरी है। आतंकवादियों द्वारा उरी में किए गए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का भारत द्वारा बहिष्कार करने के आह्वान पर मालदीव एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस आह्वान पर सबसे पहले अमल किया।

मालदीव में करीब 25 हजार भारतीय रह रहे हैं। हर साल मालदीव जाने वाले विदेशी पर्यटकों में 6 फीसदी भारतीय होते हैं।

मालदीव के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के लिहाज से भारत एक पसंदीदा देश है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मालदीव के नागरिकों द्वारा उच्च शिक्षा और इलाज के लिए लॉन्ग टर्म वीजा की माँग बढ़ती जा रही है।

चुनौतियाँ

मालदीव रणनीतिक रूप से हिन्द महासागर में स्थित है और भारत के हिन्द महासागर क्षेत्र में प्रमुख शक्ति होने के कारण मालदीव की स्थिरता में उसके विभिन्न हित निहित हैं। उन हितों को साधने के मार्ग में उसके सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं-

- चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का तोड़ निकालना।
- हिन्द महासागर को एक संघर्षमुक्त क्षेत्र बनाना और शांत महासागर के रूप में इसकी स्थिति को पुनः बहाल करना।
- समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना, समुद्री लुटेरों और समुद्री आंतकवाद का सामना करना।
- वहाँ कार्य कर रहे प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा करना (मालदीव में लगभग 22 हजार प्रवासी भारतीय रह रहे हैं)।
- ब्लू इकोनॉमी पर अनुसंधान और व्यापार में वृद्धि करना।
- मालदीव में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ी चुनौती है।
- कुछ समय पूर्व वहाँ पर निकलने वाली नौकरियों में यहाँ तक लिख दिया गया था कि भारतीय इसके लिए आवेदन न करें। इतना ही नहीं मालदीव में काम कर रहे भारतीयों की समयावधि बढ़ाने से भी इंकार कर दिया गया था। उनको यहाँ तक कह दिया गया था कि उन्हें वापस मालदीव आने की जरूरत नहीं है।
- यामीन की सरकार ने मालदीव में होने वाले विकास कार्यों से भारतीयों के आवेदनों को रद्द कर इन्हें चीन के हवाले कर दिया था। चीन ने वहाँ पर न सिर्फ बंदरगाहों के निर्माण, पुल के निर्माण में अपनी भागीदारी दिखाई है, बल्कि पिछली सरकार के दौरान उनकी नौसेना के पोत और पनडुब्बियों ने वहाँ पर लंगर भी डालकर रखा है।
- चीन चारों ओर से भारत को घेर रहा है। अपनी इस योजना के तहत चीन पाकिस्तान, जिबूती, श्रीलंका और मालदीव आदि देशों में बंदरगाह बना रहा है और भारी भरकम निवेश कर रहा है। मालदीव में चीन माले के पूर्वी किनारे को द्वीप के पश्चिमी किनारे से जोड़ने वाला फ्रेंड्शिप पुल का निर्माण कर रहा है।
- चीन के साथ मालदीव का मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भी हो चुका है, इसलिए चीन के माले में बढ़ते अंदरुनी हस्तक्षेप और सुरक्षित एवं मुक्त हिन्द महासागर समुद्री व्यापार जैसे कुछ मुद्दे के बारे में विचार करना अनिवार्य है क्योंकि चीन के हस्तक्षेप को हम पूर्वी चीन सागर में देख ही चुके हैं जहाँ युद्ध के हालात बनते-बनते रूक गए थे और कारण एक ही था- चीन का मनमाना व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की अवहेलना।

आगे की राह

- भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा कर यह जता दिया है कि भारत के लिए 'पहले पड़ोस' की नीति बेहद महत्वपूर्ण है और मालदीव इसमें अहम स्थान रखता है। मालदीव की आंतरिक राजनीति चाहे जो हो लेकिन भारत मालदीव को अपना सहभागी मानने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
- इधर हाल के वर्षों में मालदीव में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। अतः भारत को किसी भी प्रकार से चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना होगा। हालाँकि भारत मालदीव में कई प्रकार के संरचनात्मक कार्य कर रहा है लेकिन इसकी प्रभाविता थोड़ी धीमी है जिसमें तेजी लाना होगा।
- भारत को मालदीव को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह बिग ब्रदर्स सिन्ड्रोम की गलतफहमी को न माने। भारत हमेशा से उसका सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा।
- भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना होगा जिससे कि संबंधों में और मधुरता आ सके।
- मालदीव को भी यह समझना होगा कि चीन एक साम्राज्यवादी राष्ट्र है। अतः वह जो निवेश मालदीव में कर रहा है वह अपने लाभों के लिए न कि मालदीव के कल्याण के लिए कर रहा है।
- इधर कुछ समय से समुद्री सुरक्षा अहम मुद्दा बन गया है। अतः समुद्री व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना होगा।
- दक्षिण एशिया में शांति बहाली के लिए भारत-मालदीव को साथ मिलकर कार्य करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

6. जी-20 सम्मेलन 2019 और भारत

चर्चा का कारण

हाल ही में ओसाका (जापान) में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन में 19 देश और यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। यह जी-20 सम्मेलन का चौदहवाँ संस्करण है। गौरतलब है कि यह जापान में आयोजित होने वाला पहला जी-20 शिखर सम्मेलन है। जी-20 शिखर सम्मेलन 2019 में कुछ प्रमुख संगठन भी शामिल हुए जैसे- संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, आर्थिक निगम और विकास के लिए संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड और एशियाई विकास बैंक।

परिचय

जी-20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। वैश्विक मंच होने की वजह से यहाँ पर उठने वाले सभी मुद्दे खास अहमियत रखते हैं। बीते सालों में जी-20

देशों ने वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर काफी काम किया है। हाल में हुए जी-20 सम्मेलनों में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आतंकवाद, जल संकट जैसे मुद्दों को जी-20 में प्रमुखता से उठाया गया है। यह विश्व के सबसे उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाता है। जी-20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, इटली, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, तुर्की, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन शामिल है। जी-20 सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत, और दुनिया की दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पृष्ठभूमि

जी-20 की शुरूआत, 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी। यह मंच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटनवुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है। यह समूह अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। जी-20 के नेता वर्ष में एक बार साथ मिलते हैं और बैठक करते हैं।

इसके अलावा एक वर्ष के दौरान सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करते हैं। इन बैठकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूहों के बीच वर्ष भर चलने वाली बैठकें भी होती हैं।

वर्ष 2008 में जी-20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी निर्णायक और समन्वित कार्यवाही ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी और आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया।

पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी नवंबर, 2008 में वाशिंगटन में अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति समन्वित अनुक्रिया का विकास करना था। प्रथम शिखर सम्मेलन में नेताओं ने वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट के कारणों पर चर्चा की और निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्यों के आसपास एक कार्य योजना को कार्यान्वित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की-

- वैश्विक विकास की बहाली
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का संवर्द्धन और
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार।

जी-20 की अध्यक्षता एक प्रणाली के तहत हर वर्ष बदलती है जो समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करता है। अनौपचारिक राजनीतिक मंच की अपनी प्रकृति को दर्शाते हुए जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके बजाए, अन्य सदस्यों के साथ जी-20 एजेंडा पर परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी जी-20 के अध्यक्ष की होती है।

जी-20 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं सतत विकास प्राप्त करने के उद्देश्यों से इसके सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना,
- ऐसे वित्तीय विनियमों को बढ़ावा देना, जिससे जोखिम में कमी आए और भविष्य में आर्थिक संकटों से बचा जा सके, और
- एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रूपरेखा का सृजन करना।

वर्तमान परिदृश्य

जापान की अध्यक्षता के तहत यह 14वाँ शिखर सम्मेलन ''मानव केंद्रित भावी समाज'' पर लक्षित था। इस शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार और आर्थिक विकास, कराधान, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था, समावेशी और संधारणीय संसार, ऊर्जा और पर्यावरण, समाज, गुणवत्ता अवसंरचना, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट विषयों पर चर्चा हुई।

जी-20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह जी-7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इसका मकसद विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाना और दुनिया की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना है। 2008 में जब दुनिया मंदी की गिरफ्त में आई थी तो उससे बाहर निकलने में केंद्रीय भूमिका जी-20 ने ही निभाई थी। लेकिन उस वक्त प्रमुख देशों के नेताओं में जो तालमेल दिखा था, वह आज सिरे से नदारद है।

गौरतलब है कि लगभग सारे ताकतवर देशों के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। एक साथ मिलकर चलने की बात सिर्फ बयानों में नजर आती है। हालाँकि दुनिया का 15 फीसदी जीडीपी अकेले संभाल रहे अमेरिका ने संरक्षणवाद की नीति अपना ली है और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर उसने एकतरफा ट्रेड वार छेड़ रखा है। उसकी व्यापारिक और कूटनीतिक घेरेबंदी का नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है, हालांकि जब-तब वह भारत को इसमें भागीदार भी बनाना चाहता है।

जी-20 की बैठक से तुरंत पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की भारत यात्रा संयोग मात्र नहीं है। जापान में ही जी-20 के सम्मेलन में भारत, चीन और रूस के नेताओं की मुलाकात ने उसे परेशान कर दिया है। चीन ने संकेत दिया है कि ये तीनों देश अमेरिका की कारोबारी तानाशाही से मुकाबले के लिए साझा रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में संभव है, भारत को कुछ रियायतें देकर अमेरिका आपसी रिश्तों में आए ठंडेपन को दूर करने की कोशिश करे। दरअसल अमेरिका भारत और रूस के बीच एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर हुई डील से नाखुश है। द्विपक्षीय व्यापार के स्तर पर भी कुछ तकरार देखने को मिल रहा है।

जबकि अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर शुल्क लगाने के बाद भारत ने भी उसके 28 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ईरान से तेल खरीद पर रोक का मुद्दा भी एक बड़ी अड़चन है। अमेरिका इन मुद्दों पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इतनी तनातनी और अविश्वास ने जी-20 की सफलता पर इसकी शुरूआत से पहले ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। जब अलग-अलग देश अपने हिसाब से समझौते करेंगे तो फिर सामूहिक प्रयासों का अर्थ क्या बचेगा। अभी अमेरिकी उठापटक के चलते डब्ल्यूटीओ जैसे व्यापारिक मंच भी अप्रासंगिक होकर रह गए हैं।

भारत और जी-20

- जी-20 में भारत की भागीदारी इस स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप हुई कि एक

प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व में भारत का महत्वपूर्ण हित निहित है।

- जी-20 शिखर सम्मेलनों में भारत की कार्यसूची वित्तीय प्रणाली में बेहतर समावेश तय करने, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से बचने और यह सुनिश्चित करने के आधार पर अभिप्रेरित होती है कि विकासशील देशों की विकास संभावनाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विश्व समुदाय उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वित्त पोषित करने के लिए धन का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना जारी रखे, जिससे कि उनकी विकास जरूरतें पूरी हो सकें।
- भारत ने ठोस, सतत एवं संतुलित विकास की रूपरेखा की स्थापना करने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने, व्यापार वित्त को सुविधाजनक बनाने इत्यादि के लिए जी-20 विचार-विमर्शों की गतिशीलता एवं विश्वसनीयता को कायम रखने की दिशा में कार्य किए हैं।
- एक स्थिर, समावेशी एवं प्रतिनिधिक वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय प्रणाली की स्थापना करने के लिए भारत जी-20 प्रक्रिया के प्रति कृतसंकल्प है।
- भारत ने अब तक आयोजित सभी जी-20 शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है। भारत पहली बार 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- जी-20 में भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों में ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढाँचा, दोषरहित बहुपक्षवाद, डब्ल्यूटीओ सुधार, आतंकवाद का मुकाबला करना, आर्थिक भगोड़े लोगों की वापसी, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकियों का लोकतंत्रीकरण और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत, अमेरिका और जापान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक बैठक में पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के समक्ष आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इसे मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय मंच पर ओसाका में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान आतंकवाद से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डाला और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कही।
- जी-20 सम्मेलन से इतर ब्रिक्स देशों के नेताओं ने अपने साझा बयान में कहा कि अवैध धन और वित्तीय प्रवाह समेत भ्रष्टाचार और विदेशी क्षेत्रों में धन अर्जित करना एक वैश्विक चुनौती है जो आर्थिक विकास और सतत विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- सभी ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए जिम्मेदारी को दोहराया।

जी-20 शिखर सम्मेलन, 2019 की थीम

- **थीम 1:** वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy)
- **थीम 2:** व्यापार और निवेश (Trade and Investment)
- **थीम 3:** नवाचार (Innovation)
- **थीम 4:** पर्यावरण और ऊर्जा (Environment and Energy)
- **थीम 5:** रोजगार (Employment)
- **थीम 6:** महिलाओं का सशक्तिकरण (Women's Empowerment)
- **थीम 7:** विकास (Development)
- **थीम 8:** स्वास्थ्य (Health)

जी-20 देशों के बीच खींचातानी

- जी-20 के ब्रिस्बेन सम्मेलन से लेकर ओसाका तक के शिखर सम्मलेन को यदि देखा जाये तो इनकी एकता बिखरती हुई दिख रही है और ये जाने-अनजाने दुनिया को संरक्षणवाद, राष्ट्रवाद के साथ नये टकरावों की ओर धकेलते दिख रहे हैं। यह एक सर्वप्रमुख चुनौती है।
- शिखर सम्मेलन की शुरूआत में ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने सदस्य देशों से समझौते की तैयारी को प्रदर्शित करने का आह्वान किया था, जिसमें उनका इशारा जी-20 देशों के बीच व्याप्त मतभेदों पर जोर देने के बदले सहमतियाँ ढूंढ़ने पर था। गौरतलब है कि जी-20 के शुरू होने से पहले ही यह स्पष्ट हो चुका था कि इस सम्मेलन में उस तरह की एकता नहीं दिखेगी, जिसके उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, वही हुआ भी।
- इस सम्मेलन में जो एक बड़ी टकराहट देखने को मिली कि यूरोपियन यूनियन के साथ-साथ ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिसा मे ने रूस को सीधे निशाने पर लिया, जो एक नए टकराव का संकेत हैं।
- इस मंच पर दो ध्रुव भी देखने को मिले। इसमें एक धुरी अमेरिका और जापान की दिखी, जिसके करीब यूरोपियन यूनियन थी। दूसरी धुरी चीन और रूस की दिखी जिसके खिलाफ कमोबेश अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों ही दिखे।
- अमेरिका और जापान मिलकर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की रणनीति को आगे बढ़ाते दिखे तो चीन और रूस मध्य-पूर्व में अमेरिकी वर्चस्ववाद के खिलाफ रणनीति बनाते हुए दिखे।
- भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन साधने का एक धर्म संकट था और यह शायद भारतीय विदेश नीति का स्थायी संकट भी है क्योंकि भारत अमेरिका से यदि दूरी नहीं बना सकता तो फिर वह रूस और चीन के साथ भी टकराव नहीं ले सकता। इसलिए भारत ने वहां पर यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि वह अमेरिका के साथ तो है, लेकिन चीन विरोधी खेमे का हिस्सा नहीं है।
- इसे स्पष्ट करने के लिए नरेन्द्र मोदी ने एक तरफ शिंजो अबे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत-अमेरिका-जापान (स्ट्रैटेजिक ट्रैंगल) को मजबूत करने पर बल दिया तो दूसरी तरफ रूस-भारत-चीन (आरआईसी) की शीर्ष बैठक के साथ-साथ ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों की अलग बैठक में भी हिस्सा लिया। भारत ने अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रणनीतिक चतुर्भुज का निर्माण किया है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ उद्देश्य चीन को हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में घेरना है।
- पिछले वर्ष भी शिंजो एबे और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस ट्रैंगल को मजबूत सामरिक रिश्तों को ताकत देने की कोशिश की थी। हालांकि भारत यह अवश्य चाहता है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियाँ सीमित रहें अन्यथा वे भारत के लिए सीधी चुनौती भी बन सकती है। कुल मिलाकर जी-20 संगठन जो आकार और संसाधनों की बदौलत दुनिया को बेहतर दिशा दे सकता था परन्तु अब ऐसा नहीं हो रहा। यह खेमों में विभाजित होता एक मैदान सा दिख रहा है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं।

- भारत के लिए यह जरूरी है कि वह सक्रियता के साथ संतुलन की रणनीति बनाए। यही वजह है कि उसने अमेरिका व जापान के विपरीत 'आरआईसी' में मुख्य रूप से नियंत्रण स्तर पर मिल रहे मंदी के संकेतों और व्यावसायिक संरक्षणवादी नीतियों को मिल रहे प्रश्रय सम्बंधी मुद्दे को वरीयता दी।

आगे की राह

आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता, संरक्षणवाद, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर एकतरफा निर्णय और आतंकवाद विश्व की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। विश्व के सभी देशों को विश्व व्यापार संगठन को मजबूत बनाने, संरक्षणवाद से मुकाबला करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए साथ मिलकर काम करने की तत्काल आवश्यकता है। वैश्विक संदर्भ में जो कुछ प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं; तत्काल उन चुनौतियों का समाधान खोजने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जैसे- विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता, प्रतिद्वंद्विता हावी हो रही है तथा संसाधनों की कमी इस तथ्य में झलकती है कि उभरते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढाँचे में निवेश के लिए लगभग 1300 अरब डॉलर की कमी है जिस कमी को अनिवार्य रूप से दूर किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही विकास और प्रगति को समावेशी और टिकाऊ बनाने की जरूरत है। तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी, जैसे- डिजिटलीकरण और जलवायु परिवर्तन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता के विषय हैं, जिस पर जी-20 के सदस्य देशों द्वारा कुछ ठोस पहल किये जाने की आवश्यकता है। विकास तभी सही मायने में विकास है जब वो असमानता घटाए और सशक्तिकरण में योगदान दे।

यह ध्यान देने योग्य है कि आतंकवाद और नस्लवाद को समर्थन एवं सहायता के सभी रास्ते बंद होने चाहिए। बहुपक्षवाद को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं तथा संगठनों में आवश्यक सुधार पर बल देना चाहिए। निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम कीमतों पर उपलब्ध होने चाहिए। यद्यपि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सदस्य देशों के भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे एवं अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों में निवेश को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा पेश की गई 5 आई की अवधारणा [समग्रता (Inclusiveness), स्वदेशीकरण (Indigenisation), नवाचार (Innovation), बुनियादी ढाँचे में निवेश (Investment in Infrastructure) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International cooperation)] के माध्यम से सामाजिक कल्याण में सफलता मिल सकती है, जिसे जी-20 के सभी देशों को अपनाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

7. भारत-अमेरिका के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भारत का दौरा किया। उनके दौरे में दोनों देशों के बीच रिश्तों की मौजूदा तस्वीर को लेकर काफी उत्सुकता रही क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत अमेरिका को संबंध उतार-चढ़ाव से भरे रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया और आपसी रिश्ते को आगे बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जाहिर की। साझा प्रेस वार्ता में दोनों देशों का कहना था कि व्यापार के मोर्चे पर कुछ मतभेद अवश्य हैं लेकिन दोनों देश एक बेहतर संबंध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति

भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति काफी विविधतापूर्ण और उतार-चढ़ाव वाली रही है। वर्तमान में भारत और अमेरिका के वस्तु और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। इसका मतलब है कि भारत का अमेरिका में निर्यात ज्यादा है और भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं का आयात कम है। वर्ष 2017 में दोनों देश का द्विपक्षीय व्यापार 126 बिलियन डॉलर था जो 2018 में बढ़कर 142 बिलियन डॉलर पहुँच गया। दोनों देश इसे बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखे हैं।

वर्ष 2017 में अमेरिका ने 77.2 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय वस्तु और सेवाओं का आयात किया जबकि इसी वर्ष भारतीय बाजार में अमेरिकी निर्यात केवल 48.8 बिलियन डॉलर रहा। इस व्यापारिक असंतुलन के कारण अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं को समतामूलक बाजार पहुँच नहीं दे रहा है।

भारत आमतौर पर अमेरिका को 2300 मिलियन डॉलर मूल्य की समुद्री खाद्य वस्तुएँ निर्यात करता है जिसमें सबसे बड़ा मत फ्रीजन झींगों का होता है। वर्तमान में प्रशीतित (फ्रीजन) झींगों पर अमेरिकी बाजारों में कोई प्रशुल्क भारत के ऊपर नहीं लगता क्योंकि यह जीएसपी में शामिल नहीं है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018 में भारत ने सीफूड से 7.08 बिलियन डॉलर प्राप्त किये थे। भारत-अमेरिका रणनीतिक एवं भागीदारी फोरम के अनुसार 2016 में भारत अमेरिका का नौवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और उन देशों में से एक प्रमुख देश था जिनके साथ व्यापार घाटा 30 अरब डॉलर से ऊपर था।

भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर आजकल भारतीयों के मन में जिज्ञासाएँ बढ़ गई हैं। ट्रंप प्रशासन कब किस देश के खिलाफ क्या फैसला ले ले कोई नहीं जानता। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियाँ आज बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मानी जा रही हैं। अमेरिका को बहुसंस्कृतिवाद के लिए भी खतरा बताया जा रहा है। इसी क्रम में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक युद्ध जैसी स्थिति तब बनी जब अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज यानी जीएसपी की सूची से बाहर निकालने का फैसला किया।

जीएसपी, अमेरिका का व्यापार में कुछ देशों को वरीयता, रियायत देने का एक कार्यक्रम है। इसे अमेरिका ने अपने व्यापार अधिनियम , 1974 के जरिए बनाया था। इसके तहत अमेरिका 129 देशों को अपने बाजार में पहुँचने वाले 4800 वस्तुओं पर आयात शुल्क नहीं लगाता है। जीएसपी की शुरूआत 1971 में अंकटाड के तत्वावधान में की गई थी। ट्रंप प्रशासन के भारत को जीएसपी सूची से निकालने के निर्णय से अमेरिकी कारोबार को हर साल 300 मिलियन डॉलर टैरिफ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वर्ष 2017 में जीएसपी के तहत भारत

ने अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर से अधिक का कर-मुक्त निर्यात किया था। अभी तक भारत जीएसपी (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफेरेंसेज) के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी देश माना जाता था लेकिन ट्रंप के निर्णय से भारत को मिला यह दर्जा छिन लिया गया है। अमेरिका जीएसपी और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा दुनियाभर के देशों को जिस तरह से शुल्क मुक्त बाजार पहुँच देता है उससे वर्तमान में उसका व्यापार घाटा रिकॉर्ड 891 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

ट्रंप सरकार ने विकासशील देशों में भेदभाव मुक्त बाजार पहुँच को सुनिश्चित करने की अपनी कवायद को जारी रखते हुए भारत पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका के हार्ले डेविडसन मोटरबाइकों पर भारी शुल्क लगाता है। भारत ने यह शुल्क हाल के समय में 100 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया है फिर भी अमेरिका को लगता है कि यह बहुत ज्यादा है और भारत जैसे देश उसे धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका भारत के अन्य देशों के साथ प्रतिरक्षा संबंधों में भी दखलंदाजी करने में लगा हुआ है। यदि भारत रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो उसे दण्ड और प्रतिबंध के लिए तैयार रहना होगा।

पश्चिमी एशिया में उबाल पूरे उफान पर है जहाँ भारत के हित अमेरिका और ईरान दोनों के साथ जुड़े हैं। ईरान से तेल खरीदने को लेकर भारत को अमेरिका से मिली छूट अब समाप्त हो चुकी है। भारत ने पहले ही इस वास्तविकता से तालमेल बैठाना भी शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका से भारत का तेल आयात बढ़ा है। फिलहाल अमेरिका से होने वाले तेल आयात ने भारत के परंपरागत तेल आपूर्तिकर्ता पश्चिमी एशियाई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, मगर भारत यहां क्षेत्रीय स्थायित्व एवं स्थिरता भी चाहता है और माइक पोंपियो को इससे अवगत भी करा दिया गया है।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध

वर्तमान में अमेरिका चीन से भी व्यापार युद्ध में उलझा हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि चीन भी अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं को समतामूलक बाजार पहुँच अपने यहां नहीं देता है जबकि अमेरिकी बाजार चीन के निर्यात से भरा हुआ है। अमेरिका और चीन के मध्य द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार 2018 में 737.1 बिलियन डॉलर थी। अमेरिका ने कुल 557.9 बिलियन डॉलर मूल्य के चीनी वस्तु और सेवाओं का आयात किया जबकि चीन के बाजार में अमेरिका का निर्यात मात्र 179. 3 बिलियन डॉलर रहा। यहाँ भी व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है। ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आयी और उन्होंने 2018 में 250 बिलियन मूल्य वाले चीनी वस्तुओं पर टैरिफ 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन से अमेरिका का व्यापार घाटा 420 बिलियन डॉलर का हो गया है।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के तरीके अमेरिका लगातार खोज रहा है। चीन के दक्षिण चीन सागर के स्पार्टले और पारासेल द्वीपों और पूर्वी चीन सागर में डियायू अथवा सेनकाकू द्वीपों पर अवैध कब्जे करने का प्रयास, चीन द्वारा पापुआ न्यू गिनी में नौसैनिक अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव, वन बेल्ट वन रोड पहल, मैरीटाइम सिल्क रूट, मोतियों की लड़ी की नीति के जरिए समूचे हिन्द महासागर को अड्डों का नेटवर्क बनाने का प्रयास, हिन्द महासागर में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से पॉलिमेटालिक सल्फाइड के निष्कर्षण का ठेका प्राप्त करने जैसी बातें अमेरिका के हित में नहीं है और दूसरी तरफ चीन के साथ व्यापार में अमेरिका को लगातार क्षति हो रही है।

अमेरिका की संरक्षणवादी नीति

कुछ समय पहले अमेरिका ने एल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ रेट बढ़ा दिया था और यूरोपीयन देशों तथा कनाडा, मैक्सिको से भी अमेरिका की व्यापारिक तनातनी बनी रही। इसी को दुनिया ट्रंप का आर्थिक संरक्षणवादी नीति के नाम से जानती है। अमेरिका की कुछ और संरक्षणवादी नीतियाँ अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले पेरिस समझौते से अपने को अलग किया और यह संकेत दिया कि विकासशील और निर्धन देश यह आशा न करें कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर वह इन देशों पर अपना पैसा लुटाएगा। इसके बाद ट्रंप ने 12 देशों वाले मुक्त व्यापार समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अपने को अलग कर लिया, ताकि किसी भी तरह से कोई ट्रेड डील पैसिफिक क्षेत्र में उसके हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित न कर सके। इसके बाद अमेरिका ने यरूशलम के मुद्दे पर इजराइल का साथ देते हुए यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की, इस निर्णय में इजराइल भी उसके साथ है।

प्रवासन के मुद्दों से पल्ला झाड़ते हुए अमेरिका ने ओबामा के समय बने 'ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन' से भी बाहर निकलने का निर्णय किया। इसके बाद ट्रंप सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिह्न लगा दिया, गौरतलब है कि दुनिया के 12 देश इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया में हैं। यहीं नहीं, इसके बाद अमेरिका ने आरोप लगाया कि मैक्सिको, कोलंबिया वाले लोग आतंकवादी, ड्रग माफिया, तस्कर हैं और अमेरिका में आकर माहौल खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही मैक्सिको सीमा पर ऐसे लोगों को रोकने के लिए वॉल ऑफ मैक्सिको बनाने की बात ट्रंप ने की। ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटने का ट्रंप को जो उपाय सुझा वो यह था कि सात मुस्लिम बाहुल्य वाले देशों के नागरिक यूएस ना आ पाएँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को अमेरिका की यात्रा से रोकने के उनके फैसले का मकसद 'बुरे लोगों' को अमेरिका से बाहर रखना है। ये सब घटनाएँ 2016 से 2018 के मध्य घटित हुईं।

2018 के अंत में जब पापुआ न्यू गिनी में एपेक की बैठक हुई तो ट्रंप ने नाफ्टा जैसे मुक्त व्यापार समझौते को खत्म करने की घोषणा कर दी। ट्रंप का कहना था कि यह दुनिया की सबसे खराब ट्रेड डील थी, इसका खात्मा जरूरी था। इसके साथ ही अरब विश्व और फिलिस्तीन के हितों को दरकिनार करते हुए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया और यरूशलम को इजराइल की आधिकारिक तौर पर राजधानी माना। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन को भी छोड़ने की धमकी दी। ये सब ऐसे राजनीतिक , सामरिक, कूटनीतिक कारक थे , जिन्होंने विश्व व्यवस्था को कई मायनों में प्रभावित किया है।

नाटो के जरिए भारत अमेरिका संबंध

हाल ही में अमेरिका में कानून निर्माताओं ने कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट में देश के शस्त्र नियंत्रण निर्यात संधि में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिसका मूल मकसद भारत को नाटो सहयोगी सदस्य का दर्जा देना है। नाटो में खुद विस्तार जारी है, कुछ ही समय पहले मॉन्टेनिग्रो को इसका नया सदस्य बनाया गया था। वहीं 2019 में मेसिडोनिया को 30वाँ सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। नाटो के इस विस्तार से उसके बढ़ते सामरिक महत्व का पता चलता है। नए कानून के जरिए भारत को वैसा ही नाटो सहयोगी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जैसे कि इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया हैं। इससे उच्च

प्रौद्योगिकी सैन्य उपकरणों को प्राप्त करने में भारत को मदद मिलेगी।

भारत को नाटो से जोड़कर अमेरिका क्वाड्रीलैट्रल ग्रुप यानी क्वाड और मालाबार, रिंपैक तथा युद्ध अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों के जरिये एशिया पैसिफिक क्षेत्र को बचाने के लिए एक नई ऊर्जा भर सकता है। अमेरिका और भारत दोनों के अफगानिस्तान में सामरिक हित लगे हुए हैं। भारत को नाटो से जोड़ कर ट्राँसनेशनल इस्लामिक टेरर नेटवर्क से निपटने में आसानी होगी। वर्ष 2014 में अमेरिका के नेतृत्व में 79 देशों के ग्लोबल कॉलीशन टू डिफीट आईएसआईएस का गठन किया गया, इस गठजोड़ का नाटो भी सदस्य है। अफगनिस्तान में आईएसआईएस खोरासान से निपटने और तहरीक ए तालिबान से निपटने के लिए भी यह जरूरी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की सीमाओं पर होने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी, अतिवाद, धार्मिक कट्टरता आदि से निपटना नाटो और भारत दोनों के लिए जरूरी है। भारत को आज गिलगित, बलूचिस्तान, डोकलाम, तवांग, सरक्रीक की सुरक्षा के लिए जो सैन्य सूचना सहयोग चाहिए, उसका मार्ग नाटो से जुड़ाव से खुल सकता है।

वर्ष 2002 में भारत अमेरिका ने जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA) पर हस्ताक्षर किया, जबकि 2018 में पहली 2 प्लस 2 वार्ता के तहत कॉमकासा एग्रीमेंट किया गया। कम्युनिकेशन कपैटीबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट दोनों देशों के मध्य सैन्य सूचना बिल्कुल सटीक समय पर एक दूसरे को साझा करने का समझौता है । इससे भारत को सी-17, सी-130 जे, P-81 जैसे अमेरिकी सैन्य और समुद्री निगरानी एयरक्रॉफ्ट के जरिए सूचनाएँ मिलने लगेंगी। इसके अलावा भारत को सी गार्डियन ड्रोंस मिलने लगेंगे। इन सैन्य प्लेटफार्मों का लाभ यह होगा कि यदि मलक्का जलडमरूमध्य में अमेरिका के जहाज ने चीन की किसी पनडुब्बी को आते जाते देखा, तो उस पनडुब्बी की गति, दिशा, अवस्थिति जैसी जानकारी मिनटों में भारतीय नौसेना के मुख्यालय पर 2019 में ही स्थापित कम्युनिकेशन सिस्टम तक रियल टाइम में पहुँचा दी जाएगी जबकि भारत ऐसी ही कोई सूचना अमेरिकी सेंट्रल एंड पैसिफिक नेवल कमांड तक पहुँचा देगा। यदि दोनों देशों के लिए घातक कोई आतंकी किसी तीसरे देश में वार्ता कर रहा है या योजना बना रहा है तो इसकी भी सूचना मिनटों में पहुँचा दी जा सकेगी। यह सुविधा कॉमकासा समझौते के तहत मिलेगी।

इसके साथ ही भारत अमेरिका दोनों देशों ने 2016 में लीमोआ समझौता यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया जिसका मूल उद्देश्य दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को सैन्य अभियानों के समय जरूरी उपकरण जैसे हथियार, ईंधन, दवाइयाँ, मशीनों के कलपुर्जे, आदि का विनिमय करना है, जैसे प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के किसी जहाज में कोई टूट फूट हो गई, समुद्री डकैती की समस्या आ गई ऐसे में जरूरी उपकरण का आदान प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही दोनों देशों ने बेका, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। इसके जरिए भारत अमेरिका के भूस्थानिक मानचित्रों का इस्तेमाल कर ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम्स और क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों के सटीक सैन्य जानकारी प्राप्त कर सकेगा। किसी दूसरे विवाद जैसे- डोकलाम आदि की स्थिति में ऐसी जानकारी मददगार होगी। इस प्रकार ये चार प्रतिरक्षा समझौते भारत और नाटो के संबंधों को और मजबूती देने के लिए एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं, इससे भारत का वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में बढ़ता महत्व साफ नजर आता है।

नाटो भारत के लिए इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि उसकी आतंकवाद विरोधी नीति दिशानिर्देश तीन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है और वो है जागरूकता, क्षमता और संलग्नता। नाटो के पास उसके मुख्यालय ब्रुसेल्स में एक आतंकवाद आसूचना प्रकोष्ठ है जो नाटो के सभी आतंक निरोधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। यह अपने अवाक्स इंटेलिजेंस फ्लाइट्स के जरिए भी आतंक से लड़ने में निपुण है। हिन्द महासागर और प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती से निपटने में भी नाटो भारत का बेहतर सहयोगी साबित हो सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीकन देशों सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरीट्रिया से उच्च सागर जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून से संचालित नहीं होता, को बचाने के लिए भी नाटो का सामरिक महत्व है।

आगे की राह

यह सही है कि वर्तमान में भारत, अमेरिका की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है लेकिन यदि इन दोनों के बीच संबंधों की गहन जाँच पड़ताल करें तो अभी तक भारत अमेरिका से लाभ की स्थिति में ही है अर्थात भारत, अमेरिका को कुछ देने के बजाय उससे कुछ हासिल ही किया है।

हालांकि यह भी सत्य है कि वर्तमान समय में अमेरिका की कुछ विवादित नीतियों का भारत ने समर्थन किया लेकिन वह स्थायी रूप से नहीं बल्कि तात्कालिक रूप से जिसका उदाहरण ईरान को ले सकते हैं।

इसके अलावा भारत ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि वह अमेरिका से बेहतर संबंध किसी अन्य देश से संबंधों के बलिदान पर नहीं करेगा अर्थात वह अपना हित सर्वोपरि रखेगा चाहे वह आर्थिक हित हो या फिर सामरिक या राजनीतिक। इसका बेहतर उदाहरण रूस है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कोई भी हथियार न खरीदे लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है।

वैसे देखा जाय तो वर्तमान में भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की है उतनी ही अमेरिका को भारत की। अतः दक्षिण एशिया में शांति के लिए दोनों देश मिलकर बेहतर कार्य कर सकते हैं। चूंकि भारत हमेशा से बसुधैव कुटुम्बंक की नीति को अपनाता है इसलिए वह चाहता है कि विश्व के सभी देश गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा की जगह विश्व कल्याण के लिए मिलजुल कर कार्य करें जिससे न सिर्फ मानव का कल्याण हो बल्कि प्रकृति को भी संरक्षित किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

स्नातक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

समुद्री डकैती का बढ़ता खतरा : एक वैश्विक चुनौती

प्र. ऐसे कौन से तत्व विद्यमान हैं जिससे अदन की खाड़ी और पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी समुद्री डकैती के सबसे बदनाम क्षेत्र हैं? समुद्री डकैती को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने और दुनिया के देशों के साथ समुद्री सूचना को साझा करने के लिए भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम स्थित नौसेना के 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन' (आईएफसी-आईओआर) में दो दिनों का समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला (एमआईएसडब्ल्यू) का आयोजन किया।

समुद्र में अवैध गतिविधि के क्षेत्र

- समुद्र में अवैध गतिविधियों के लिए दो समुद्री इलाके सबसे ज्यादा बदनाम हैं। पहला है अदन की खाड़ी से पूर्वी अफ्रीका तक का इलाका और दूसरा है पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी का इलाका। आज के दौर में समुद्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों में सबसे अहम है हथियारबंद बदमाशों का किसी जहाज को लूटना। इन दोनों ही खाड़ियों में जहाजों को अगवा कर लूट-पाट कर लिया जाता है। साथ ही लोगों को बंधक बनाया जाता है, फिर उनसे फिरौती वसूली जाती है। इससे तमाम देशों को तो नुकसान होता ही है और ये विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा माना जाता है।

गिनी की खाड़ी

- नाइजर डेल्टा, पश्चिमी अफ्रीका के समुद्री अपराधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। इसकी कई वजहें हैं। तटीय इलाकों में भारी तादाद में गैस और तेल के भंडार मिलने से यहां समृद्धि आने के बजाय गरीबी बढ़ी है।

इस इलाके में समुद्री लूट-पाट बढ़ने के कारण

- नाइजीरिया में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। भ्रष्ट अधिकारियों और अनियमित तेल व्यापार की वजह से आपराधिक संगठन चुराए हुए तेल और शोधित तेल को आराम से बाजार में बेच लेते हैं। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की वजह से नाइजीरिया के तेल व्यापार के क्षेत्र में हालात ये हैं कि वैध और अवैध के बीच का फर्क ही मिट गया है।

समुद्री डकैती रोकने के वैश्विक प्रयास

- समुद्री डकैती और हथियारबंद हमले, पश्चिमी अफ्रीका के लिए कोई नई बात नहीं हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। याउंडे कोड ऑफ कंडक्ट, गल्फ ऑफ गिनी कमीशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाए गए हैं ताकि समुद्री लूट-पाट से निपटा जा सके। लेकिन, पिछले साल और इस साल यानी 2019 में समुद्री अपराध की घटनाओं में बहुत बढ़त देखी गई है।

भारत सरकार के प्रयास

- अदन की खाड़ी में भारतीय नौ सेना के जहाजों को नौ सेना के एस्कॉर्ट उपलब्ध कराए गए हैं।
- भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और पश्चिम की ओर देशान्तर रेखा से 65 डिग्री पूर्व तक भारतीय नौ सेना ने चौकसी बढ़ा दी है।

चुनौतियाँ

- समुद्र के जरिए पैदा होने वाले खतरे ने अब भी क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति तथा स्थिरता को खतरे में डाल रखा है। सोमालियाई समुद्री लुटेरों की ओर से भारत सहित अन्य देशों के व्यापारिक पोतों को निशाना बनाए जाने की पृष्ठभूमि में समुद्री डकैती भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- समुद्री सीमा की सुरक्षा, कारोबार के अहम समुद्री रास्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री संसाधनों का उचित इस्तेमाल होना जरूरी है। इसके लिए कानून को सही तरीके से लागू करना जरूरी है। तमाम देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने और समुद्री सीमाओं के प्रबंधन को बेहतर करने की जरूरत है। ■

बैक टू विलेज कार्यक्रम : ग्रामीण जनसमस्या का आकलन

प्र. बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रमों से ग्रामीण भारत (विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र) की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? चर्चा कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले या राज्य स्तर पर बन रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को अंतिम गाँवों तक पहुँचाना है।

कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य एवं रूपरेखा

- इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास के प्रयासों को दिशा देना है।
- पंचायतों को सशक्त करना।

परिचय

- संवेदनशील प्रशासन का दायित्व होता है कि वह जन समस्याओं को सुनें तथा इसके व्यक्तिगत अथवा संस्थागत कार्य में शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो उसका निराकरण करे ताकि जनसामान्य हेतु तैयार योजनाओं का लाभ उन्हें मिले तथा उनका शासन एवं प्रशासन पर विश्वास कायम रह सके।

जनसमस्या तथा सामाजिक विकास के अभाव के कारण

- भय, सरकारी तंत्र पर अविश्वास, भविष्य की चिंता
- अज्ञानता, इच्छाशक्ति की कमी

उत्तर-पूर्वी राज्यों में 'बैक टू विलेज कार्यक्रम' की महत्ता

- कई बार देखा गया है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ दूर दराज या दुर्गम इलाकों तक नहीं पहुँच पाया है, ऐसे में शासन, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे शीर्ष अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दल समूचे क्षेत्र में होने वाली मूलभूत समस्याओं की सूची बनाकर उसे राज्य सरकार को सौंपे ताकि ग्रामीण जनसंख्या विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें।

चुनौतियाँ

- भारत सरकार देश भर में राज्य सरकारों के साथ मिलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, किसान फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना जैसे कल्याणकारी कार्य कर रही है। किन्तु इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में स्थानीय प्रशासन उदासीन दिखाई देता है।
- स्थानीय लोगों में जागरूकता का अभाव पाया जाता है जिससे जनकल्याणकारी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती है।

सरकारी प्रयास

- कौशल विकास के जरिए रोजगार को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आरंभ की गई है, जो एनआरएलएम (National Rural Livelihood mission) के अंतर्गत निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए काम यानी रोजगार दिलाने वाला कौशल विकास कार्यक्रम है।

आगे की राह

- जम्मू कश्मीर एवं देश की अन्य राज्य सरकारों को विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अन्य धांधलियों से निपटने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास और समृद्धि का लाभ राज्य के सबसे गरीब लोगों तक पहुँचे। ■

बासेल-III मानक एवं भारत की तैयारी

प्र. हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक 'बासेल-III' के निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में बासेल कमेटि ऑन बैंक सुपरविजन (BCCS) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक बासेल-III के द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाया है।

बासेल मानक क्या है

- बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए उन्हें 'बासेल मानक' कहा जाता है। इन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। इन्हें पूरा करने से बैंकों को वित्तीय जोखिमों से बेहतर ढंग से निपटने और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। इन मानकों को 'बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति' (BCBS : Basel Committee on Banking Supervision) जारी करती है।

वर्तमान परिदृश्य

- 27 मार्च, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बासेल-III मानकों को पूरी तरह लागू करने की समय-सीमा को 31 मार्च, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया गया था। इन मानकों का कार्यान्वयन 1 वर्ष तक बढ़ा दिए जाने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तुरंत अतिरिक्त पूँजी प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बासेल-III के कठोर मानकों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंकों को कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता होगी।

बासेल-III का उद्देश्य

- वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से पैदा हुए उतार-चढ़ाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाना।
- जोखिम प्रबंधन क्षमता और बैंकिंग क्षेत्र के प्रशासन में सुधार लाना।

बासेल-III की आवश्यकता क्यों

- पूँजी की बेहतर गुणवत्ता, पूँजी संरक्षण बफर, काउंटरसाइक्लिकल बफर, न्यूनतम सामान्य इक्विटी, लीवरेज अनुपात और तरलता अनुपात।

चुनौतियाँ

- बासेल-III, जिसे समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, न सिर्फ बैंकों के लिए बल्कि भारत सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। एक अनुमान के अनुसार भारत के बैंकों को 2020 तक बाहरी पूँजी को 6,00,000 करोड़ रुपयों करने की जरूरत होगी।

आगे की राह

- बैंकिंग क्षेत्र ने संरचना, विकास और नवाचार में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। बैंकिंग परिचालन जटिल है और पर्यवेक्षकों के लिए निगरानी एवं नियंत्रण करना मुश्किल होता है। गौरतलब है कि काफी जटिलताओं के कारण, बैंकिंग क्षेत्र विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना कर रहा है। ■

राजकोषीय संघवाद के पुनर्गठन की आवश्यकता

प्र. राजकोषीय संघवाद से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "प्रभावी विकेन्द्रीकरण, पारदर्शी जीएसटी शासन, स्वतंत्र वित्त आयोग तथा प्रभावी नीति आयोग राजकोषीय संघवाद को सशक्त कर भारत को एक नई दशा और दिशा दे सकता है?" अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्र व राज्यों के बीच बढ़ते वित्तीय तनाव के चलते नीति आयोग द्वारा राजकोषीय संघवाद को नया स्वरूप देने पर बल दिया गया है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि राजकोषीय संघवाद का एक बार समीक्षा करना आवश्यक है।

भारत में राजकोषीय संघवाद

- भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघवाद और राजस्व साझेदारी के सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय व राजकोषीय संबंधों की व्याख्या संविधान के भाग-12 के अध्याय (1) में किया गया। इस अध्याय में संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का भी विभाजन किया गया है।

राजकोषीय संघवाद को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों

- केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में कर से ज्यादा आय होती है, जिससे उसके पास वित्तीय शक्ति का संकेन्द्रण होता है लेकिन उनकी जवाबदेहिता कम होती है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार कुल करों का लगभग 60% एकत्र करती है, जबकि इसकी व्यय जिम्मेदारी (रक्षा, आदि के रूप में संवैधानिक रूप से अनिवार्य जिम्मेदारी निभाने के लिए) कुल सार्वजनिक व्यय का केवल 40% ही है।

सरकारी प्रयास

- सरकार ने संघ व राज्यों के मध्य किये जाने वाले राजस्व वितरण में तनाव को कम करने के लिए 80वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, वर्ष 2000 में परिवर्तित किया। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्कों का विभाजन संघ और राज्यों के बीच किया जाएगा।
- ठीक इसी तरह डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग ने जब राज्यों को राजस्व के 42% विचलन की सिफारिश की तो केंद्र सरकार ने इसे भी स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि इससे 2015-16 में राज्यों को 50% से अधिक राजस्व अंतरित हुआ।

आगे की राह

- राजकोषीय संघवाद की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को समाप्त करने के लिए वित्त आयोग, नीति आयोग, जीएसटी परिषद और विकेंद्रीकरण जैसे चार स्तंभों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- विकास के असंतुलन को कम करके व राज्यों के बीच क्षेत्रीय और उप-असमानताओं को दूर करने के लिए नीति आयोग को विशेष प्रकार के दायित्व देने की आवश्यकता है। ■

भारत-मालदीव संबंधों में नया आयाम

प्र. भारत मालदीव के संबंधों की चर्चा करते हुए बताएँ कि मालदीव भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव में नये सरकार के गठन के बाद अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान 'रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन' से नवाजा।

पृष्ठभूमि

- भारत और मालदीव के बीच दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं। प्राचीन समय में मालदीव पर भारतीय हिंदू संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव रहा है। मालदीव को ब्रिटिशों से 26 जुलाई 1965 में आजादी मिली थी। भारत मालदीव को एक सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक है। चीन ने तो मालदीव में 2011 में अपना दूतावास खोला है जबकि भारत ने वर्ष 1972 में ही मालदीव में अपना दूतावास खोल दिया था।

वर्तमान स्थिति

- भारत की नई सरकार के गठन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मालदीव को पहली विदेश यात्रा के रूप में चुनना भारत की 'पड़ोसी प्रथम' की नीति और मालदीव द्वारा 1970 के दशक में अपनाई गई 'इंडिया फर्स्ट पॉलिसी' को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से प्रेरित है। मालदीव भारत के भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक, और भू-सामरिक हितों के लिए अति महत्वपूर्ण देश है।

मालदीव भारत के लिए बेहद अहम क्यों है

- हिन्द महासागर में मालदीव की सामरिक अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय सागरीय मार्ग वाले तेल व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण है। अदन की खाड़ी, मलक्का और हॉर्मुज जलसंधियों के मध्य हिन्द महासागर में मालदीव की केंद्रीय स्थिति को देखकर ही भारत ने एक प्रस्ताव पारित कर नवंबर 2018 में मालदीव को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वाँ सदस्य बनवाया है।

चुनौतियाँ

- हिन्द महासागर को एक संघर्षमुक्त क्षेत्र बनाना और शांत महासागर के रूप में इसकी स्थिति को पुनः बहाल करना।

आगे की राह

- भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा कर यह जता दिया है कि भारत के लिए 'पहले पड़ोस' की नीति बेहद महत्वपूर्ण है और मालदीव इसमें अहम स्थान रखता है। मालदीव की आंतरिक राजनीति चाहे जो हो लेकिन भारत मालदीव को अपना सहभागी मानने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ■

जी–20 सम्मेलन 2019 और भारत

प्र. जी-20 देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, संरक्षणवाद आतंकवाद, एक तरफा निर्णय और व्यापार व्यवस्था प्रमुख चुनौतियाँ हैं। चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में ओसाका (जापान) में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन में 19 देश और यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया।

वर्तमान परिदृश्य

- जी-20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह जी-7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इसका मकसद विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाना और दुनिया की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना है। 2008 में जब दुनिया मंदी की गिरफ्त में आई थी तो उससे बाहर निकलने में केंद्रीय भूमिका जी-20 ने ही निभाई थी। लेकिन उस वक्त प्रमुख देशों के नेताओं में जो तालमेल दिखा था, वह आज सिरे से नदारद है।

भारत और जी-20

- जी-20 में भारत की भागीदारी इस स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप हुई कि एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व में भारत का महत्वपूर्ण हित निहित है।

जी-20 देशों के बीच खींचातानी

- जी-20 के ब्रिस्बेन सम्मेलन से लेकर ओसाका तक के शिखर सम्मलेन को यदि देखा जाये तो इनकी एकता बिखरती हुई दिख रही है और ये जाने-अनजाने दुनिया को संरक्षणवाद, राष्ट्रवाद के साथ नये टकरावों की ओर धकेलते दिख रहे हैं। यह एक सर्वप्रमुख चुनौती है।

आगे की राह

- आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता, संरक्षणवाद, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर एकतरफा निर्णय और आतंकवाद विश्व की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। विश्व के सभी देशों को विश्व व्यापार संगठन को मजबूत बनाने, संरक्षणवाद से मुकाबला करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए साथ मिलकर काम करने की तत्काल आवश्यकता है। ■

भारत–अमेरिका के बीच संबंधों में उतार–चढ़ाव

प्र. भारत अमेरिका के बीच बदलते संबंधों की चर्चा करते हुए यह बताएँ कि अमेरिका किस प्रकार संरक्षणवादी नीति से भारत को प्रभावित कर रहा है? साथ ही साथ नाटो के संदर्भ में भी इनके संबंधों का उल्लेख करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियों ने भारत का दौरा किया। उनके दौरे में दोनों देशों के बीच रिश्तों की मौजूदा तस्वीर को लेकर काफी उत्सुकता रही क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत अमेरिका को संबंध उतार-चढ़ाव से भरे रहे हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति

- भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति काफी विविधतापूर्ण और उतार-चढ़ाव वाली रही है। वर्तमान में भारत और अमेरिका के वस्तु और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। इसका मतलब है कि भारत का अमेरिका में निर्यात ज्यादा है और भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं का आयात कम है।

अमेरिका की संरक्षणवादी नीति

- कुछ समय पहले अमेरिका ने एल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ रेट बढ़ा दिया था और यूरोपीयन देशों तथा कनाडा, मैक्सिको से भी अमेरिका की व्यापारिक तनातनी बनी रही। इसी को दुनिया ट्रंप का आर्थिक संरक्षणवादी नीति के नाम से जानती है। अमेरिका की कुछ और संरक्षणवादी नीतियाँ अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देती हैं।

नाटो के जरिए भारत अमेरिका संबंध

- भारत को नाटो से जोड़कर अमेरिका क्वाड्रीलैट्रल ग्रुप यानी क्वाड और मालाबार, रिंपैक तथा युद्ध अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों के जरिये एशिया पैसिफिक क्षेत्र को बचाने के लिए एक नई ऊर्जा भर सकता है। अमेरिका और भारत दोनों के अफगानिस्तान में सामरिक हित लगे हुए हैं। भारत को नाटो से जोड़ कर ट्राँसनेशनल इस्लामिक टेरर नेटवर्क से निपटने में आसानी होगी।

आगे की राह

- यह सही है कि वर्तमान में भारत, अमेरिका की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है लेकिन यदि इन दोनों के बीच संबंधों की गहन जाँच पड़ताल करें तो अभी तक भारत अमेरिका से लाभ की स्थिति में ही है अर्थात भारत, अमेरिका को कुछ देने के बजाय उससे कुछ हासिल ही किया है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग ने 'स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत' शीर्षक से रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है।

स्वास्थ्य सूचकांक, 2019 के बारे में

2.1 इस रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति तथा प्रगति का आकलन किया जाता है।

2.2 यह रिपोर्ट 23 सूचकांकों के आधार पर तैयार की गई है। इनमें से कुछ हैं- शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर, जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी, संपूर्ण टीकाकरण कवरेज, एचआईवी इत्यादि।

2.3 इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए साल 2015-16 को आधार वर्ष माना गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

3.1 इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों या पैमानों के साथ-साथ समग्र प्रदर्शन में हुए वार्षिक वृद्धिशील बदलाव के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग अभिनव ढंग से की जाती है।

3.2 इस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दो वर्षों की अवधि (2016-17 और 2017-18) के दौरान हुए वृद्धिशील सुधार एवं समग्र प्रदर्शन को मापने और उन पर प्रकाश डालने पर फोकस किया गया है।

3.3 रैंकिंग को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि एक जैसे निकायों के बीच तुलना सुनिश्चित की जा सके।

3.4 स्वास्थ्य सूचकांक (हेल्थी इंडेक्स) एक भारित समग्र सूचकांक है।

3.5 प्रत्येक क्षेत्र को विशेष भारांक (वेटेज) दिया गया है जो उसकी अहमियत पर आधारित है और जिसे विभिन्न संकेतकों के बीच समान रूप से बांटा गया है।

राज्यों का प्रदर्शन

4.1 समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन राज्य हैं, वहीं गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर हैं।

4.2 जबकि हरियाणा, राजस्थान और झारखंड वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्य हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे है।

4.3 इस सूची में यूपी 20वें, उत्तराखंड 19वें और ओडिशा 18वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य के मामले में बिहार और पिछड़ गया है।

4.4 छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन के आधार पर मिजोरम को शीर्ष रैंकिंग दी गई है। इसके बाद मणिपुर का नंबर आता है।

4.5 वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर त्रिपुरा को शीर्ष रैंकिंग दी गई है और उसके बाद मणिपुर का नंबर आता है।

4.6 केन्द्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दादर एवं नगर हवेली को समग्र प्रदर्शन (चंडीगढ़ 1 और दादर एवं नगर हवेली-2) के साथ-साथ वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन (दादर एवं नगर हवेली 1 और चंडीगढ़ 2) के आधार पर भी शीर्ष रैंकिंग दी गई है।

न्यायाधीशों की पद विमुक्ति

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एन. शुकला को एक आंतरिक जाँच समिति द्वारा कदाचार का दोषी पाये जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है।

न्यायाधीशों को हटाना

2.1 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में दी गई है।

2.2 अतः उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी दो आधारों सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है।

2.3 किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।

2.4 संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त हो जाने पर ऐसे न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है।

न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968

3.1 100 सदस्यों (लोकसभा) अथवा 50 सदस्यों (राज्यसभा) के हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को सौंपना होगा।

3.2 प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष/सभापति स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

3.3 यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष/सभापति आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यी समिति का गठन करेगा।

3.4 तीन सदस्यी समिति में 1. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, 2. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा 3. एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए।

3.5 समिति द्वारा जांच में पाया जाता है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।

3.6 दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है।

3.7 अंततः राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने के लिए आदेश पारित कर देता है। अभी तक उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं गया है।

पद की रिक्ति के अन्य तरीके

4.1 यदि वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाता है।

4.2 जब उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। वह स्वेच्छा से राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है।

4.3 किसी अन्य उच्च न्यायालय में उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है।

कमियाँ

5.1 विधायिका द्वारा 1968 के अधिनियम के तहत विहित प्रक्रिया दोषपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि इससे न्यायाधीशों पर एक राजनैतिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। बहुत सम्भावना है कि यदि त्रि-सदस्यीय समिति किसी न्यायाधीश को दोषी मानती भी है तो भी उस पर महाभियोग न हो पाए। इस प्रकार एक दोषी न्यायाधीश राजनैतिक कारणों से बच निकल सकता है और प्राकृतिक न्याय को धक्का पहुँच सकता है।

5.2 पूरी प्रक्रिया न्यायिक स्वायत्तता को हानि पहुँचाने वाली प्रतीत होती है। इसके माध्यम से न्यायाधीशों को बहुमत वाले दल की विचारधारा पर चलने के लिए विवश होना पड़ सकता है।

5.3 "दुर्व्यवहार और असक्षमता" शब्दों को संविधान में न तो परिभाषित किया गया है और न ही स्पष्ट किया गया है।

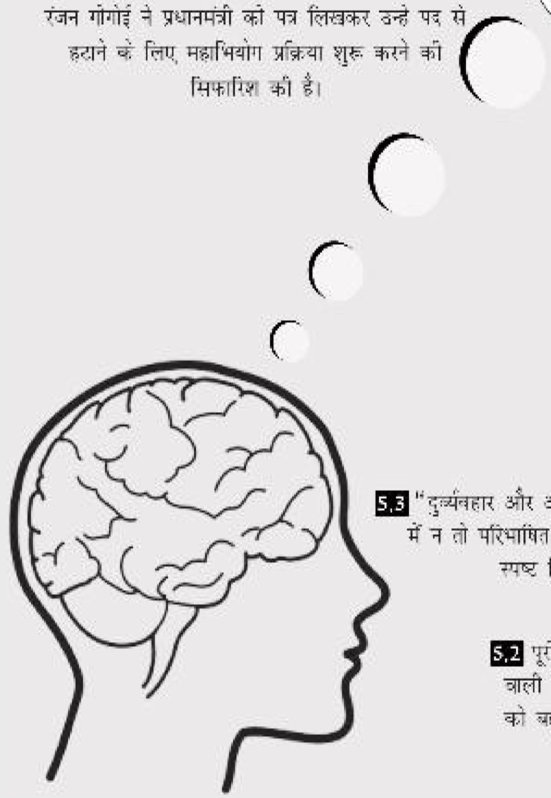

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018

चर्चा का कारण

1.1 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 में यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक पेट्रोल में 20% ऐथनॉल मिलाया जाएगा और डीजल में 5% जैव-डीजल मिलाया जाएगा।

पृष्ठभूमि

2.1 देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी।

2.2 यह नीति सरकार की वर्तमान पहलों मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास के अनुकूल है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोजगार सृजन, कचरे से धन सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करती है।

विशेषताएँ

3.1 जैव ईंधन को तीन श्रेणी बाँटा गया है-

3.1.1 पहली श्रेणी 1G है जिसके अंतर्गत बायोइथेनॉल, बायोडीजल एवं उन्नत जैव-ईंधन आते हैं।

3.1.2 दूसरी श्रेणी 2G है जिसमें इथेनॉल व निगम ठोस कचरा आते हैं।

3.1.3 तीसरी श्रेणी 3G के अंतर्गत आने वाले ईंधन जैव ईंधन, बायो-सीएनजी इत्यादि।

3.2 ये श्रेणियाँ इसलिए बनाई गई हैं कि तदनुसार आवश्यक आर्थिक सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन राशि (incentives) दी जा सकेगी।

3.3 इस नीति में इथेनॉल (ethanol) उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की परिभाषा को व्यापक विस्तार देते हुए इसमें इन सामग्रियों को भी जोड़ा गया है गन्ना रस, चुकंदर जैसे मीठे पदार्थ, मीठा बाजरा, मंडयुक्त अनाज जैसे मकई, कसावा, टूटा-फूटा गेहूँ, टूटा चावल, अखाद्य सड़ा आलू।

विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन

4.1 **बायो इथेनॉल:** यह कार्बोहाइड्रेट और फसलों एवं अन्य पौधों व घासों के रेशेदार (cellulosic) सामग्री के किण्वन से उत्पादित अल्कोहल है। सामान्यतः ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए इसका योजक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

4.2 **जैव डीजल:** यह पौधों और पशुओं से प्राप्त तेलों और वसा के ट्रांस एस्टरीफिकेशन द्वारा उत्पादित फैटी एसिड का मिथाइल या मिथाइल एस्टर है। इसका प्रत्यक्ष रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

4.3 **बायो गैस:** बायो गैस अवायवीय जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय पाचन के माध्यम से उत्पादित मीथेन है। इसे पूरक गैस प्राप्त करने के लिए एनारोबिक डाइजेस्टर में या तो जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ डालकर अथवा ऊर्जा फसलों का उपयोग करके उत्पादन किया जा सकता है।

संभावित लाभ

5.1 **आयात निर्भरता कम होगी:** वर्ष 2017-18 में करीब 150 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की गयी है जिससे 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

5.2 **स्वच्छ पर्यावरण:** एक करोड़ लीटर ई-10 से करीब 20,000 हजार टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा।

5.3 **स्वास्थ्य संबंधी लाभ:** इस्तेमाल हो चुका खाना पकाने का तेल जैव ईंधन के लिए संभावित फीडस्टॉक हो सकता है और जैव ईंधन बनाने के लिए इसके इस्तेमाल से खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से बचा जा सकता है।

5.4 **एमएसडब्ल्यू प्रबंध:** एक अनुमान के अनुसार भारत में हर वर्ष 62 एमएमटी निगम का ठोस कचरा निकलता है। ऐसी प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं जो कचरा/प्लास्टिक, एमएसडब्ल्यू (निगम ठोस कचरा) को ईंधन में परिवर्तित कर सकती हैं।

5.5 **ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेश:** वर्तमान में तेल विपणन कंपनियाँ करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से बारह 2जी रिफाइनरियाँ स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

5.6 **रोजगार सृजन:** इस नीति के अंतर्गत लगभग 1200 नौकरियाँ सृजित होने की संभावना है।

5.7 **किसानों को अतिरिक्त आय:** 2जी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कृषि संबंधी अवशिष्टों/कचरे को इथेनॉल में बदला जा सकता है।

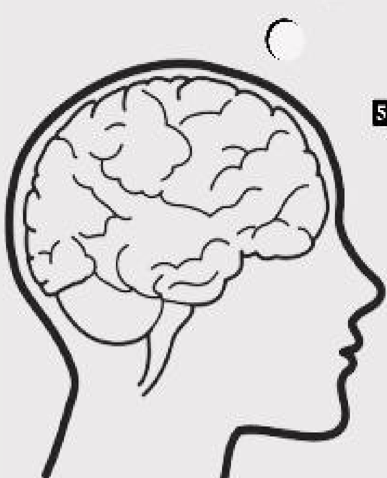

पॉलीमेटालिक नूडल्स व भारत

संदर्भ

1.1 पॉलीमेटालिक नूडल्स (Polymetallic Nodules-PMN), को मैंगनीज नूडल्स भी कहा जाता है। यह नूडल्स चट्टानों का यौग है जो कोर में लौह एवं मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड के जमाव परत से निर्मित होता है।

1.2 यह कोर कभी-कभी सूक्ष्मदर्शी रूप से छोटा हो सकता है और कभी-कभी क्रिस्टलीकरण के द्वारा मैंगनीज में रूपांतरित हो जाता है।

विस्तार व अनुमान

2.1 ये नूडल्स समुद्री तल के तलछट में सामान्य तौर पर आधे गड़े पाए जाते हैं। इनकी अधिकतम सांद्रता 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है।

2.2 पॉलीमेटालिक नूडल्स सामान्य तौर पर सभी महासागरों में, यहां तक कि कई झीलों में पाए जाते हैं। परंतु इसका उत्खनन आर्थिक दृष्टि से संगत भी होना चाहिए।

2.3 यह माना जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी खोज व उत्खनन तभी लाभप्रद होगा जब प्रति वर्ग मीटर में इसकी सांद्रता 10 किलोग्राम से अधिक हो।

2.4 इस दृष्टिकोण से तीन क्षेत्रों का चयन औद्योगिक उत्खनन के लिए किया गया है। उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर का मध्य क्षेत्र, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पेरू बेसिन तथा उत्तरी हिंद महासागर का केन्द्र।

निर्माण

3.1 हाइड्रोजनित प्रक्रिया जिसमें समुद्री जल से धात्विक घटकों के जुड़ने से। इस प्रक्रिया में निर्मित नूडल्स में लौह व मैंगनीज लगभग समान होता है परंतु निकेल, तॉबा व कोबाल्ट अधिक होता है।

3.2 डायजेनेटिक प्रक्रिया जिसमें मैंगनीज तलछट कॉलम में फिर से लागवंद होता है तथा तलछट/जल पर इसका अवक्षेप होता है। इस प्रक्रिया से निर्मित नूडल्स में मैंगनीज अधिक परंतु लौह व निकेल कम होता है।

भारत एवं पॉलीमेटालिक नूडल्स

4.1 इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने पॉलीमेटालिक नूडल्स के लिए विकासात्मक गतिविधियों हेतु भारत को अंतर्राष्ट्रीय जल में 7500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रदान किया था।

4.2 इस क्षेत्र में 380 मिलियन टन का पॉलीमेटालिक नूडल्स है जिसमें शामिल हैं- 4.7 मिलियन टन का निकेल, 4.29 मिलियन टन का तॉबा, 0.55 मिलियन टन का कोबाल्ट एवं 92.59 मिलियन टन का मैंगनीज।

4.3 भारत ऐसा पहला देश है जिसे 1987 में पॉयनियर निवेशक का दर्जा प्रदान किया गया तथा पॉलीमेटालिक नूडल्स के उत्खनन एवं उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिंद महासागर बेसिन में विशिष्ट क्षेत्र आवंटित किया गया।

4.4 भारत सरकार द्वारा पॉलीमेटालिक नूडल्स के निष्कर्षण हेतु खनन एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए 'पॉलीमेटालिक नूडल्स कार्यक्रम' आरंभ किया गया है।

4.5 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इस कार्यक्रम के चार घटक हैं- सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, प्रौद्योगिकी विकास (खनन) एवं प्रौद्योगिकी विकास (धातु निष्कर्षण)।

पॉलीमेटालिक नूडल्स उत्खनन एवं पर्यावरणीय प्रभाव

5.1 पॉलीमेटालिक नूडल्स उत्खनन की दिशा में भविष्य में प्रयास बढ़ने की संभावना है और नई प्रौद्योगिकियों के विकास से इसमें और तेजी आएगी।

5.2 इसके साथ ही इससे जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों पर भी चिंताएँ प्रकट होकर सामने आनी शुरू हो गई हैं।

5.3 हालाँकि इन नूडल्स से जुड़े जैव विविधता खतरों पर कम सूचनाएँ उपलब्ध हैं परंतु वर्ष 2016 में कुछ समुद्री प्रजातियों के इस नूडल्स से जुड़ाव पर नेचर पत्रिका में एक शोध रिपोर्ट 'खनन से खतरा, नितलीय एपिफौना के संरक्षण की जरूरत' प्रकाशित हुई थी।

निष्कर्ष

6.1 बढ़ती आबादी के साथ भारत में संसाधनों, विशेषकर ऊर्जा संसाधनों की माँग में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है।

6.2 ऐसे में गहन समुद्र का पॉलीमेटालिक नूडल्स भारत के लिए ऊर्जा संसाधन का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

6.3 परंतु इस क्रम में ध्यान रखना होगा कि इसका उत्खनन आर्थिक रूप से लाभप्रद हो ही, साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचे।

यूएन वीमेन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में यूएन वीमेन ने 'विश्वभर की महिलाओं की प्रगति 2019-20 : बदलती दुनिया में परिवार' नामक रिपोर्ट जारी किया है।

1.2 इस रिपोर्ट में वैश्विक आँकड़े एकत्र करके गहराई से परिवारों में मौजूदा परंपराओं, संस्कृति और मनोवृत्तियों का अध्ययन किया गया है।

अल्प सुधार

2.1 पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है।

2.2 परंतु पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता और परिवारों में ही महिलाओं के अन्य बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामले अब भी देखे जा रहे हैं।

2.3 यूएन वीमेन के कार्यकारी निदेशक ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 'इसके लिए जरूरी है कि परिवारों के प्रभावशाली सदस्यों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक होकर उन्हें हर नीति और फैसले के केंद्र में रखना होगा।'

वर्तमान परिदृश्य

3.1 वैश्विक स्तर पर 38 प्रतिशत परिवारों में दंपतियों के पास बच्चे हैं और 27 प्रतिशत परिवारों में संबंधित रिश्तेदार भी रहते हैं। आठ फीसदी परिवार में ही महिला अभिभावक हैं।

3.2 परिवार में महिलाओं को आय अर्जित करने के लिए कामकाज करने, बच्चों की देखभाल करने और घर संभालने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है जिसका उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता है।

3.3 कामकाजी और श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ रही है। परंतु विवाह और माँ बनने की वजह से कामकाजी दुनिया में उनकी भागीदारी कम भी हो रही है।

3.4 नए आँकड़े के अनुसार 25 से 54 वर्ष की उम्र की महिलाओं में से लगभग आधी संख्या, परिवार में अकेले रहने वाली महिलाओं में से दो तिहाई और 96 प्रतिशत विवाहित पुरुष कामकाजी क्षेत्र में भागीदार हैं।

3.5 महिलाएँ देखभाल और घरेलू कामकाज तीन गुना ज्यादा करती हैं यही पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का एक मुख्य कारण है।

रिपोर्ट की सिफारिशें

4.1 महिलाओं को अपने विवाह के बारे में सभी निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए साथ ही पारिवारिक संसाधनों में भी महिलाओं का हिस्सा सुनिश्चित होना चाहिए

4.2 पारिवारिक संबंधों के अनेक रूपों को मान्यता दी जानी चाहिए और समान लिंग पर आधारित संबंधों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

4.3 सभी को वित्तीय व अन्य तरह का सहारा देने वाली सामाजिक व्यवस्था कायम की जाना चाहिए।

4.4 लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ किसी भी कारण से होने वाली हिंसा को बंद करने के लिए महिला सुरक्षा कानून लागू की जानी चाहिए, साथ ही हिंसा के पीड़ितों को समय पर न्याय और हर तरह की सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

4.5 सार्वजनिक सेवाएँ बेहतर बनायी जानी चाहिए, विशेषतौर पर जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए।

निष्कर्ष

5.1 परिवार ही वो प्रमुख स्थान है जहाँ समानता और न्यायपूर्ण माहौल की बुनियाद रखी जाती है।

5.2 ये सिर्फ नैतिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी अहम है।

5.3 विदित हो कि दुनियाभर में मानव प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये सतत विकास लक्ष्य बहुत व्यापक एजेंडा और अवसर पेश करते हैं।

एमएसएमई दिवस

चर्चा का कारण

1.1 संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया है।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के व्यवसायों ने इस दिन को स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उनके काम की पहचान के रूप में मनाया।

एमएसएमई क्या है?

2.1 ये उद्यम दुनिया भर में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं।

2.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट लॉन्च की: 'एसएमई प्रतिस्पर्द्धात्मकता आउटलुक 2019: छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा पैसा।'

2.3 सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग के व्यवसाय स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपने कार्य की मान्यता में इस दिन को मनाते हैं।

2.4 उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित अपने 74 वें पूर्ण अधिवेशन में सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने तथा सभी के लिए नवोन्मेषण एवं स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रतिवर्ष 27 जून को इस दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी।

2.5 ये उद्यम विकासशील देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उद्देश्य

3.1 इस दिवस का उद्देश्य एमएसएमई आर्थिक प्रणाली के विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद एवं साझेदारी को प्रोत्साहित करना तथा एमएसएमई से संबंधित मुद्दों पर नवोन्मेषण को बढ़ावा देना एवं ज्ञान साझा करना है।

3.2 इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

3.3 एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एक वेबसाइट लॉंच किया गया है, जो प्रतिभाओं के समूह तथा प्रशिक्षित श्रम शक्ति की माँग करने वाले उपक्रमों के बीच एक सेतु का काम करेगा।

3.4 एमएसएमई मंत्रालय के 18 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केन्द्रों में लगभग डेढ़ लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

3.5 मेक इन इंडिया कार्यक्रम में एमएसएमई की भूमिका, लैंगिक समानता के लिए महिला केन्द्रित उद्यमों की भूमिका, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता में जीएसटी की भूमिका, एसएमई का अनुसंधान एवं विकास इत्यादि शामिल हैं।

3.6 इस दिवस के बहुआयामी उद्देश्यों में युवा रोजगार में एमएसएमई के महत्व को औचित्य प्रदान करना, उचित नौकरियों को हासिल करने के लिए युवाओं को उनमें होने वाले आवश्यक कौशलों के बारे में जागरूक करना और युवा उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

एमएसएमई का महत्व

4.1 एमएसएमई विकास के लिए प्रमुख रोजगार प्रदाता के रूप में मुख्य स्रोत का कार्य करता है। यह मुख्यत: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को साकार करने पर जोर देता है।

4.2 यह सभी के लिए नवाचार, रचनात्मकता और उचित काम को प्रवर्तित करता है। उभरते व्यापारों में बनाए गए पाँच नए औपचारिक रोजगारों में से चार एमएसएमई के बीच के हैं।

4.3 एमएसएमई श्रमिकों के कमजोर क्षेत्र जैसे महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के लोगों के बड़े हिस्से को रोजगार देता है। कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई रोजगार का एकमात्र स्रोत होता है।

पृष्ठभूमि

5.1 संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा एक संकल्प के माध्यम से लघु व्यवसाय पहुँच में सुधार की आवश्यकता को पहचानने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस की स्थापना की गई।

5.2 यह संकल्प अर्जेंटीना के प्रतिनिधिमंडल द्वारा पेश किया गया था तथा 54 सदस्य राज्यों द्वारा इसे सह प्रायोजित भी किया गया था और इसे अप्रैल 2017 में 193 सदस्यीय यूएनजीए द्वारा मतदान के बिना अपनाया गया था।

सीलिएक डिजीज

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही एक अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक 140 लोगों में एक व्यक्ति सीलिएक रोग से ग्रसित है।

क्या है

2.1 सीलिएक डिजीज को सिलिएक स्प्रू या ग्लूटेन-संवेदी आंत्रोग भी कहा जाता है। भारत में लगभग 1% से 1.5% आबादी इस रोग से प्रभावित है।

2.2 दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत (गेहूँ उगाने व खाने वाले राज्यों) में यह बीमारी ज्यादा पायी जाती है।

2.3 पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में सीलिएक बीमारी के रोगियों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

कारण

3.1 सीलिएक डिजीज मुख्यतया आंत व इम्यून-सिस्टम की बीमारी है, जो ग्लूटेन युक्त भोजन लेने के परिणामस्वरूप छोटी आंत की परतों की क्षति होने से होती है।

3.2 इस कारण जरूरी पोषक तत्व आँतों द्वारा उचित प्रकार से अवशोषित नहीं हो पाते हैं।

3.3 सीलिएक रोग भोज्य पदार्थ की एलर्जी नहीं है, बल्कि यह स्व-प्रतिरक्षी रोग है।

सीलिएक रोग सबसे ज्यादा रिस्क

4.1 सिलिएक डिजीज एक आनुवंशिक रोग है, जो एक विशेष जीन HLA DQ2/DQ8 की उपस्थिति में ज्यादा होती है।

4.2 आम लोगों की तुलना में रोगी के परिवार वालों में इस रोग के होने की संभावना काफी ज्यादा होती है।

लक्षण

5.1 सीलिएक बीमारी की शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है। इस बीमारी में सभी में एक जैसे लक्षण नहीं होते, इसलिए कई बार इसकी पहचान करना भी मुश्किल होता है।

5.2 अपच/गंद पेटदर्द/ पेट फूलना/भूख लगना, शारीरिक वृद्धि की कमी, उल्टी होना, कभी-कभी आंत की प्रवृत्ति में बदलाव होना, जैसे बार-बार या लंबे दस्त या कब्ज।

5.3 हाथों और पैरों में झुनझुनी और सनसनाहट, माइग्रेन (एक प्रकार का सरदर्द), बाल झड़ना (एलोपीशिया), मुँह में बार-बार छाले, मासिक चक्र चूकना, बार-बार गर्भपात, त्वचा पर तीव्र निशान, हड्डियों और माँसपेशियों की समस्या।

निदान

6.1 अपने अनिश्चित लक्षणों और रोग के लम्बे अवधिकाल के कारण सीलिएक रोग का निर्धारण अकसर कठिन होता है। निर्धारण तीन प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होता है चिकित्सीय इतिहास/शारीरिक परीक्षण, रक्त परीक्षण (tTG/IgA, EMA, DGP), छोटी आंत की एंडोस्कोपी और बायोप्सी।

सुझाव

7.1 ग्लूटेन रहित (कुट्टू, मक्का, बाजरा, ज्वार, सिंघाड़ा, चावल, बेसन व सोयाबीन) और पोषक युक्त आहार लेने चाहिए।

7.2 कैल्शियम युक्त आहारों में दूध, दही, पनीर, मछली, ब्रोकली, कोलार्ड ग्रीन और बादाम। आयरन समृद्ध आहारों में मीट, मछली, चिकन, मेवे, अंडे आदि आते हैं।

7.3 विटामिन-बी युक्त आहारों में अंडे, दूध, मीट, संतरे का रस, मेवे और ग्लूटेन रहित साबुत अनाज आते हैं।

7.4 विटामिन-डी से समृद्ध आहारों में विटामिन डी फोर्टिफाइड दूध और दही, अंडे की जर्दी और मछली हैं। रेशे से समृद्ध आहारों में हैं- सब्जियाँ, फल, चौलाई, बाजरा, कुट्टू और ज्वार।

7.5 सिलिएक रोग से ग्रस्त रोगियों में विटामिन 'के' की कमी उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है। पालक, ब्रोकली, जलकुम्भी, पत्तागोभी, फूलगोभी, मटर, जैतुन, कनोला, सोयाबीन, मीट आदि सभी विटामिन 'के' से समृद्ध होते हैं। ग्लूटेन रहित वस्तुओं में चावल, सोया, मक्का, आलू आदि हैं।

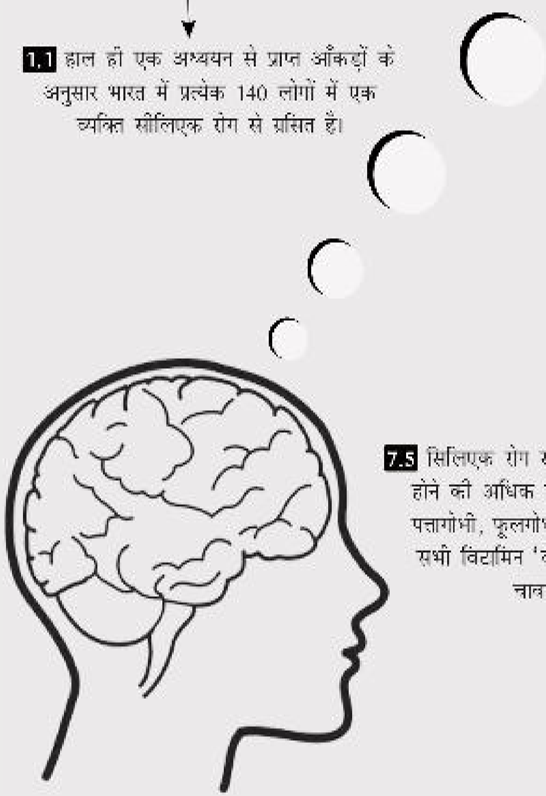

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट

प्र. स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(a) यह रिपोर्ट 23 सूचकांको के आधार पर तैयार की गई है। इनमें से कुछ हैं- शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर, जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी, संपूर्ण टीकाकरण कवरेज, एचआईवी इत्यादि।

(b) इस रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति तथा प्रगति का आकलन किया जाता है।

(c) इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सुधार करने की दिशा में केरल का द्वितीय स्थान रहा है।

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग ने 'स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत' शीर्षक से रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। यह रिपोर्ट 23 सूचकांको के आधार पर तैयार की गई है। इनमें से कुछ हैं- शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर, जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी, संपूर्ण टीकाकरण कवरेज, एचआईवी इत्यादि। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। शीर्ष तीन राज्य हैं, वहीं गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश चौथे, पांचवे और छठे स्थान पर हैं। इस प्रकार कथन (c) गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

2. न्यायाधीशों की पद विमुक्ति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में दी गई है।
2. उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को दो आधारों-सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। "दुर्व्यवहार और असक्षमता" शब्दों को संविधान में न तो परिभाषित किया गया है और न ही स्पष्ट किया गया है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी दो आधारों-सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

3. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018

प्र. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 में यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक पेट्रोल में 20% ऐथनॉल मिलाया जाएगा और डीजल में 5% जैव-डीजल मिलाया जाएगा।
2. देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी। यह नीति सरकार की वर्तमान पहलों मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास के अनुकूल है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोजगार सृजन, कचरे से धन सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

4. पॉलीमेटालिक नूडल्स व भारत

प्र. पॉलीमेटालिक नूडल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पॉलीमेटालिक नूडल्स (Polymetallic Nodules-PMN), को मैंगनीज नूडल्स भी कहा जाता है। यह नूडल्स चट्टानों का योग है जो कोर में लौह एवं मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड के जमाव परत से निर्मित होता है।
2. ये नूडल्स समुद्री तल के तलछट में सामान्य तौर पर आधे गड़े

पाए जाते हैं। इनकी अधिकतम सांद्रता 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है।

3. भारत में पॉलीमेटालिक नूडल्स प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः पॉलीमेटालिक नूडल्स सामान्य तौर पर सभी महासागरों में, यहां तक कि कई झीलों में पाए जाते हैं। परंतु इसका उत्खनन आर्थिक दृष्टि से संगत भी होना चाहिए। यह माना जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी खोज व उत्खनन तभी लाभप्रद होगा जब प्रति वर्ग मीटर में इसकी सांद्रता 10 किलोग्राम से अधिक हो। इस दृष्टिकोण से तीन क्षेत्रों का चयन औद्योगिक उत्खनन के लिए किया गया है। उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर का मध्य क्षेत्र, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पेरू बेसिन तथा उत्तरी हिंद महासागर का केन्द्र। भारत सरकार द्वारा पॉलीमेटालिक नूडल्स के निष्कर्षण हेतु खनन एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए 'पॉलीमेटालिक नूडल्स कार्यक्रम' आरंभ किया गया है। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

5. यूएन वीमेन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यूएन वीमेन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट देखी गई है।
2. यूएन वीमेन रिपोर्ट के अनुसार कामकाजी और श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी घटी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में यूएन वीमेन ने 'विश्वभर की महिलाओं की प्रगति 2019-20 : बदलती दुनिया में परिवार' नामक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में वैश्विक आँकड़े एकत्र करके गहराई से परिवारों में मौजूदा परंपराओं, संस्कृति और मनोवृत्तियों का अध्ययन किया गया है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है। परंतु पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता और परिवारों में ही महिलाओं के अन्य बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामले अब भी देखे जा रहे हैं। कामकाजी और श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ रही है। परंतु विवाह और माँ बनने की वजह से कामकाजी दुनिया में उनकी भागीदारी कम भी हो रही है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

6. एमएसएमई दिवस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग दुनिया भर में अधिकांश अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
2. एमएसएमई विकास के लिए प्रमुख रोजगार प्रदाता के रूप में मुख्य स्त्रोत है। यह मुख्यतः सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को साकार करने पर जोर देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट लॉन्च की: 'एसएमई प्रतिस्पर्द्धात्मकता आउटलुक 2019: छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा पैसा।' सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग के व्यवसाय स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपने कार्य की मान्यता में इस दिन को मनाते हैं। ये उद्यम विकासशील देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में एमएसएमई की भूमिका, लैंगिक समानता के लिए महिला केन्द्रित उद्यमों की भूमिका, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता में जीएसटी की भूमिका, एसएमई का अनुसंधान एवं विकास इत्यादि शामिल हैं। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

7. सीलिएक डिजीज

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सीलिएक डिजीज को सिलिएक स्प्रू या ग्लूटेन-संवेदी आंतरोग भी कहा जाता है। भारत में लगभग 1% से 1.5% आबादी इस रोग से प्रभावित हैं।
2. उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में सीलिएक बिमारी ज्यादा पायी जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही एक अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक 140 लोगों में एक व्यक्ति सीलिएक रोग से ग्रसित है। दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत (गेहूँ उगाने व खाने वाले राज्यों) में यह बीमारी ज्यादा पायी जाती है। पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में सीलिएक बीमारी के रोगियों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। सीलिएक डिजीज मुख्यतया आंत व इम्यून-सिस्टम की बीमारी है, जो ग्लूटेन युक्त भोजन लेने के परिणामस्वरूप छोटी आंत की परतों की क्षति होने से होती है। इस प्रकार कथन 2 गलत है जबकि कथन 1 सही है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जायेगा?

   -इटली

2. हाल ही में किस देश ने 30 वर्ष बाद व्यावसायिक स्तर पर व्हेल के शिकार का निर्णय लिया है?

   -जापान

3. हाल ही में किस राज्य में 'इम्प्रेस्ड कछुआ' की खोज की गई है?

   -अरुणाचल प्रदेश

4. हाल ही में उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं?

   -डोनाल्ड ट्रम्प

5. हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ पर खाद्य आयात पर लगाये गए प्रतिबंध को वर्ष 2020 के अंत तक बढ़ा दिया है?

   -रूस

6. हाल ही में कौन-सा देश FATF सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है?

   -सऊदी अरब

7. हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में किस परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि दो साल आगे बढ़ा दिया है?

   -पोलावरम बहुउद्देश्यीय परियोजना

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. सौभाग्य योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएँ कि ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में भारत सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

2. वर्मी कम्पोस्ट से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार प्रदूषकों के अपवाह को समाप्त करके मिट्टी एवं पानी का पुनर्वासन करता है।

3. भारत में आर्थिक वृद्धि हेतु कृषि विकास के साथ औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का मजबूत होना आवश्यक है। विवेचना कीजिए।

4. भारत में सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) की स्थिति का वर्णन करते हुए बताएँ कि सौर ऊर्जा की माँग को 2022 तक पूरा करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

5. भारत में गरीबी में कमी के लिए आर्थिक विकास एवं वैश्वीकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

6. भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में कौन-सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

7. भारत में श्रम बल में महिला श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसके बावजूद देश में महिला श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। इसमें सुधार करने के लिए उपयुक्त सुझावों की चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019

संसद ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है जो उद्योगों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है। इस विधेयक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश 2019 का स्थान लिया है। इस अध्यादेश को मार्च, 2019 में लागू किया गया था। इस विधेयक के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु

- यह संशोधन केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति या किसी भी संस्था को परिभाषित करने के संबंध में लचीलापन प्रदान करेगा जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में किये जाने वाले निवेश में भी वृद्धि होगी।
- यह विधेयक मार्च 2019 में प्रवर्तित विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा एवं राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा।
- कानून के अनुसार, एक व्यक्ति, एक हिंदू विभाजित परिवार, एक कंपनी, सहकारी समिति या एक फर्म 'व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह एक छोटा सा संशोधन है जिसका व्यापक प्रभाव निवेश, नौकरी और विकास पर पड़ेगा।
- सरकार का मानना है कि SEZ अधिनियम, 2005 (SEZs Act, 2005) के वर्तमान प्रावधान, व्यापारिक संस्थाओं को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यापारिक इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 SEZ में इकाइयाँ स्थापित करने के लिये अनुमति देने पर विचार किया जा सकेगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज (एसईजेड) उस विशेष रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। यह क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। भारत पहला एशियाई देश है, जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में कांडला में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की थी। इसे निर्यात प्रकिया क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन/ईपीजेड) नाम दिया गया था। ■

2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता

एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2 साल की अस्थायी सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है और विश्व मंच पर देश की बढ़ती साख को दिखाता है। भारत की कूटनीतिक गोलबंदी ऐसी थी कि पाकिस्तान को भी भारत की सदस्यता का समर्थन करना पड़ा। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद भी दोनों देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया। पंद्रह सदस्यीय परिषद में 2021-2022 के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव जून 2020 के आस-पास में होना है। इन सदस्यों का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा।

इससे पहले भारत 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। इस महीने की शुरूआत में एस्तोनिया, नाइजर, सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनाडिन्स, ट्यूनिशिया और वियतनाम को दो साल के लिए यूएनएससी का सदस्य चुना गया है। इनका कार्यकाल 2020 से शुरू हो रहा है। सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनाडिन्स सुरक्षा परिषद में जगह पाने वाला सबसे छोटा देश है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council-UNSC)

यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है।इसमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन) और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है। इसके वर्तमान अस्थायी सदस्य पोलैंड, पेरू, कुवैत, आइवरी-कोस्ट, इक्वेटोरियल गिनी (वर्ष 2019 तक) और जर्मनी, बेल्जियम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिकन गणराज्य (वर्ष 2020 तक) हैं। ■

3. अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस

26 जून को हर साल दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस (इंटरनेशनल डे अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग) के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस इस दिवस की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। लोगों को नशे से मुक्त कराने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है।

नशीली दवाओं या पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते देख संयुक्त राष्ट्र ने 7 दिसंबर 1987 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस के माध्यम से लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के प्रति जागरूक किया जाता है।

पूरे विश्व में इस दिन विभिन्न समुदायों और संगठनों द्वारा लोगों को नशीली दवाओं के प्रति क्षेत्रीय स्तर पर जागरुक करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस दौरान उन्हें नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान और खतरों के बारे में बताया जाता है।

वर्ष 2019 की थीम

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की थीम 'न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय' (हेल्थ फॉर जस्टिस एंड जस्टिस फॉर हेल्थ) है। जाहिर है कि इस बार की थीम लोगों से अपनी हेल्थ के साथ न्याय करने की अपील करती है।

उद्देश्य

इस दिवस का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं से छुटकारा पाना है तथा समाज में सशक्तिकरण लाना है। इस दिन विभिन्न संगठन अवैध ड्रग्स की चुनौतियों को शांतिपूर्वक हल करने पर जोर देते हैं। उनका मूल सिद्धांत युवाओं की रक्षा करना और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देना है। यूएनओडीसी ने इस दिन वैश्विक दवा समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अभियान शुरू किया था। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और क्राइम कार्यालय (यूएनओडीसी) इस दिन के लिए एक विषय (थीम) का चयन करता है।

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और क्राइम कार्यालय (यूएनओडीसी)

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और क्राइम कार्यालय (यूएनओडीसी) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग और उसके उत्पादन के खिलाफ लड़ रहा है जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। इस संगठन को साल 1997 में संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपराध निवारण केंद्र में विलय करके स्थापित किया गया था।

अवैध नशीली दवाओं की तस्करी, अपराध दर में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सदस्यों की सहायता करने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और क्राइम कार्यालय अनिवार्य है। ■

4. ल्यूकोडर्मा से निजात के लिये हर्बल औषधि

अंतर्राष्ट्रीय विटिलिगो दिवस (International Vitiligo Day) के अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ल्यूकोडर्मा (सफेद दाग) के उपचार हेतु एक हर्बल औषधि विकसित की है। इस आविष्कार ने ल्यूकोडर्मा से पीड़ित लोगों को नई आशा प्रदान की है।

ल्यूकोडर्मा (Leucoderma) एक त्वचा संबंधी बीमारी है जिसमें त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाते हैं, यह कुष्ठ रोग (Leprosy) से भिन्न है। ल्यूकोडर्मा को विटिलिगो भी कहा जाता है। यह पीड़ित व्यक्ति को अवसाद और तनाव की स्थिति में पहुँचा देता है और लोग इसे सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं। विटिलिगो संक्रामक रोग नहीं है और न ही यह असाध्य या जानलेवा है। ल्यूकोडर्मा की विश्वव्यापी संभावना 1-2 प्रतिशत बताई गई है। भारत में राजस्थान के कुछ हिस्सों में इससे संबंधित मामलों की संख्या लगभग 4-5 प्रतिशत है। गुजरात में यह 5-8 प्रतिशत से अधिक है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में सरकार ने DRDO के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, हेमंत पांडे को प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह सम्मान इस बीमारी का इलाज करने के लिये 'ल्यूकोस्किन' के विकास हेतु प्रदान किया गया था। वर्तमान में एलोपैथिक, शल्य चिकित्सा जैसे विटिलिगो के विभिन्न उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी चिकित्सा पद्धति ने इस बीमारी को पूर्णत: ठीक नहीं किया है। इसके अतिरिक्त ये उपचार या तो महंगे हैं या एकल अणु आधारित हैं तथा इनका प्रभाव भी सीमित है जबकि विटिलिगो के उपचार की यह दवा (ल्यूकोस्किन) मरहम और तरल के रूप में उपलब्ध है। इस मरहम में सात हर्बल अवयव हैं, जिनमें त्वचा की फोटो सेंसिटाइजर, एंटी-ब्लिस्टर, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-सेप्टिक, घाव भरने और तांबे के पूरक गुण होते हैं, जबकि नए दाग के लिये मौखिक खुराक तैयार की गई है। विश्व विटिलिगो दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है जो कि विटिलिगो के बारे में वैश्विक जागरूकता के लिये एक पहल है।

ल्यूकोस्किन : यह विटिलिगो के उपचार में काम आने वाली औषधि है, जिसे हाल ही में DRDO ने विकसित किया है। ■

5. अहमदाबाद तथा कोबे के बीच सिस्टर सिटी पार्टनरशिप

हाल ही में अहमदाबाद तथा कोबे (जापान का शहर) के बीच सिस्टर सिटी पार्टनरशिप के लिए LoI (लैटर ऑफ इंटेंट) का आदान-प्रदान किया गया। इससे दोनों शहरों के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। यह आदान-प्रदान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थति में किया गया।

सिस्टर सिटी क्या है

यह दो देशों, शहरों, प्रान्तों अथवा क्षेत्रों के बीच एक कानूनी व सामाजिक समझौता होता है, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना होता है। यह योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए शुरू की गयी थी। कूटनीति में सिस्टर सिटी अवधारणा

को दो देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारत ने अब तक चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, रूस, कनाडा, जर्मनी, बेलारूस, मॉरिशस, हंगरी, जॉर्डन, बांग्लादेश, लिथुआनिया तथा पुर्तगाल के साथ सिस्टर सिटी समझौते किये हैं।

पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि नवम्बर, 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने गुजरात तथा जापान के हयोगो प्रीफेक्चर के लिए सिस्टर स्टेट समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। कोबे, हयोगो की राजधानी है। उस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोबे में बुलेट ट्रेन प्लांट की यात्रा भी की थी। उस समझौते का उद्देश्य गुजरात तथा हयोगो के बीच शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना था।

ज्ञातव्य है कि भारत और जापान विभिन्न क्षेत्रों तथा परियोजनाओं में मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारतीय मूल के काफी लोग जापान में कार्य करते हैं। भारत और जापान कार से लेकर बुलेट ट्रेन मिलकर बनाने जा रहे हैं।

गौरतलब है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच जापान की सहायता से चलायी जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पहला हिस्सा 2022 में पूरा हो जायेगा।■

6. नए ग्रहों की खोज

हाल ही में नासा (NASA) के ट्रांजिटिंग एक्जोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (Transiting Exoplanet Survey Satellite- TESS) ने तीन नए ग्रहों की खोज की है। इनमें से एक ग्रह नासा द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे छोटा ग्रह है जिसे L 98-59b नाम दिया गया है। कम तापमान वाले एक नजदीकी तारे की परिक्रमा करने वाला L 98-59b ग्रह आकार में मंगल से बड़ा किंतु पृथ्वी से छोटा है। L 98-59b के अलावा, दो अन्य ग्रह भी उसी तारे की परिक्रमा करते हैं।

तीनों ग्रहों के आकार तो ज्ञात हैं किंतु इन पर वायुमंडल की उपस्थिति का पता लगाने हेतु अध्ययन की आवश्यकता होगी जिसके लिये कुछ अन्य दूरबीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटे ग्रहों के वायुमंडलीय अध्ययन हेतु चमकीले तारों के आस-पास छोटी कक्षाओं में गति करते ग्रहों की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे ग्रहों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।

L 98-59c और L 98-59d ग्रहों का आकार पृथ्वी के आकार का क्रमशः 1.4 और 1.6 गुना है। इन ग्रहों के तारे (जिसकी परिक्रमा यह दोनों ग्रह करते हैं) का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग एक तिहाई है तथा सूर्य से इसकी दूरी लगभग 35 प्रकाश वर्ष है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के अनुसार, TESS मिशन कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों जैसे कि 'पृथ्वी की उत्पति कैसे हुई' और 'क्या ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर जीवन संभव है' आदि का उत्तर देने में सहायक हो सकता है। TESS का लक्ष्य वायुमंडलीय अध्ययन के लिये उपयुक्त चमकीले, छोटे, चट्टानी ग्रहों जो आस-पास के तारों की छोटी कक्षाओं में परिक्रमण करने वाले ग्रहों की एक सूची बनाना है। ऐसे में यह खोज TESS के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।

ट्रांजिटिंग एक्जोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (टीईएसएस)

नासा ने एक्जोप्लैनेट की खोज के लिए टीईएसएस को अप्रैल 2018 में लॉन्च किया था। अपने दो साल के अभियान में टीईएसएस 30 से 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों और चमकीले तारों का अध्ययन कर रहा है। मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा विकसित उपग्रह का लक्ष्य हजारों ऐसे ग्रहों की तलाश करना है जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं। यह अंतरिक्ष यान एक फ्रिज के आकार का है जो चार कैमरों द्वारा सुसज्जित है। टीईएसएस लगभग दो साल के लिए मिशन पर है और लगभग पूरे आकाश को खंगालेगा। ■

7. प्राकृतिक भाषा अनुवाद पर राष्ट्रीय मिशन

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय प्राकृतिक भाषा अनुवाद पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। यह प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) द्वारा चिह्नित प्रमुख अभियानों में से एक है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए शिक्षण और शोध की पहुँच को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ अंग्रेजी में और एक मूल भारतीय भाषा में उपलब्ध कराना है।

इसके तहत सरकार द्वारा मशीन अनुवाद और मानव अनुवाद के संयोजन का लाभ उठाया जा सकता है। भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है जिसमें केन्द्र और राज्यों की एजेन्सियाँ तथा स्टार्टअप कार्यक्रम शामिल हैं।

महत्व और अनुवाद की आवश्यकता

अनुवाद गतिविधियां शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार उत्पन्न करने में मदद कर सकती है। मिशन न केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों, लेखकों, प्रकाशकों, अनुवाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सामान्य पाठकों को भी मदद करेगा।

पीएम-एसटीआईएसी

पीएम-एसटीआईएसी एक अतिव्यापी निकाय है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों की पहचान करता है। साथ ही यह इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोडमैप बनाता है।

प्राकृतिक भाषा अनुवाद के अलावा इस मिशन में क्वांटम फ्रंटियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मानव स्वास्थ्य के लिए बायोसाइंस और गहरे समुद्र में अन्वेषण जैसे मिशन शामिल हैं। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. आईएनएस तरकश

- मिस्र के साथ भारत की प्रतिबद्धता तथा भारतीय नौसेना की बढ़ती संचालन क्षमता को प्रदर्शित करते हुए भारतीय नौसेना का जहाज तरकश 28 जून, 2019 को तीन दिवसीय दौरे पर एलेक्जेंड्रिया पहुँचा। यह पश्चिमी बेड़े की विदेश में तैनाती कार्यक्रम का हिस्सा है।
- तरकश की यात्रा के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक हुई। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सैन्य अधिकारियों से मुलाकात, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाज के नौसैनिकों का अदला-बदली कार्यक्रम तथा सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में विचार-विमर्श आदि कार्यक्रमों का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और परस्पर संबंधों को मजबूत बनाना है।
- भारत और मिस्र विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताएँ हैं। दोनों देशों के बीच लम्बे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। मिस्र की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग- लाल सागर से भूमध्य सागर, मिस्र के स्वेज नहर से होकर गुजरता है।
- आईएनएस तरकश की कमान कैप्टंन सतीश वासुदेव के हाथों में है। भारतीय नौसेना का यह आधुनिक जहाज सेंसर और हथियारों से लैस है, जो तीनों प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम है। यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। इसके संचालन की जिम्मेदारी मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पर है।

2. वन-धन योजना कार्यशाला

- वन-धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाई गई सौ दिनों की योजना पर नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय के भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड) द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला वन-धन योजना के कार्यान्वयन के लिए गठित टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित की गई थी।
- यह जनजातीय समूहों की आजीविका के साधन जुटाने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
- केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा कि जनजातीय समूह ही वास्तव में लघु वनोपज के सच्चे हकदार हैं 'हम तो केवल उन्हें इन उत्पादों की सही कीमत पाने में मदद कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि सही मायने में जनजातियाँ ही वनों, नदियों और खनिजों जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षक हैं। संरक्षण के उनके इन अहम प्रयासों के बावजूद उन्हें ही इन संसाधनों से सबसे ज्यादा वंचित रहना पड़ता है। ऐसे में यह सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह उनके प्रयासों में पूरी मदद करें।
- केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राईफेड की टीमों को वन-धन योजना के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ मिलकर ऐसा नेटवर्क बनाया जाना चाहिए ताकि योजना का सर्वाधिक लाभ लक्षित समुदायों तक पहुँच सके। उन्होंने ट्राईफेड की टीमों को पूरी जवाबदेही के साथ निश्चित समय सीमा के भीतर योजना को लागू करने की सलाह दी।
- ट्राईफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण ने जोर देकर कहा कि वन-धन कार्यक्रम ट्राईफेड की प्राथमिकता होगी और जमीनी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए सांसद निधि, आजीविका मिशन तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के बेहतरीन कामकाजी समूहों का चयन किया जाएगा। उन्होंने वन-धन स्व सहायता समूहों के सफल व्यवसाय संचालन के लिए एक स्थायी व्यवसाय योजना और विपणन नीति के महत्व पर भी जोर दिया।
- वन-धन योजना के 100 दिनों के कार्यक्रम में देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 50,000 वन-धन विकास केंद्र स्थापित किये जाएंगे, ताकि जनजातीय समुदायों के लिए

आजीविका के अवसर बढ़ाने, आय में वृद्धि और सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके। पूरे भारत में 27 राज्यों और 307 प्रमुख जनजातीय जिलों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। वन-धन कार्यक्रम जनजातीय समुदायों को 50 गैर-राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के लिए उचित पारिश्रमिक और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का काम करेगा। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-20 में 3000 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना और संचालन करना है, जिनमें से 100 दिवसीय योजना के तहत 600 वन-धन विकास केन्द्रों की स्थापना करना भी शामिल है।

3. भारत का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम

- विश्व बैंक और भारत सरकार ने टीबी नियंत्रण के लिए 400 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया। देश में प्रतिवर्ष टीबी से लगभग पाँच लाख लोगों की मौत होती है। विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम के तहत देश के नौ राज्यों को कवर किया जाएगा।
- टीबी उन्मूलन के विश्व बैंक के कार्यक्रम से भारत सरकार की वर्ष 2025 तक देश से टीबी समाप्त करने की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना में सहायता की जाएगी। इस कार्यक्रम से औषधि प्रतिरोधी टीबी के बेहतर निदान और प्रबंधन में मदद मिलेगी और देश में टीबी की जाँच और उपचार में जुटे सार्वजनिक संस्थानों की क्षमता बढ़ेगी।
- देश में टीबी नियंत्रण के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच दो दशक से अधिक समय से सफल साझेदारी है। वर्ष 1998 से बैंक की सहायता से जनजातीय परिवारों, एचआईवी रोगियों और बच्चों सहित गरीब तथा उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए सीधे जांच उपचार और सेवाओं को बढ़ाने, निदान और गुणवत्तापरक टीबी देखभाल के लिए व्यापक पहुँच और बहु-औषधि प्रतिरोधी टीबी सेवाएँ शुरू करने में योगदान दिया गया है।
- विश्व बैंक के अधिकारी श्री जुनेद अहमद ने कहा, सबसे अधिक गरीब और वंचित लोग टीबी से पीड़ित होते हैं और भारत में प्रतिवर्ष लगभग 480,000 लोगों की इससे मौत होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व बैंक भारत के प्रति अपनी साझेदारी के लिए मानव पूँजी में निवेश करने की प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है, ताकि संक्रामक रोगों से व्यापक स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों से निपटने के प्रयासों में सहायता की जा सके।
- औषधि प्रतिरोधी टीबी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है और टीबी पीड़ितों की बढ़ती संख्या के बावजूद देश में प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक "लापता" मामले सामने आते हैं, जिनमें से अधिकतर की जाँच ही नहीं हो पाती है या अपर्याप्त जाँच होती है और निजी तौर पर उपचार किया जाता हैं। आशंकित टीबी रोगी की देरी से देखभाल, सही उपचार नहीं करवाना और अनियंत्रित निजी क्षेत्र सहित टुकड़े-टुकड़े में स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं के कारण यह समस्या और बढ़ी है। देश में आधे से अधिक टीबी के मरीजों का इलाज निजी तौर पर किया जा रहा है। ऐसे मामले देश में टीबी नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निजी क्षेत्र टीबी का समय पर निदान कर सूचित और प्रभावी प्रबंधन के स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करें। इस कार्यक्रम के जरिए टीबी के मामलों की सूचना देने के लिए निजी क्षेत्र के देखभाल प्रदाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके मरीज पूरा उपचार करें। इससे उपचार के दौरान आवश्यक महत्वपूर्ण पोषण के लिए रोगियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम से भारत सरकार की वेब आधारित टीबी मामले की निगरानी प्रणाली और कार्यान्वयन सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
- इस कार्यक्रम से औषधि प्रतिरोधी टीबी की पहचान, उपचार और निगरानी को भी बढ़ाया जाएगा और अतिरिक्त औषधि प्रतिरोध का पता लगाने में प्रगति पर नजर रखी जाएगी। यह एनएसपी के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता की जरूरतों को पूरा करने के वास्ते मानव संसाधन योजना विकसित और लागू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भी मदद करेगा।
- इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 400 मिलियन डॉलर के ऋण की परिपक्वता 19 वर्ष की है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है।

4. भारत ने विश्व बैंक के साथ आंध्र प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समझौता किया

- आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और विश्व बैंक द्वारा 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
- आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया

गया है। 2017-18 में, राज्य ने स्वास्थ्य के लिए अपने कुल सार्वजनिक व्यय का 5 प्रतिशत आवंटित किया और अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

- 2005 से लेकर एक दशक के दौरान, राज्य में मातृ मृत्यु दर में 52 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और प्रति 1,000 जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु दर 54 से घटकर 35 रह गया है। राज्य में 93 प्रतिशत महिलाएँ अब संस्थागत प्रसव का विकल्प चुनती हैं। इन सकारात्मक कदमों के बावजूद भी मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और सेवा वितरण की गुणवत्ता के कवरेज में राज्य के भीतर कई असमानताएँ मौजूद हैं। गैर-संचारी रोग भी बढ़ रहे हैं और यह रोग आंध्र का 60 प्रतिशत बोझ बढ़ाते हैं।
- विश्व बैंक का यह ऋण आंध्र प्रदेश सरकार की मदद करेगा जो कि अपने राज्य के सभी नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल में बढ़ावा लाने का प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और जिन लोगों को गैर-संचारी रोगों का ज्यादा खतरा है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर।
- इससे पहले, विश्व बैंक के अधिकारी श्री जुनैद अहमद ने कहा कि आंध्र प्रदेश अपने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह परियोजना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नवीन और तकनीकी रूप से संचालित दृष्टिकोण को अपनाने में राज्य का मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना स्वास्थ्य केंद्रों के प्रमाणीकरण करने में मदद करेगा। इसके साथ ही देखभाल की बेहतर गुणवत्ता के लिए निजी सेवा प्रदाताओं को शामिल करने,बेहतर दवा स्टॉक प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत ऑनलाइन रोगी प्रबंधन प्रणाली और राज्य-वित्तपोषित दवाओं को वितरित करने के लिए निजी फार्मेसियों का मनोनयन, आबादी तक उनकी पहुँच में सुधार लाने में मदद करेगा। यह रोगी के अनुभव को मापने और जानकारी देने के लिए एक प्रणाली के निर्माण में भी मदद करेगा।
- आंध्र प्रदेश में औसतन प्रत्येक 5,721 आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्र उपलब्ध है और राज्य में प्रत्येक 2,00,000 आबादी के लिए एक माध्यमिक/तृतीयक देखभाल सुविधा केंद्र उपलब्ध है। देखभाल की गुणवत्ता और सेवाओं की उपलब्धता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से सभी लोगों को, विशेषकर गरीबों को, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकेंगी।
- इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रकशन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की परिपक्वता 23.5 वर्ष की है, जिसमें 6 वर्ष के छूट की अवधि भी शामिल है।

5. एक देश, एक राशन कार्ड योजना

- उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने राज्यसभा में घोषणा की है कि सरकार 'एक देश, एक राशन कार्ड योजना' की दिशा में आगे बढ़ रही है। केन्द्रीय मंत्री के अनुसार यह योजना जल्द ही लागू की जाएगी।
- सरकार द्वारा देश में खाद्य पदार्थों पर 1.45 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। लेकिन सभी जरूरतमंद लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं जिसके चलते सरकार 'एक देश, एक राशन कार्ड योजना' लेकर आई है।

एक देश, एक राशन कार्ड योजना

- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खाद्य मंत्रालय सभी कार्ड्स का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करेगा। देश के मौजूद सभी राशन कार्ड्स का एक सेंट्रल डेटाबेस बनेगा जिससे सभी को एक ही स्थान से निर्देशित किया जा सकेगा।
- कोई भी राशन कार्ड धारक, जिसके पास भारत सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड है, देश में किसी भी स्थान पर मौजूद राशन की दुकान से निर्धारित राशन ले सकेगा।
- राशन कार्ड धारक का डेटा पहले से ही सेंट्रल डेटाबेस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज रहेगा इसलिए राशन की दुकान पर वह उसे जितनी मात्रा निर्धारित की गई है उतना ही राशन ले सकेगा।
- सरकार का मानना है कि इस योजना से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। कुछ राज्यों ने तो इस योजना पर काम करना आरंभ भी कर दिया है।
- इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, इससे एक से अधिक राशन कार्ड रखने की सम्भावना भी समाप्त हो जाएगी।

कुछ राज्यों में योजना पहले से लागू है

- खाद्य मंत्रालय ने कहा कि IMPDS आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से लागू है, जहाँ कोई भी

लाभार्थी अपने हिस्से का राशन किसी भी जिले से प्राप्त कर सकता है। केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में इसे सभी राज्यों से लागू करने की अपील की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी अगले 2 महीने में दोनों में से किसी राज्य में राशन उठाने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। अभी एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसीएस और निजी गोदामों में रखे 6.12 करोड़ टन अनाज को हर साल 81 करोड़ लाभार्थियों को बाँटा जा रहा है।

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पंचवर्षीय विजन योजना शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम

- प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक पंचवर्षीय विजन योजना को अंतिम रूप देने के प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुरूप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक पंचवर्षीय विजन योजना शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम (ईक्यूयूआईपी) को अंतिम रूप देकर जारी किया है।
- वरिष्ठ शिक्षाविदों, प्रशासकों एवं उद्योगपतियों से निर्मित 10 विशेषज्ञ समूहों ने 50 से अधिक पहलों का सुझाव दिया है जो उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर देंगे। समूहों ने उच्चतर शिक्षा क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को निर्धारित किया है:
  - उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को दोगुना करना और भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों तक भौगोलिक एवं सामाजिक सुविधा में विषमता का समाधान करना।
  - शिक्षा की गुणवत्ता का वैश्विक मानदंडों तक उन्नयन करना।
  - कम से कम 50 भारतीय संस्थानों को शीर्ष-1000 वैश्विक विश्व विद्यालयों के बीच स्थापित करना।
  - सु-प्रशासित परिसरों के लिए उच्चतर शिक्षा में शासन सुधार लागू करना।
  - ज्ञान सृजन के मामलों में विश्व में शीर्ष तीन देशों में भारत को स्थापित करने के लिए अनुसंधान एवं नवोन्मेषन प्रणालियों को बढ़ावा देना।
  - उच्चतर शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोजगारपरकता को दोगुना करना।
  - अध्यापन कला की पहुँच को विस्तारित करने एवं उन्नयन के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी का दोहन करना।
  - भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना।
  - उच्चतर शिक्षा में निवेश की मात्रा में वृद्धि अर्जित करना।

7. सांख्यिकी दिवस, 2019

- केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नई दिल्ली में 29 जून को सांख्यिकी दिवस 2019 का उद्घाटन किया।
- सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शुभ्रशंकर धर को सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रोफेसर सी.आर. राव पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। सांख्यिकी से जुड़े विषयों पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें समग्र विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों को समन्वित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया।
- इस अवसर पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा सतत विकास लक्ष्य का नया वेब पोर्टल जारी किया गया। इसके साथ ही परियोजना प्रबंधन संस्थान द्वारा परियोजना प्रबंधन के तौर-तरीकों को बेहतर बनाने तथा सतत विकास लक्ष्य की बेसलाइन रिपोर्ट भी जारी की गई।
- सांख्यिकीविदों और शोधकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के योगदान की सराहना करते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उनके संस्थानों में काम करने वाले सांख्यिकीविदों के उत्कृष्ट योगदान और सराहनीय कार्यों को पहचान दिलाने और सम्मानित करने के लिए प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरूआत करेगा।
- सरकार, रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने और नीतियों को तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए हर साल सांख्यिकी दिवस मनाती है।
- यह दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रोफेसर पी सी महालनोबिस के अमूल्य योगदान के सम्मान में उनकी जयंती पर प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का मुख्य विषय 'सतत विकास लक्ष्य' रखा गया है।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. दामोदर नदी घाटी परियोजना

महत्वपूर्ण तथ्य

- दामोदर हुगली की एक सहायक नदी है। भयानक बाढ़ों के कारण इसे 'बंगाल का शोक' कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में कोनार, बोकारो और बराकर प्रमुख हैं। ये नदियाँ गिरीडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से होकर बहती हैं।
- दामोदर नदी घाटी परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनिसी वैली अथॉरिटी (TVA) के आधार पर तैयार की गई थी।
- इसका प्रबंधन दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation) द्वारा किया जाता है। यह एक नदी घाटी विकास का सुसंहत एवं एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जलापूर्ति, अपवाह, जलविद्युत, नौ परिवहन, वनारोपण, मृदा संरक्षण, कृषि विकास, औद्योगीकरण एवं पर्यटन आदि उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है।
- इस परियोजना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत- (अ) कुल 204 मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत शक्ति गृह सहित तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत हिल में चार बांधों का निर्माण, (ब) कुल 9,57,000 किलोवाट क्षमता युक्त बोकारो, दुर्गापुर और चन्द्रपुरा में तीन ताप विद्युत केन्द्रों का निर्माण (स) 1280 किमी॰ लम्बी विद्युत ग्रिड का निर्माण, एवं (द) लगभग 2500 किमी॰ लम्बी सिंचाई/नौ परिवहन नहर का निर्माण किया गया है।

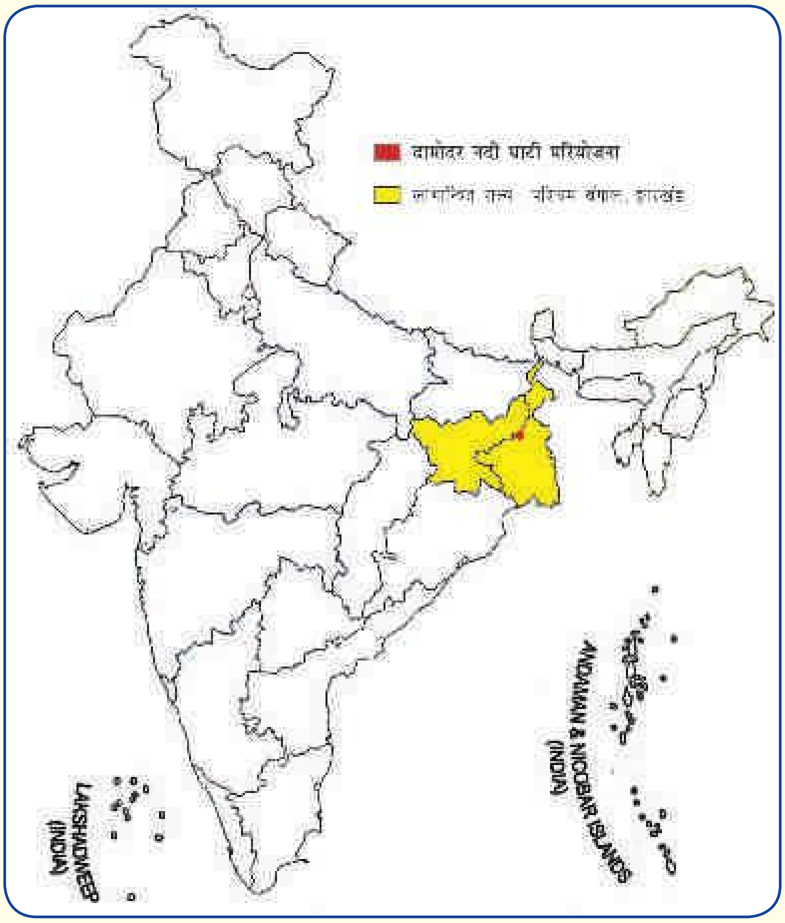

- द्वितीय चरण के अंतर्गत जल विद्युत शक्ति गृहों सहित बाल पहाड़ी, बोकारो, अय्यर और बर्मो में चार बांधों का निर्माण एवं संप्रेषण लाइन के विस्तारण का कार्य सम्मिलित है।
- इसके साथ-साथ परियोजना में वनारोपण,मृदा संरक्षण, मलेरिया उन्मूलन, मत्स्य पालन जैसे पूरक कार्यों को भी शामिल किया गया है।
- परियोजना में प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा द्वितीय चरण का कार्य भी लगभग समाप्ति पर है।
- अभी तक के पूरा किए गए कार्य का विवरण निम्नलिखित है-
  - **तिलैया बाँध:** यह बाँध हजारीबाग जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है।
  - **कोनार बांध:** यह बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किमी. पूर्व में स्थित है।
  - **मैथान बांध:** यह एक मिट्टी का बाँध है जो बराकर नदी पर बनाया गया है।
  - **पंचेत हिल बांध:** यह बाँध दामोदर नदी पर मैथान बाँध से 20 किमी. दक्षिण में स्थित है।
  - **दुर्गापुर बराज:** दुर्गापुर बराज से दो नहरें निकाली गई हैं जिनसे बर्द्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की 4.75 लाख हे. भूमि सिंचित होती है।
  - **बोकारो ताप गृह:** इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 140 मेगावाट की है। यह बिजली झारखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं बिहार को दी जाती है।
- दामोदर घाटी परियोजना से लगभग 5.15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान की जाती है।

2. भाखड़ा नांगल परियोजना

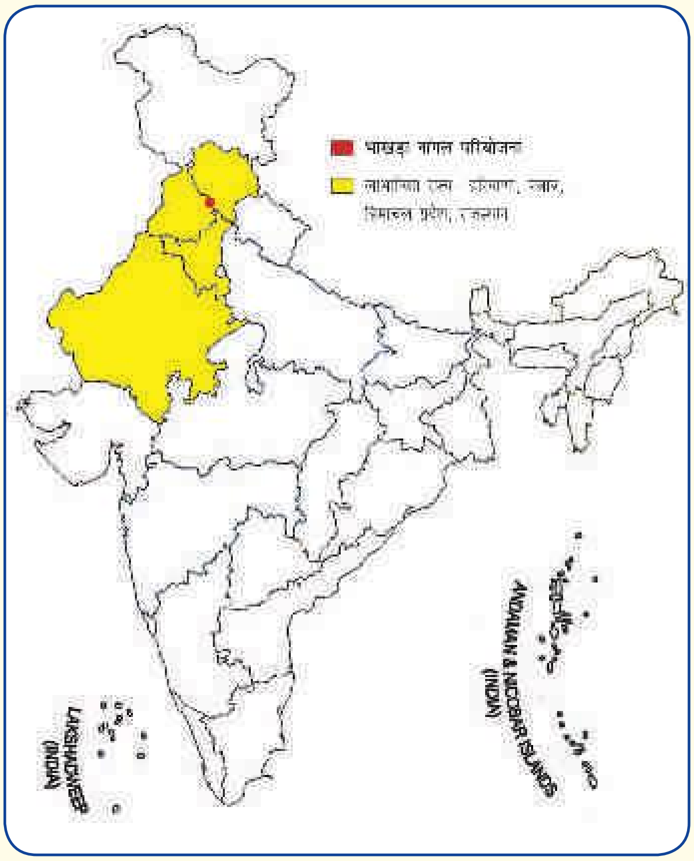

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत (अ) भाखड़ा और नांगल के पास सतलुज नदी पर दो बांध, (ब) लगभग 27.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हेतु भाखड़ा नहर तंत्र, (स) नांगल जल विद्युत नहर (द) 1204 मेगावाट क्षमता वाले गंगुवाल, कोटला, बाएं और दाहिने किनारे के चार विद्युत गृह और (य) विद्युत वितरण हेतु 3,680 किमी. लम्बी सम्प्रेषण लाइन का निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजना है।
- **भाखड़ा बांध:** इसका निर्माण कार्य सन् 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलुज नदी पर (अम्बाला से 80 किमी. उत्तर) बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्व बांध (लंबाई 518 मी., चौड़ाई जल के भीतर 338 मी., ऊँचाई 226 मी.) है।
- **नांगल बांध:** यह बांध भाखड़ा से लगभग 13 किमी. अनुप्रवाह पर बनाया गया है।
- इस परियोजना द्वारा उत्पन्न जल विद्युत को 3,680 किमी. लम्बी ट्रांसमिशन लाइन द्वारा रोपड़, अम्बाला, करनाल, पानीपत, हिसार, भिवानी, रोहतक, नाभा, पटियाला, कसौली, शिमला, जालन्धर, कपूरथला, होशियारपुर, गुड़गाँव, पठानकोट, राजपुरा और दिल्ली को भेजी गई है।
- **भाखड़ा नहर प्रणाली:** भाखड़ा मुख्य नहर 174 किमी. लम्बी है। इसकी दो मुख्य शाखाएँ हैं- पक्की भाखड़ा नहर एवं कच्ची फतेहगढ़ शाखा।

3. रिहन्द परियोजना

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहु-उद्देश्यीय परियोजना है। इसके अंतर्गत सोन की सहायक रिहन्द नदी पर पिपरी गाँव (सोनभद्र) के पास 934 मी० लंबा और 91 मी० ऊँचा (नदी तल से 167 मी०) कंक्रीट का बांध बनाया गया है। इसके द्वारा अवरुद्ध जल को गोविन्द बल्लभ पन्द सागर जलाशय में संग्रहीत किया गया है ।
- बांध के भीतरी भाग के निरीक्षण और सफाई के लिए निर्मित चार सुरंगें इसकी मुख्य विशेषता है। इस परियोजना में कुल 37.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। बांध के नीचे ओबरा में एक 300 मेगावाट (50mw की 6 इकाई) क्षमता का विद्युत गृह स्थापित किया गया है।
- यह बिजली उत्तर प्रदेश पावर ग्रिड को दी जाती है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्व में बलिया से पश्चिम में बहराइच और कानपुर तक का क्षेत्र लाभान्वित होता है।
- इस बिजली का उपयोग चुर्क, डाला, शाहपुर के रासायनिक, नैनी की टायर-ट्यूब, मिर्जापुर की एल्युमिनियम और फूलपुर (इलाहाबाद) और गोरखपुर के उर्वरक उद्योगों में किया जाता है।
- बांध के जलाशय से निकाली गई नहरों से बिहार के चम्पारन, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। परियोजना द्वारा अन्य लाभों में मत्स्यपालन, नौ परिवहन, बाढ़ नियंत्रण, वनरोपण, मृदा अपरदन नियंत्रण आदि सम्मिलित हैं।

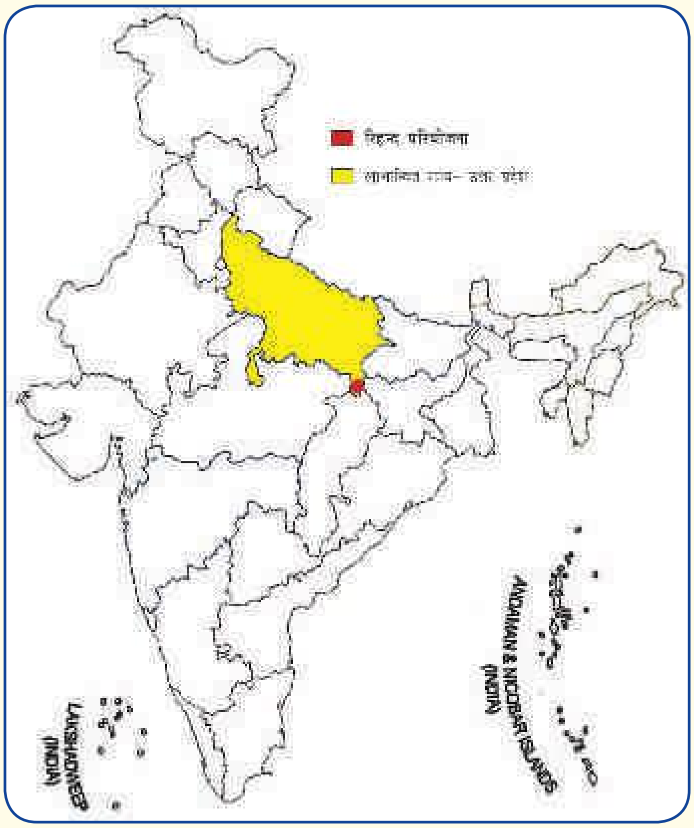

4. हीराकुड बांध परियोजना

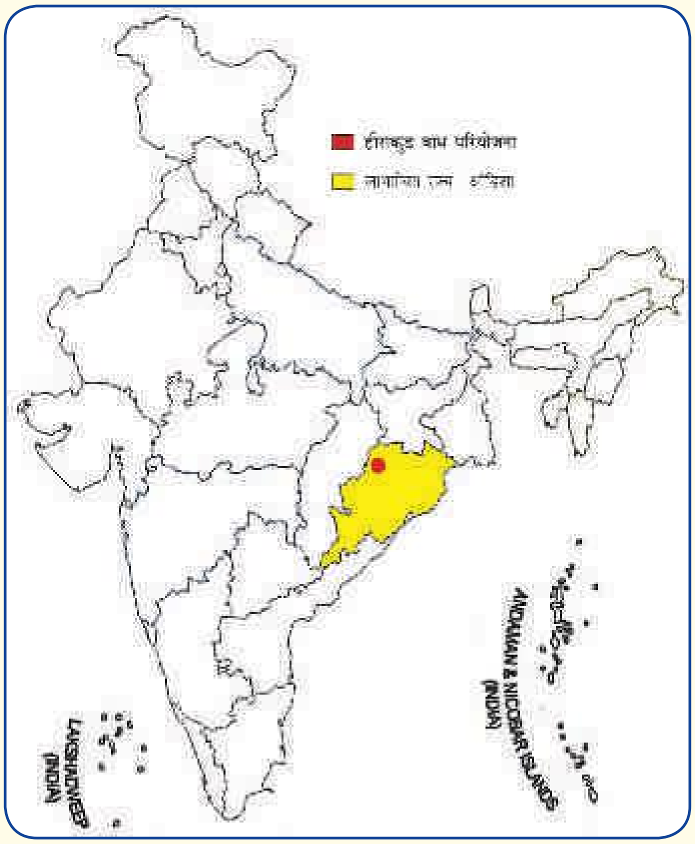

महत्वपूर्ण तथ्य

- ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित यह भारत की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है।
- इस परियोजना का उद्देश्य महानदी पर हीराकुड, टिकरपाड़ा और नराज के पास तीन बांधों का निर्माण कर 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई, 270.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन और छत्तीसगढ़ की सीमा के सहारे पश्चिम बंगाल तक 561 किमी. लम्बे और 3 मीटर गहरे जलमार्ग का निर्माण करना है।
- हीराकुड परियोजना को दो चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण में अंतर्गत हीराकुड के पास विश्व का सबसे लंबा बांध (लम्बाई 4,801 मीटर, ऊँचाई 61 मीटर, जलाशय क्षेत्रफल 630 वर्ग किमी., संग्रहण क्षमता 8,100 मिलीयन क्यूबिक मीटर) बनाया गया है।
- परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत टिकरपाड़ा के पास 1,271 मीटर लम्बा बांध बनाया गया है।
- हीराकुड परियोजना से महानदी घाटी के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर डेल्टाई भाग में सिंचाई, नौ परिवहन, बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, मत्स्यपालन और वनरोपण में मदद मिली है। परियोजना से उत्पन्न बिजली का क्षेत्र के औद्योगिक और कृषि विकास में उपयोग किया जा रहा है।
- हाल के अध्ययन से पता चला है कि हीराकुड परियोजना से बाढ़ के खतरे बढ़े हैं।

5. नर्मदा घाटी परियोजना

महत्वपूर्ण तथ्य

- नर्मदा भारत की पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है (लम्बाई 1312 किमी., कमान क्षेत्र 98,796 वर्ग किमी.-87% मध्य प्रदेश, 11.5% गुजरात एवं 1.5% महाराष्ट्र, वार्षिक अपवाह 45,000 मिलियन घन मीटर)। इसकी जल संसाधन संभाव्यता सतलुज, रावी एवं ब्यास की सम्मिलित सम्भाव्यता से बढ़कर है।
- नर्मदा घाटी परियोजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी पर 29 बड़े, 450 मध्यम और 3,000 छोटे बांध और बराज बनाये जा रहे हैं जिनमें सरदार सरोवर (गुजरात) और नर्मदा सागर (मध्य प्रदेश) बांध प्रमुख हैं। परियोजना से लगभग 19.32 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता (गुजरात 17.92 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश 1.4 लाख हेक्टेयर) का सृजन एवं 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो सकेगा।
- **सरदार सरोवर परियोजना:** इसके अंतर्गत नर्मदा नदी पर नवगाँव के पास 138.7 मीटर ऊँचे बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 77 लाख एकड़ फुट जल संग्रहण की क्षमता होगी।
- **नर्मदा सागर परियोजना:** इस पर कार्य 1984 से प्रारंभ हुआ है। इसमें पुनासा के निकट (मध्य प्रदेश) एक बांध बनाया जा रहा है जिससे 1550 मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी और मध्य प्रदेश की 1.40 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जायेगी।

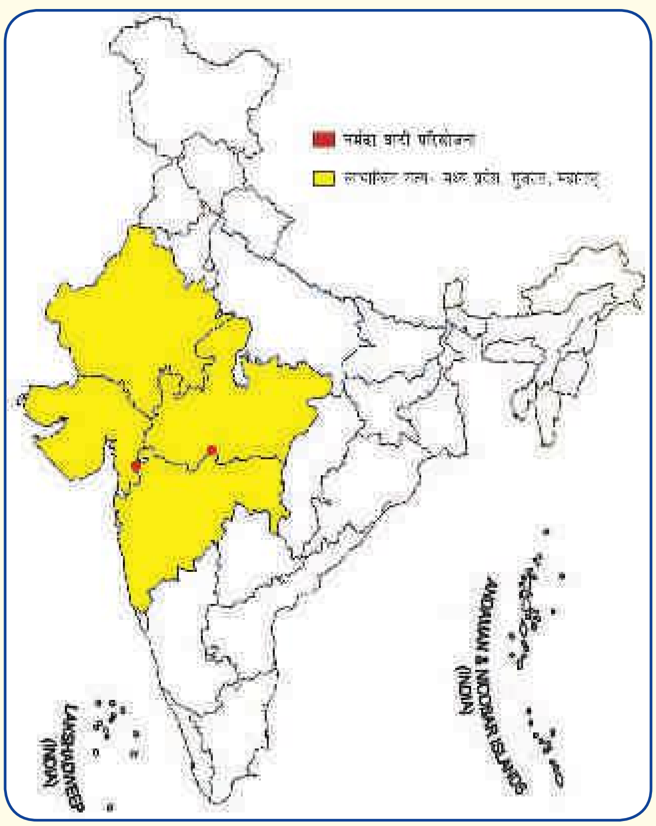

6. टिहरी बांध परियोजना

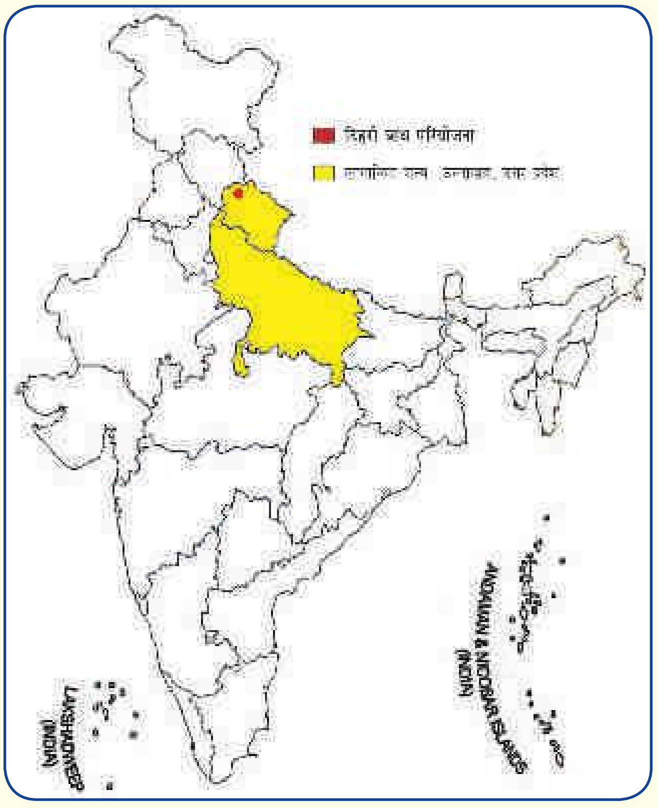

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस बांध का निर्माण भागीरथी (गंगा) नदी पर भागीरथी और भिलांगना के संगम के नीचे उत्तराखण्ड के टिहरी जिले में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भागीरथी और भिलांगना के बाढ़ के जल का संग्रह कर, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- इस परियोजना के निर्माण हेतु रूस से तकनीकी और वित्तीय सहायता ली जा रही है।
- इस परियोजना की स्वीकृति 1972 में योजना आयोग द्वारा दी गई जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य 5 अप्रैल, 1978 से शुरू किया गया।
- इसके लिए एक टिहरी जल विद्युत विकास निगम (THDC) की स्थापना की गई है।
- टिहरी परियोजना से पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड का 270,000 हे० क्षेत्र सिंचित होता है।
- टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसकी भूकम्प प्रवण क्षेत्र में स्थिति, पर्यावरण को क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़े हैं।
- इसके अग्रणी चिपको आंदोलन के प्रणेता प्रख्यात पर्यावरणविद् सुन्दर लाल बहुगुणा हैं। इसके कारण बांध का निर्माण कार्य तेजी से नहीं हो पाया।

7. तुंगभद्रा परियोजना

महत्वपूर्ण तथ्य

- तुंगभद्रा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो चिकमंगलूर (1892 मीटर) के निकट सहयाद्रि पहाड़ियों से निकलकर कर्नाटक के शिममोगा, धारवाड़, बेल्लारी और रायचूर जिलों से गुजरती हुई कुर्नूल के पास कृष्णा से मिलती है।
- इसकी घाटी के ऊपरी भाग में 425 सेमी. परंतु निचले भाग में लगभग 50 सेमी. वर्षा होती है जिससे ये क्षेत्र क्रमश: बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहते हैं। यह कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों का संयुक्त उपक्रम है जिसके तहत सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सूखा निवारण हेतु तुंगभद्रा के जल के उपयोग की योजना बनाई गई है।
- इस परियोजना के अंतर्गत मल्लापुरम् (हास्पेट से 5 किमी. दूर) तुंगभद्रा नदी पर एक 2441 मीटर लम्बा और 49.39 मीटर ऊँचा बांध बनाया गया है। इसके दाहिनी ओर एक 183 मीटर लम्बा और बायीं ओर दो (एक मिट्टी का और दूसरा पत्थर और सुर्खी का) सहायक बांध बनाये गए हैं।
- इनसे निर्मित जलाशय का विस्तार 378 वर्ग किमी. क्षेत्र पर है और इसमें 4 लाख हेक्टेयर जल संग्रहण की क्षमता है। परियोजना में मुनीराबाद, हास्पेट जिनसे उत्पन्न 126 मेगावाट बिजली का उपयोग सिंचाई और क्षेत्र के लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में किया जा रहा है।
- बराज से निकाली गई तुंगभद्रा परियोजना द्वारा नहरों से सिंचाई के माध्यम से कपास, मूंगफली, चावल, गन्ना, ज्वार आदि फसलों की कृषि की जा रही है।

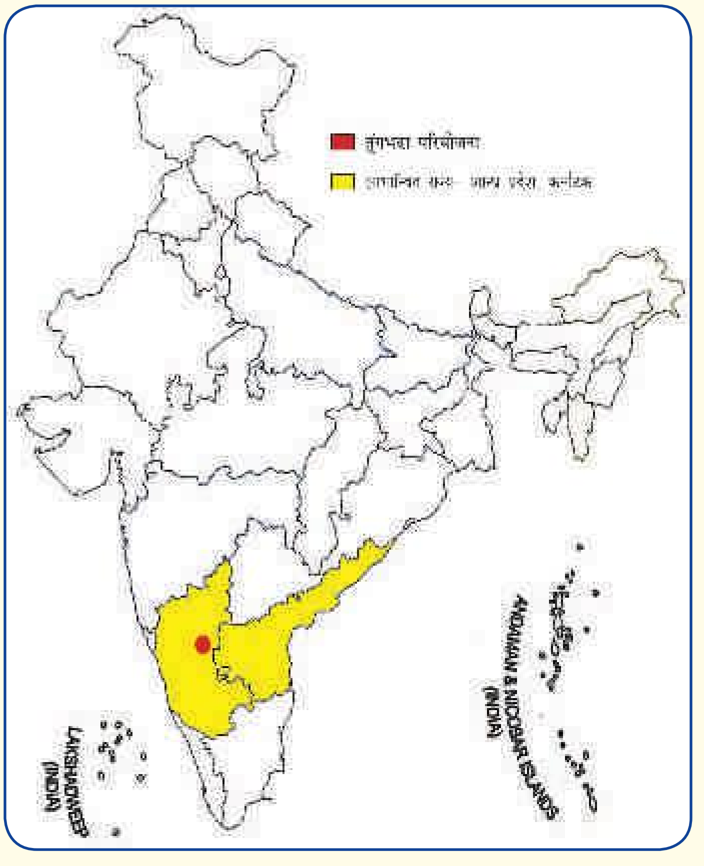

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003
LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...
After achieving a phenomenal success with 120+ selections in CSE 2017, DHYEYA IAS has once again reached a new zenith of success with 122+ selection
KANISHAK KATARIA AIR 1
JUNAID AHMED AIR 3
We salute the spirit of our selected candidates and wish them a successful and bright future ahead
ANURAJ JAIN AIR-24
DEEPAK KUMAR DUBEY AIR-46
RENJINA MARY VARGHESE AIR-49
RANGASHREE AIR-50
GIRDHAR AIR-61
AYUSHI SINGH AIR-86
SAWAN KUMAR AIR-89
VEER PRATAP SINGH AIR-92
BRIJESH JYOTI UPADHYAY AIR-112
RANJEETA SHARMA AIR-130
CHITTYREDDY SRIPAL AIR-131
SHIV NARAYAN SHARMA AIR-149
SHAKTI MOHAN AVASTHY AIR-154
SIDDHARTH GOYAL AIR-163
GUNDALA REDDY RAGHAVENDRA AIR-180
GAUTAM GOYAL AIR-223
SHIVAM SHARMA AIR-251
INDERVEER SINGH AIR-259
GAURAV GUNJAN AIR-262
MD JAWED HUSSAIN AIR-280
DEEPTI BAGGA AIR-297
ARPIT GUPTA AIR-300
HIMANSHU GUPTA AIR-304
POORVI GARG AIR-317
NAVEEN KUMAR AIR-324
ADITYA KUMAR JHA AIR-339
SACHIN BANSAL AIR-349
CHIRAG JAIN AIR-355
LAKSHMAN KUMAR AIR-362
SAHIL GARG AIR-376
YOGITA AIR-384
ANIMESH GARG AIR-387
KIRTI PANDEY AIR-389
KUMAR BISWARANJAN AIR-391
GARIMA AIR-394
and many more...

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): **अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

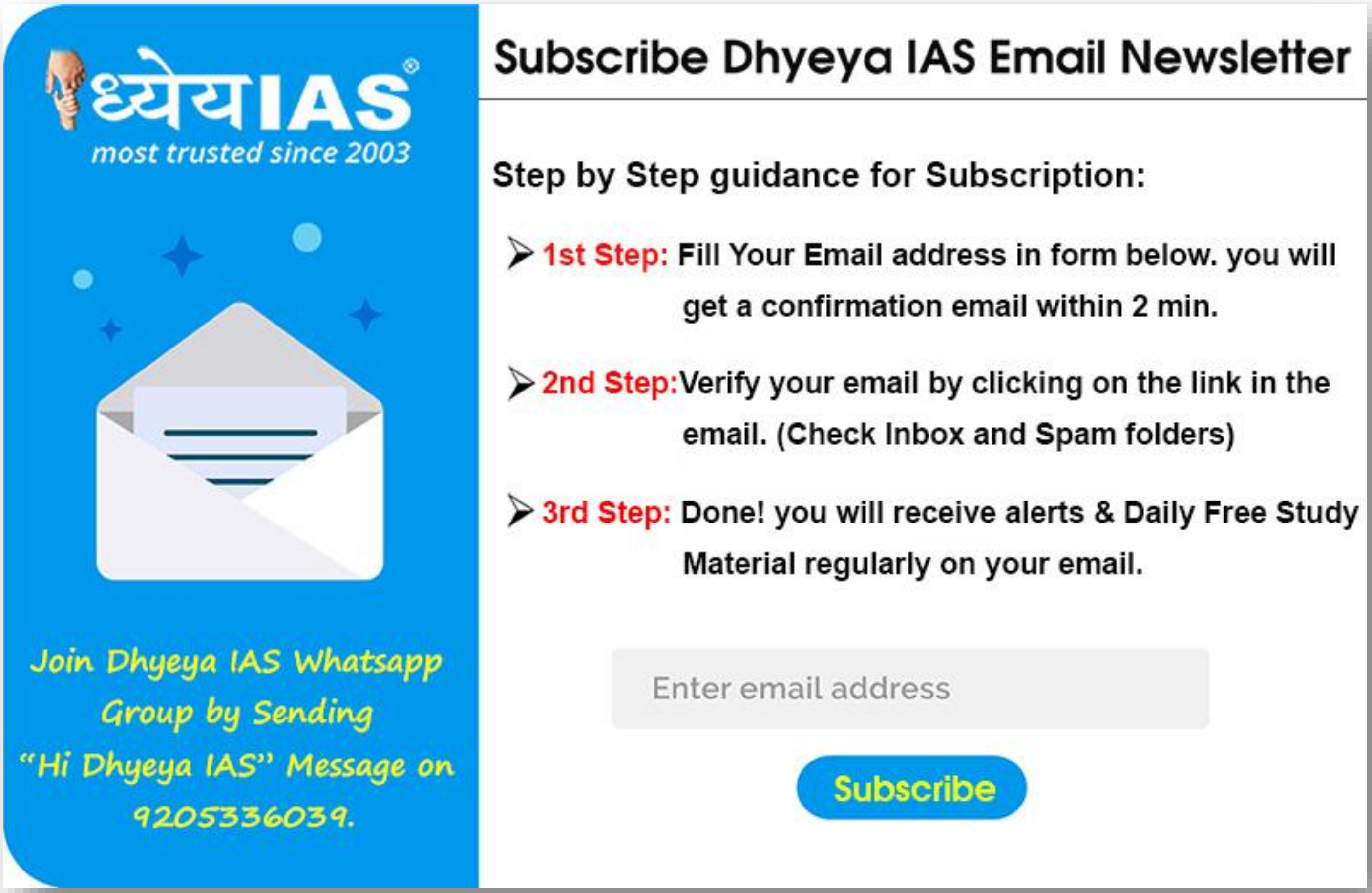

ध्येयIAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए** **9355174441** **पर** **"Hi Dhyeya IAS"** **लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400